वाणी

वर्ष : 35 अंक : 129 जून 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की
तिमाही गृह पत्रिका

वित्त वर्ष 2016-17, वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री , तमिलनाडु सरकार से एमएसएमई श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ बैंकर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिल्ली क्षेत्र की दरियागंज शाखा के परिसर के स्थानांतरण के अवसर पर शाखा के स्टाफ सदस्यों के साथ कार्यपालक निदेशक महोदय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव । साथ में हैं दिल्ली क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री श्याम सुंदर नारंग

इस अंक में

वाणी

वर्ष : 35 अंक 129 जून 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

संदेश

प्रबन्ध निदेशक महोदय का संदेश 3
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 4
कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 5
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 6

संपादकीय

उन्नति की साधक – क्षेत्रीय भाषाएँ 7

विशेष आलेख

ग्रीन बैंकिंग – बैंकिंग के पर्यावरणीय आयाम 53
राजभाषा – कल और आज 55

बैंकिंग व अन्य लेख

साइबर एवं सूचना सुरक्षा – आपका अधिकार एवं आपका ही कर्तव्य 8
वित्तीय साक्षरता – हर एक के लिए बैंकिंग 14
इनसाइडर ट्रेडिंग : एक विश्लेषण 40
ओटीएस – बैंक की लाभप्रदता का एक सशक्त टूल 44
नकदी रहित भारत 57

कविता

फीस हुई बीमारी 18
मैं चिरागों को जला देता हूँ 56
दो रंग 58

साहित्य का सफ़रनामा

हरे प्रकाश उपाध्याय – एक तेजस्वी हस्ताक्षर 11

प्रदक्षिणा

सोलह शताब्दियों की गाथा – हागिया सोफ़िया 19

फ़ोटो फ़ीचर

विविधा 30

कृति दर्पण

सफ़र गांधी से महात्मा का – चंपारण 1917 46

नज़र कानूनी

पीएमसी बैंक की घटना से सबक 25

ख़तों के रास्ते इतिहास

आँख के बदले आँख 32

विविधा

प्रेरक प्रसंग 27
ज्ञान के मोती 50
शब्द – शब्दांतर 51
हँसी की फुलझड़ियाँ 43
हिन्दी ज्ञान प्रश्नोत्तरी 59
प्रतिस्पंदन 60

'वाणी' पत्रिका बैंक के आनलाइन यानि इंट्रानेट पर भी उपलब्ध है

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 35 अंक 129 जून 2021

तुम वहन कर सको जन–मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
भुवन चन्द्र शर्मा
महा प्रबंधक

संपादक
सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबंधक

संपादन सहयोग
नगेंद्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
दूरभाष : 044-28519572
फैक्स : 044-28551618
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्यारे साथियो,

एक बार फिर अपने बैंक की गृह पत्रिका के माध्यम से आप सभी से संवाद करते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है । मैंने कई बार पाया है कि 'वाणी' हमारे बीच एक सेतु की भांति भी कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम अपनी विचाराभिव्यक्ति कर पाते हैं ।

इस संदेश को लिखते हुए कुछ और कागज़ जो मेरी मेज पर रखे हैं, उनमें बैंक की जून तिमाही के निष्पादन के ब्योरे दर्ज़ हैं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही के ये आंकड़ें सर्वथा हमारी अपेक्षानुकूल हैं । ये आंकड़े शीर्ष प्रबंधन से लेकर बैंक के अंतिम पेंशनभोगी तक तथा हमारे निदेशकों से लेकर निवेशकों तक, सभी को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त हैं । वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही ने निश्चित ही हमारे निवेशकों तथा हमारे हितधारकों के बीच एक नया विश्वास जगाया है कि हम अपने प्रयासों से पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं व अग्रणी बैंकों की कतार में आ सकते हैं । इस उपलब्धि के लिए मैं टीम आइओबी के प्रत्येक सदस्य के अथक प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाली तिमाहियों में हमारा निष्पादन इतना उत्कृष्ट होगा कि मील के पत्थर सरीखा दिखने वाला 327 करोड़ का ये आंकड़ा उनके सामने बौना जान पड़ेगा ।

पिछली तिमाही के परिणामों को देखते हुए जो बात मैंने महसूस की वो यह कि हमारी कुछ शाखाएँ अभी भी लाभार्जन नहीं कर पा रही हैं जो कि एक चिंता का विषय है । एक ओर जहाँ शाखाओं के द्वारा दिए गए ऋणों की संख्या तथा ऋणों के आकार में कमी आई है तो वहीं दूसरी ओर कासा में हमारी आशाओं के अनुरूप वृद्धि देखने को नहीं है, जो कि उन्हें मुख्य धारा से अलग करता है । विगत तिमाही के दौरान अर्जित लाभ एक तरफ़ा सा है जहाँ कुछ शाखाएँ तथा विभाग ही अधिक सक्रिय नज़र आते हैं । एक बार पुनः चिंतन करके देखिए कि अगर हमारे बैंक में लाभर्जन न करने वाली शाखाओं की संख्या को शून्य किया जा सके तो बैंक के तिमाही परिणामों का आकार-प्रकार ही बदल जाएगा तथा हम समेकित रूप से एक आदर्श चार अंकीय लाभ अर्जित कर पाएंगे । हमें आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि किस जगह पर हमारे प्रयासों में कमी रह जा रही है, तथा योजनाबद्ध रूप से हमें उन कमियों के ऊपर काम करते हुए अपने आप को मुख्यधारा में बनाए रखना है । मुझे ऐसे समय में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करना चाहूँगा :

नर हो, न निराश करो मन को...
कर के विधि वाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो....
समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो, न निराश करो मन को...

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही बेहतरीन परिणामों के साथ वाणी के अगले अंक में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी । तब तक के लिए बेहतरीन प्रदर्शन की आशा में,

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्यारे आइओबियन्स,

हम आज बैंकिंग के उस चरण में हैं जहाँ न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय अर्थ जगत भी महामारी की शक्ल में आयी विभीषिका से उबरने के लिए संघर्षरत है । बात किसी भी देश की क्यूँ न हो, सभी जगह एक चीज़ जो निर्विवादित रूप से सत्य है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजनाएँ भले ही देशों के केंद्रीय बैंक के वातानुकूलित कमरों में तैयार की जाती हों, मगर एक कुशल शिल्पी की भांति उसे मूर्त रूप देने की ज़िम्मेदारी सेवा प्रदान करने वाले बैंकों के ऊपर ही है या और अधिक परिष्कृत रूप से कहा जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी शाखा स्तर पर नियुक्त उन सभी स्टाफ सदस्यों की है, जिनका ग्राहकों से सीधा संवाद होता है । संभवत: यही कारण है कि बैंक को सेवा क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि एक बैंकर होने के नाते हमारे पास वह क्षमता है कि हम किसी के सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकते हैं । हमें अपनी इस क्षमता का प्रयोग बैंक के हितों को साधने के लिए करना होगा । अगर विगत तिमाही में बैंक के निष्पादन की बात की जाए तो समग्र रूप से बैंक द्वारा अर्जित लाभ दिखाई देता है, किन्तु अगर आप इन आकड़ों का छिद्रान्वेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे अग्रिम के पोर्टफोलियो में संकुचन हुआ है, जिसे विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है ।

वैश्विक रुझानों तथा देश के कोरोना संबंधी आंकड़ों को देख कर अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना महामारी अब अपने अवसान की ओर है । जन जीवन सामान्यता की ओर लौट रहा है और एक आपदा बीत चुकी सी जान पड़ती है । साथियों, बुरे वक्त के साथ एक अच्छाई ये भी है कि वो वक्त है, और वक्त बीत जाता है । परिस्थितियाँ चाहें कितनी ही विषम क्यूँ न रही हों, जीवन अपने लिए उम्मीद की कोई न कोई किरण खोज ही लेता है । जिस तरह बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद क्षति का आकलन किया जाता है उसी तरह अब इस महमारी के दौरान हुई क्षति के आकलन की आवश्यकता है ताकि सही समय पर निवारक उपाय कर आने वाले समय में होने वाली क्षति से बचा जा सके। इस संबंध में अग्रिम खातों में अद्यतित दस्तावेज़ों को प्राप्त करना, साइट का निरीक्षण किया जाना, स्टॉक की जांच, अतिदेय खातों का आवर्तन आदि, नए खातों को फिसलने से रोकने में मददगार साबित होगा । आप सभी को ज्ञात ही है कि ग्राहक सेवा में निष्णातता के चलते हमारा बैंक परिचालनगत लाभ कमाने में अग्रणी रहा है जिसके लिए हमारे सभी स्टाफ सदस्य बधाई के पात्र हैं, किन्तु हमें शीर्ष के बैंकों के बीच अपना स्थान वापस सुनिश्चित करने के लिए ब्याज जनित आय को बढ़ाना होगा तथा नए ऋणों के संवितरण की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाली तिमाही में हम बैंक के लाभर्जन को नए शिखर तक ले जा सकेंगे ।

शुभकामनाओं सहित

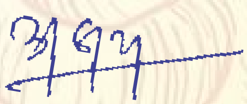

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

हमारे बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' के माध्यम से पुनः आप सभी से रूबरू हूँ । देखते ही देखते एक और तिमाही गुज़र गई और टीम आइओबी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि 'साथ मिल कर हम कर सकते हैं' (Together we can) लेकिन यहाँ से आगे के पथ को साधना होगा तथा रणनीतिगत तरीके से काम करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी होगी तभी हम 'हम साथ मिल कर करेंगे' (Together we will) को चरितार्थ कर पाएंगे ।

यद्यपि गुज़रा दौर काफी सारी नकारात्मकताओं से भरा रहा । एक ओर जहाँ कोविड 19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला कर रख दी, वहीं दूसरी ओर इस महामारी ने हमारे आइओबी परिवार के कई सदस्यों को सदा के लिए हम सभी से दूर कर दिया । लेकिन तेजी से हो रहे टीकाकरण तथा वैश्विक स्थितियों के सामान्यीकरण के चलते अब हम सुरंग के मुहाने पर आ पहुंचे हैं जहाँ से आगे का भविष्य प्रकाशमय नज़र आ रहा है । हमें ज़रूरत है तो बस चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखने की, क्योंकि सकारात्मकता ही खुशियों का आधार है । मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप चाहें जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, सकारात्मकता आपको हमेशा लाभान्वित ही करेगी ।

आशावादी लोग अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा करते हैं कि उनके साथ घटित नकारात्मक घटनाएँ अतीत के रूप में ही व्यवहृत की जाती हैं । सकारात्मक विचार जीवन में तनाव को कम करते हैं, जिसकी वज़ह से अधिक जोखिम उठाने की प्रकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से बेहतर होने का विश्वास पल्लवित होता है । इस बात में कोई दोराय नहीं कि बैंकिंग क्षेत्र जोखिमों से भरा हुआ है, जिन से हमें खुद को तथा अपने बैंक को बचा कर रखना है । लेकिन इसका मतलब यह ज़रा भी नहीं कि हमें जोखिम उठाने से बचना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सही आंकलन तथा सभी पक्षों का गहन विश्लेषण ही वह महीन सी रेखा है जो जोखिम तथा सार्थक निवेश को विलगित करती है ।

ऐसे में परिस्थितियों के केवल नकारात्मक पहलू को देखना ऐसी बहुत सी समस्याओं, जिनका समाधान किया जाना है, को अनदेखा कर सकता है तथा इसी वज़ह से अपने काम व जीवन की बेहतरी की दिशा में नवीन आयाम खोजने की आशाएँ भी तिरोहित होती जाती हैं । हम जीवन में जितना सकारात्मक रहेंगे, उतनी संभावनाएँ हमें मिलेंगी । हमें अपने सोचने का नज़रिया बदलना होगा । सकारात्मक दृष्टिकोण सपनों को साकार करने में काफी कारगर होता है और यही सकारात्मकता अंत में हमारे काम में परिलक्षित होती है तथा सफलता के नए मार्ग प्रशस्त करती है ।

सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, शुभकामनाओं सहित...

श्रीमती

एस श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

हमारे बैंक की स्वनामसिद्ध पत्रिका 'वाणी' के माध्यम से पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ । साथियों, मैंने पहले भी इस विषय में चर्चा करते हुए कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र अपनी प्रकृति में सेवा क्षेत्र होने के साथ ही अपने स्वरूप में बहुआयामी है । नित नई तकनीक का आगमन ग्राहकों की सुविधाओं में विस्तार तो करता है किन्तु उसके साथ नई तरह की चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता । इन्हीं चुनौतियों में से एक साइबर अपराध भी है । कुछ माह पहले आई साइबर अपराध की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान साइबर अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज़ की गई है, जो कि एक चिंतनीय विषय है । अब क्योंकि अधिकतम धोखाधड़ियाँ खातों से अनाधिकृत रूप से निधि के आहरण या अंतरण से जुड़ी हुई थी, तो उनका प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ना अपरिहार्य था ।

हमें ध्यान रखना होगा कि ग्राहकों के साथ हुई किसी भी धोखाधड़ी का सीधा असर बैंक-ग्राहक संबंधों के ऊपर पड़ता है जो कि हमारे बैंक के व्यापार विस्तार की नीति के सर्वथा प्रतिकूल है । यद्यपि अधिकतम मामलों में ग्राहकों के द्वारा अज्ञानतावश साझा की गई निजी जानकारियों (यथा इंटरनेट बैंकिंग की आईडी/ पासवर्ड, कार्ड नंबर/ सीवीवी, यूपीआई एप्लिकेशन में विप्रेषण अनुरोध को स्वीकारना आदि) के चलते ही उन्हें मौद्रिक हानि उठानी पड़ती है । हालांकि इस तरह की धोखाधड़ियों से बैंक का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होने पर भी ग्राहक सेवा विभाग के ऊपर अनापेक्षिक दबाव बढ़ता है, शाखा की अग्रिम पंक्ति के स्टाफ सदस्यों को ऐसे ग्राहक के ऊपर व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा तथा समय व्यय करने के बावजूद भी ग्राहक के असंतोष में कोई कमी नहीं आती ।

हमें समझना होगा कि इस तरह की चुनौतियों का सामना करने का मात्र एक ही उपाय है कि डिजिटल माध्यमों से लेनदेन करने वाले शाखा के सभी ग्राहकों के बीच इस तरह की धोखाधड़ियों के बारे में सभी स्टाफ सदस्य ग्राहकों को स्टाफ-ग्राहक बैठकों आदि के माध्यम से जागरूक बनाएँ । यहाँ यह जोड़ना समीचीन होगा कि आप शाखा में आने वाले सभी ग्राहकों को तभी संतुष्ट कर सकेंगे जब नई योजनाओं तथा माध्यमों के विषय में आपका स्वयं का ज्ञान अद्यतित होगा । ऐसे में बैंक की पत्रिका में साइबर सुरक्षा से जुड़े लेख को देखना सुखद है । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप पत्रिका में प्रकाशित लेखों से लाभान्वित होंगे तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए अपने ग्राहकों तथा स्वयं को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखेंगे ।

शुभकामनाओं सहित,

भुवन चन्द्र शर्मा
महा प्रबन्धक

उन्नति की साधक - क्षेत्रीय भाषाएं

प्रिय सुधिजनों,

वाणी का नूतन अंक आप सभी को सौंपते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । हमें यह समझना होगा कि व्यवसायी की अपनी कोई भाषा नहीं होती, उसकी वही भाषा होती है जो उसके ग्राहकों की होती है । क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ऐसी स्थिति में हमारे पास ग्राहक की भाषा का ज्ञान होना अपरिहार्य हो जाता है । संभवतः यही कारण है कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने रिटेल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर अपना अंग्रेज़ी चोला उतार फेंका है और वे राष्ट्रीयकृत बैंकों को चुनौती दे रहे हैं । अब समय आ गया है जब हमें अपने बैंक के मूल मंत्र "आपकी प्रगति का सच्चा साथी" की सटीकता को सिद्ध करते हुए अंग्रेज़ी पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए तथा भारतीय भाषाओं को अपनाते हुए ग्राहक सेवा में जुटना होगा । क्योंकि देश की उन्नति कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की उन्नति के बिना असंभव है, और निरपेक्ष रूप से कहीं न कहीं इसका दायित्व हमारे ही कंधों पर है ।

वाणी पत्रिका एक यात्रा के समान है जिसमें अंक दर अंक हम पाठकों की प्रतिक्रियाओं तथा उनके सुझावों को समाहित करते हुए हर बार एक नया स्वरूप प्रदान करने की भरसक कोशिश करते हैं ताकि वाणी के कलेवर को और अधिक नयनाभिरामक तथा उसमें प्रकाशित लेखों को और अधिक शिक्षाप्रद, पठनीय तथा रोचक बनाया जा सके । इसी क्रम में पाठकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम वर्ष 2017 तक वाणी का हिस्सा रहे पुराने स्तम्भ "कृति दर्पण" को इस अंक के साथ वाणी में पुनः शामिल कर रहे हैं । इस स्तम्भ के माध्यम हम देश-विदेश के सुप्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक की समीक्षा करते हुए उसके सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे । इसी के साथ प्रकृति तथा विषयवस्तु की समानता को देखते हुए हमने "प्रदक्षिणा" तथा "परिक्रमा" में "प्रदक्षिणा" को एवं "ख़तों के रास्ते इतिहास" तथा "तारीख-ए-बयां और" में "ख़तों के रास्ते इतिहास" को आगे ले जाने का निर्णय लिया है । हम इस अंक के साथ एक और नया स्तम्भ "हिन्दी ज्ञान प्रश्नोत्तरी" के नाम से शुरू कर रहे हैं जहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि सवाल-जवाब के माध्यम से न केवल भाषा के विविध आयामों पर जानकारी साझा की जाए बल्कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पाठ की रोचकता भी बनी रहे ।

बहरहाल, वाणी का यह नया अंक आप सभी के सामने है । हमारी कोशिश यही रही है कि हम इस पत्रिका के ज़रिए बैंक की गतिविधियों के समांतर पत्रिका की सृजनात्मक अपेक्षाओं को भी पूरा करें । हमेशा की भाँति आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा । आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें लगातार परिष्कार की ओर उन्मुख करती हैं, प्रेरित करती हैं ।

शुभकामनाओं सहित...

सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबन्धक एवं संपादक

साइबर एवं सूचना सुरक्षा : आपका अधिकार और आपका ही कर्तव्य

अंकुर श्रीवास्तव - वरिष्ठ प्रबन्धक, सूचना सुरक्षा लेखा कक्ष, निरीक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

आज के युग में जीवन का शायद ही कोई हिस्सा हो जिसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने स्पर्श न किया हो । प्रातः काल की अलार्म घड़ी से लेकर रात्रि के मित्र रेडियो की जगह मोबाइल ने ही ले ली है । पहले के जमाने में सिर्फ बड़े पदों पर आसीन अधिकारियों को ही निजी सचिव मिलते थे; परंतु आज आम आदमी की जेब में भी उनके सचिव विराजमान हैं; और उन्हे लोग प्रेम से ओके गूगल, एलेक्सा, सिरी या कोर्टोना के नाम से बुलाते हैं ।

बड़े-बड़े काम को चुटकियों में कर देने के लिए विभिन्न प्रकार की वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप विकसित किए गए है; जो की किसी जिन्न से अलग नहीं हैं; बस मोबाइल स्क्रीन्स को स्पर्श किया और बैठे बिठाये देश दुनिया के कार्य कर लिए । प्रौद्योगिकी की पैठ तो इतनी हो गयी है कि संस्थान का भौतिक कार्यालय हो न हो; उसकी ऐप एवं वेबसाइट जरूर है ।

इन उत्थानों की दौड़ में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान पीछे नहीं हैं । वर्तमान में खाता खोलना हो या म्यूचुअल फ़ंड लेना हो; शेयर में पूंजी लगानी हो या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हो; आय कर चुकाने से लेकर एटीएम द्वारा धनराशि निकालना; कोई भी काम कुछ क्लिक्स व स्पर्श की दूरी पर है ।

इन सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए संस्थानों एवं ग्राहकों के डाटा व सूचना को बही खाते, फॉर्म्स व रजिस्टर्स से उठा कर इंटरनेट पर लाया गया; और इसी पल डाटा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया । अब डाटा को सिर्फ ताले-चाभी की जरूरत नहीं रिसाव रहित जलरोधक पात्र की जरुरत है । डाटा एक्सपोजर क्षेत्र बढ़ने के साथ ही साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा पेशेवरों की भूमिका अत्यधिक बढ़ गयी है; और साथ ही साइबर अपराधियों एवं हैकर्स की संख्या और विशेषज्ञता भी बढ़ गयी है । इनके साथ ही हमारी, आपकी, ग्राहकों की निजता और सुरक्षा के प्रति भी चिंता बढ़ गयी हैं और आज साइबर सुरक्षा भी हमारा अधिकार है ।

सुरक्षा का महत्व:

सुरक्षा कई प्रकार की हो सकती है, इस लेख से जुड़े कुछ शब्द इस प्रकार हैं:

1. भौतिक सुरक्षा: किसी संगठन के पास मौजूद भौतिक संपत्ति की सुरक्षा; उदाहरण – कम्प्यूटर, सर्वर, यू.पी.एस इत्यादि।

2. सूचना सुरक्षा: किसी संगठन के पास मौजूद सूचना की सुरक्षा; उदाहरण – ग्राहकों की निजी जानकारियाँ फ़ॉर्म में या ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड / बैंक खाता संख्या, वित्तीय सूचना, कर्मचारियों की निजी व आधिकारिक सूचना ।

3. साइबर सुरक्षा: साइबर जगत में व्यक्ति विशेष की एवं संगठन की सुरक्षा; उदाहरण – किसी वेबसाइट पर किया गया लेनदेन, व्यक्तियों के बीच की ऑनलाइन बातचीत ।

अब प्रश्न ये उठता है कि सूचना/साइबर सुरक्षा की आखिर ज़िम्मेदारी किसकी है? ये संगठन की ज़िम्मेदारी है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी /सुरक्षा विभाग अथवा सरकार की ?

इसका उत्तर बहुत ही जटिल और साथ ही काफ़ी सरल है; और वह यह है कि सुरक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है । अंग्रेजी में कहते हैं – Security starts with you! अर्थात – सुरक्षा आपसे ही शुरू होती है ।

हाँलाकि, लगभग सभी संस्थानों ने सूचना सुरक्षा विभाग स्थापित किए हैं, परंतु वे किसी भी लक्ष्य को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उस संस्थान से जुड़े सभी लोग सूचना सुरक्षा की जरूरत एवं महत्व को न समझ लें और इसके प्रति जागरूक रहें । पिछली पंक्ति पर ध्यान दिया जाए – "संस्थान से जुड़े सभी लोग", मतलब सिर्फ कर्मचारी ही नहीं ग्राहक, शेयरधारक, निदेशक मंडल एवं अन्य हितधारी भी ।

सुरक्षा जागरूकता:

अगला प्रश्न यह उठता है कि सुरक्षा जागरूकता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है?; इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्यूरिटी सर्टिफिकेशन कॉन्सोर्शियम (ISC)2 से जुड़े कई पेशेवरों ने सुरक्षा जागरूकता को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है:

"किसी उद्यम के पास उसकी भौतिक और डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के प्रति ज्ञान, कौशल एवं संस्कृति की उपलब्धता को सुरक्षा जागरुकता कहा जा सकता है।"

ज्ञान एवं कौशल की व्यवस्था तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों द्वारा की जा सकती है; परंतु संस्कृति किसी भी संस्थान में एक दूसरे को देखकर परस्पर विकास द्वारा ही लायी जा सकती है और इसमें हमारे उच्चाधिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है । उनके द्वारा दिये गए मार्गदर्शन से ही कर्मचारी संस्था की संस्कृति के बारे में जागरूक होते हैं और संस्कृति का पालन करते हैं ।

डाटा एवं सूचना सुरक्षा से जुड़े कुछ बिन्दु:

1. अपनी एवं अपने ग्राहकों के डाटा एवं सूचना की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हर एक कर्मचारी की है; यह मायने नहीं रखता कि वह किस पद पर हैं।
2. हर एक कर्मचारी को संस्थान की सुरक्षा के लिए बराबर भागीदारी देना महत्वपूर्ण है ।
3. संस्थान की सुरक्षा नीति को सभी को एक तरह से व हमेशा पालन करना चाहिए ।
4. सभी को अपनी कौशल क्षमता को एवं समझ को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए ।
5. कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारियाँ एवं भूमिका पता होनी चाहिये क्योंकि वहीं रक्षा करने वाली पहली एवं आख़िरी पंक्ति हैं ।

आज की तारीख में डाटा की कीमत अविश्वसनीय है। कल्पना कीजिये एक दिन आपका कोई निजी डाटा, जैसे कि डेबिट कार्ड पिन या ईमेल पासवर्ड, किसी हैकर के पास चला जाए; या फिर किसी संस्था का ट्रेड सीक्रेट किसी प्रतिद्वंदी को प्राप्त हो जाए अथवा ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी कही बाहर साझा हो जाये। मौद्रिक हानि तो एक तरफ है, प्रतिष्ठा की हानि से उबर पाना अत्यंत जटिल हो जाता है एवं कई बार पूरा व्यवसाय ही ठप पड़ जाता है ।

सुरक्षा के घटक:

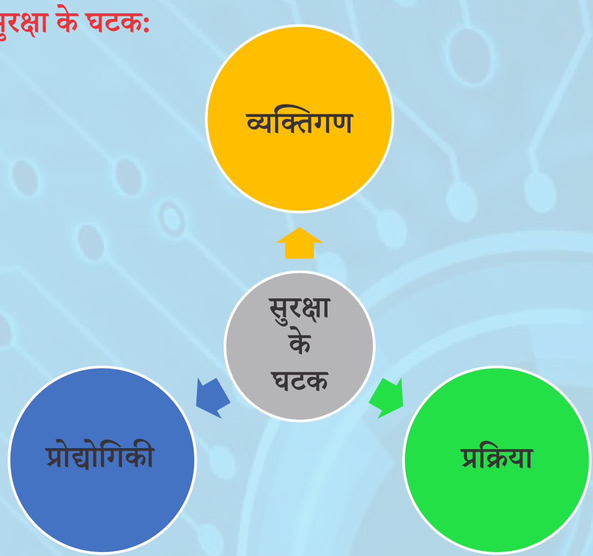

व्यक्तिगण: आप स्वयं ही रक्षा की पहली एवं आख़िरी पंक्ति हैं । अतः प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा के प्रति जागरूक होना आवश्यक है एवं उन्हे निरंतर प्रशिक्षित करना संस्थानों की ज़िम्मेदारी है ।

प्रक्रिया: नीतियों एवं कार्यप्रणालियों का पालन एवं दोहराई जा सकने वाली प्रक्रियाओं का होना एक अच्छी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है । इन्हें समझने और इनकी जानकारी होने से दुर्घटनावश अनजाने में डाटा उजागर करने या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इन्स्टाल करने से बच सकते हैं।

प्रौद्योगिकी: संस्थाएँ ग्राहक के हितों को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी में काफी निवेश करती हैं । हालाँकि प्रौद्योगिकी निवेश से संस्थाओं को हैकर्स से बचने में काफी सहयोग मिलता है; परंतु प्रौद्योगिकी तभी कार्य करेगी जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल और अनुरक्षण किया जाए।

सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण के फायदे:

अपने कर्मचारियों को हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए तरीको और उनसे बचाव के बारे मे पर्याप्त प्रशिक्षण देना संस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यदि कर्मचारी इन तरीकों, परिस्थिति के एवं **परिदृश्य** से अवगत नहीं होंगे तो इनसे रक्षा असंभव होगी । जागरूकता की नींव तो महत्वपूर्ण है ही परंतु हमें यह भी मानना पड़ेगा कि प्रशिक्षण की जरूरत वर्ष में एक बार दिये जाने से कही ज्यादा है । सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना एवं एक अच्छा साइबर शिष्टाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन यह एक निरंतर प्रयासरत रहने का विषय है ताकि हम नए तरह के साइबर अटैक और सोशल अभियांत्रिकी अटैक को पहचान सकें एवं उनसे बच सकें । पूरी संस्था को एक साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सुरक्षा मुद्रा को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए ।

विभिन्न प्रकार के साइबर अटैक: वर्तमान में साइबर सुरक्षा पेशेवर साइबर अटैक्स को नियंत्रित करने के लिए जितने चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं; उतनी ही तेजी से साइबर अटैकर्स नए-नए तोड़ के साथ उन चक्रव्यूहों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और इस चूहे बिल्ली के खेल में दोनों की ही हार जीत होती रहती है ।

आम व्यक्ति की साइबर सुरक्षा के लिए सभी संस्थाएँ अपनी पुरजोर कोशिश में लगी है; परंतु अटैकर्स उन्हे नुकसान पहुँचाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं । प्रत्येक कर्मचारी और ग्राहक प्रौद्योगिकी को अच्छे से नहीं समझता है; और न ही उसके ऊपर हो रहे अटैक्स को। कभी - कभी तो साइबर सुरक्षा की जानकारी रखने वाले ही साइबर अपराधियों के चंगुल में फँस जाते हैं ।

ऊपरी तौर पर साइबर अटैकस को दो तरह से विभाजित किया जा सकता है:

1. तकनीकी अटैक
2. सोशल अभियांत्रिकी अटैक

तकनीकी अटैक्स को हम पुनः विभाजित कर सकते है जिनमें मालवेयर अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जैसे अटैक्स आते हैं। इनसे बचने के लिए हम अपने कम्प्यूटर सिस्टम में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अपने बनाए वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन में नियंत्रण साधन लगा सकते हैं; जैसे कि एंटिवाइरस; वेब एप्लिकेशन फायरवाल इत्यादि।

वही दूसरी तरफ सोशल अभियांत्रिकी अटैकस वे अटैक हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष की जागरूकता ही उसे बचा सकती है । ईमेल फिशिंग; विशिंग; ईस्पेयर फिशिंग; व्हेलिंग जैसे अटैकस इस श्रेणी में आते हैं । एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए; सोशल अभियांत्रिकी अटैकस कभी भी तकनीकी अटैक का रूप ले सकते हैं या यूँ कहें कि तकनीकी अटैक का आधार कई बार सोशल अभियांत्रिकी अटैक होते है । इसे समझने के लिए आइये कुछ उदाहरण लेते हैं:

1. ईमेल फिशिंग: "जब अटैक ईमेल के माध्यम से हो"

रमेश के पास एक ईमेल आया; जिसमें यह लिखा है कि:

"केन्द्रीय कार्यालय सेवाकाल में एक बार आपको मनचाही तैनाती देने के लिए स्कीम जारी कर रहा है । यदि आपको इस विकल्प का प्रयोग करना है तो कृपया नीचे दिये गए लिंक पर प्रविष्टि करें:

http://chrisapp.iob1.com/desired_posting_scheme

प्रविष्टि तीन दिनों के भीतर कर दी जाए ।"

रमेश जो कि बहुत दिनों से अपने तबादले का प्रयास कर रहा था, इससे उत्साहित होकर लिंक पर क्लिक करता है और लॉगिन स्क्रीन पर अपना यूसर एवं पासवर्ड भरते हुए अपनी प्रविष्टि करता है ।

ध्यान दीजिये यह लिंक बैंक का नहीं है और आपको दूसरी वेबसाइट पर स्थानांतरित करता है । इस प्रकार रमेश अपने यूसर और पासवर्ड को किसी तीसरे को प्रदान कर देता है ।

यह कितना गंभीर परिणाम लेगा; यह निर्भर करेगा कि रमेश संस्थान के लिए क्या काम करता है-

अ. अगर रमेश एक बैंक का शाखा प्रबन्धक है तो उसके क्रेडेंशियल्स का प्रयोग अनधिकृत ऋण अनुमोदन करने के लिए किया जा सकता है।

ब. अगर रमेश आईटी विभाग का कर्मचारी है तो सर्वर पर अनधिकृत मालवेयर इन्स्टाल किए जा सकते हैं । ध्यान दीजिये किस प्रकार से सोशल अभियांत्रिकी अटैक तकनीकी अटैक में परिवर्तित हो गया।

स. अगर रमेश किसी संस्थान का उच्चपदाधिकारी है तो, इस प्रकार से उसके क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके कई तरीकों से संस्थान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है।

2. विशिंग: "जब अटैक फोन कॉल के माध्यम से हो"

उपर्युक्त वाकये को आगे बढ़ाते हुए; अटैकर ने रमेश को एक फोन कॉल की और केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारी की तरह अभिनय करते हुए उससे एक योग्यता परीक्षा पास करने का अनुरोध किया और उसे एक वेबसाइट लिंक ईमेल किया ।

http://transferexam.iob1.com/transfer_exam_module.exe

रमेश ने लिंक पर क्लिक किया और इस लिंक से उसके कम्प्यूटर पर एक वायरस फ़ाइल डाउनलोड हो गयी । अब रमेश इस फ़ाइल को खोलने की कोशिश करता है; और यह वायरस कम्प्यूटर सिस्टम में इन्स्टाल हो जाती है। पुनः गंभीरता इस बात पर निर्भर करेगी कि कम्प्यूटर सिस्टम में एंटिवाइरस है या नहीं; है तो क्या वह अपडेटेड है या नहीं । संभव है कि यह फ़ाइल आज कोई प्रभाव ना डाले परंतु कुछ समय बाद किसी दिनविशेष या घटना के बाद सक्रिय हो जाए; ऐसे वायरस को लॉजिक बम बोलते है ।

3. ईस्पेयर फिशिंग: "जब किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह पर लक्षित अटैक हो"

रमेश के साथ-साथ यह ईमेल कुछ और शाखा प्रबंधको को आया है जो कि किसी एक विशेषता वाले हैं; जैसे कि एक ही बैच के कर्मचारी। इस प्रकार से अटैकर ने एक विशिष्ट समूह पर अटैक किया जिसकी वजह से परिस्थिति और वास्तविक लगे।

4. व्हेलिंग: "इस प्रकार के अटैक में संस्थानों के उच्चाधिकारियों को लक्ष्य बनाया जाता है । इस प्रकार के अटैक्स का लक्ष्य संवेदनशील सूचना प्राप्त करना या उनके कम्प्यूटर सिस्टम्स में पहुँचना होता है ।"

यदि रमेश एक क्षेत्रीय प्रबन्धक है; और उसके पास एक ईमेल आता है; जो कि केंद्रीय कार्यालय के किसी महाप्रबंधक से आया प्रतीत होता है । ईमेल कुछ इस प्रकार है:

"आपके क्षेत्र का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है । अतः कार्य समीक्षा के लिये निम्नलिखित फ़ाइल भेजें:

1.<कुछ गोपनीय फ़ाइल>"

इस तरह के ईमेल से विचलित होकर रमेश उन फ़ाइलस को ईमेल द्वारा भेज देता है; जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं ।

सीख: आम तौर पर इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए केन्द्रीय स्तर पर नियंत्रक लगे होते हैं; जिससे इस तरह के ईमेल उपयोगकर्ता तक नहीं पहुँचते हैं । परंतु इसके बाद भी; संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता और हमें जागरूक रहना पड़ेगा । ऊपर दिये गए परिदृश्यों में रमेश को किस प्रकार से स्थिति संभालनी चाहिए थी; आइये देखते हैं:

1. ईमेल एड्रैस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या यह ईमेल आपकी संस्था का है; या फिर क्या आप ऐसे ईमेल की अपेक्षा कर रहे थे?
2. ईमेल में दिये गए लिंक पर ध्यान देना चाहिए; क्या यह वेबसाइट एड्रैस आपकी संस्थान का है? और क्या इस प्रकार की योजना के लिए कोई परिपत्र जारी किया गया है?
3. फोन कॉल पर ध्यान देना चाहिए; क्या यह फोन नंबर केन्द्रीय कार्यालय का है? अक्सर इस तरह के अटैक्स में ऑनलाइन कॉल की जाती है ताकि वे ट्रैक ना हो सकें ।
4. अटैकर्स आपके दिमाग पर हमला करते हैं; इसीलिए जरूरी है कि आप विचलित न हों । पहले स्थिति को जाँच लें और तभी हरकत में आए एवं कार्यवाही करें ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है; हमें संस्था की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए; और इसके लिए संस्था के पास एक अच्छे से परिभाषित एवं प्रभावशाली नीति और कार्यप्रणाली होनी चाहिए और सभी कर्मचारियों को इनकी जानकारी एवं प्रशिक्षण मिलना चाहिए ।

उपर्युक्त उदाहरण तो सिर्फ कार्यालय के माहौल में लिये गये हैं; यही सब सिर्फ आपके ही नहीं आपके ग्राहकों के निजी जीवन में भी लागू होते हैं । अतः यह हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम खुद भी जागरूक रहें और अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक करें ।

प्रतिदिन नए-नए तरह के साइबर अटैक्स इजाद हो रहे हैं और उनको रूप देने के लिए नए नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए; संस्था की नीति और कार्यप्रणाली को ध्यान मे रखते हुए इन अटैकस को विफल कर, अपनी संस्था की एवं हमारे ग्राहकों की सुरक्षा करनी चाहिये ।

इस आलेख का समापन मैं यह कहते हुए करना चाहूँगा कि -

"हम अपने कर्तव्यों का पालन कर के ही अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हैं ।"

'हरे प्रकाश उपाध्याय' एक तेजस्वी हस्ताक्षर

कश्मीर सिंह - सहायक महा प्रबन्धक, नोडल ऑडिट ऑफिस, हैदराबाद

"कविता में
कोई स्त्री चली आती है
तो हम उसकी जाति नहीं पूछते
उसका गोत्र, उसका धर्म, उसका ईमान, नहीं पूछते"

(नया रास्ता से ही)

'हरे प्रकाश उपाध्याय' मेरे विचार से एक चिर-परिचित नाम है, साहित्यिक क्षेत्र में । जब मैं 'उपाध्याय' जी का परिचय पढ़ रहा था तो 'पूत के पाँव पालने में ही दिख रहे थे और दिख रहे थे 'होन हार बिरवान के चिकने पात भी ।' कविता संग्रह "नया रास्ता" के कवर पेज पर ही अंकित है – "नई सदी के पहले दशक में उभरे कवियों में हरे प्रकाश उपाध्याय" एक तेजस्वी हस्ताक्षर हैं ।

वर्ष 2014 में भारतीय ज्ञानपीठ से ही आपका उपन्यास "बखेड़ापुर" प्रकाशित भी हुआ और ज्ञानपीठ युवा लेखन पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुआ है । यह उपलब्धि हरे प्रकाश उपाध्याय को साहित्य के क्षेत्र में स्थापित लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा करती है ।

'नया रास्ता', वर्ष 2021 में रश्मि प्रकाशन, से प्रकाशित आपका यह दूसरा कविता संग्रह है । इसमें कुल मिलाकर 50 कवितायें हैं । कुछ कवितायें बहुत लम्बी भी हैं और कुछ बहुत छोटी भी । लम्बी कविताएँ, लम्बी होकर भी विषयवस्तु से भटकती नहीं हैं और न ही पाठक को भटकने देती हैं। हरे प्रकाश उपाध्याय सीधे-सीधे व्यक्ति, समाज, परिस्थितियों और समस्याओं से रुबरू होते हुए पाठक को वास्तविकता के धरातल पर ले चलते है । श्री राकेश मिश्रा जी ने आपकी कविताओं के विषय में लिखा – 'उनकी काव्यानुभूतियाँ जीवन के खुरदरेपन का सौंदर्योपचार यानी कोस्मटिक ट्रीटमेंट नहीं करती, वरन जीवन को उसके वास्तविक रूप में महसूस करने के लिए अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों को उन्मुक्त और खुला छोड़ देने की पक्षधर हैं ।'

संग्रह के अंत में कुछ कविताओं के माध्यम से वे आपको कल्पनाओं के परीलोक में भी ले जाते हैं और रुमानियत के दरिया में गोते भी लगवाते हैं । ऐसा भी हो सकता है कि वे कवि के व्यक्तिगत अनुभव हों और यह भी सम्भव है, कि वे पीड़ाएँ मेरी और आपकी हों और उन पीडाओं का कागज पर यूँ उकेरना बस हमारे लिए ही हो ।

संग्रह में 'सम्प्रति' को ही मैं प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में देखता हूँ – हरे प्रकाश उपाध्याय अपने इस संग्रह का समर्पण माता-पिता, गुरु, या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं बल्कि एक भिन्न प्रकार से करते हैं जो आपकी विशिष्ट रचना धर्मिता का परिचायक है –

यह संग्रह, अपने ही उन दिनों को
जिन्होंने आग की तरह जलते हुए
तपाया मुझे और उन दिनों के दोस्तों को
जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया ।

संग्रह में अनुक्रमणिका को तरतीब का नाम दिया है और तरतीब के अनुसार पहली कविता 'अब यह देश' है । कवि इस कविता के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शासन और व्यवस्था पर सीधा संभाषण करता है ...

अब यह देश, एक ऐसा अँधा कुआँ है
जिसमें जब झाँकिये, किसी किसान की लाश तैरती हुई दिखती है
क्या एक दिन यह कुआँ, लाशों से पट जायेगा ?
यह सवाल कोई नहीं पूछता,
इस देश को अँधा कुआँ बना देने वाले लोगों को
किसी सवाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता

कवि शिक्षा, रोजगार, पलायन और रोजगार के नाम पर होने वाली ठगी को केन्द्रित कर 'नागरिक' कविता में इस दंश को भी कुछ यूँ उकेरता है ...

कई - कई शहरों में कई - कई बार गया
कहीं दोस्तों ने ही ठग लिया
कहीं उसके मालिकों ने ही मार लिया मेहनताना
कहीं बीमारी और मौत से लड़ते-लड़ते वह भागा
मारा-मारा फिरता रहा, एक अदद काम की तलाश में
पूरी जवानी की यही रही कहानी ।

इस कविता की अंतिम 3 पंक्तियाँ मुझे स्मरण कराती हैं श्री अमित धर्मसिंह, के हाल ही में प्रकाशित कविता संग्रह 'हमारे गाँव में हमारा क्या है ?' और इस संग्रह में इसी शीर्षक से प्रकाशित एक मार्मिक कविता की जो कई प्रश्न खड़े करती है उन सब से जो किसी न किसी गाँव से सम्बन्ध तो रखते हैं, पर उस गाँव में कहने के लिए उनका होता क्या है ?

'नया रास्ता' की ये तीन पंक्तियाँ भी इसी दर्द से कराहती हैं ....
कहने को मगर, है उसका भी एक देश
जहां कुछ भी नहीं है उसका ...

हरे प्रकाश उपाध्याय, की हर एक कविता अपने आप में अद्भुत है । एक कविता है ' क्या आप बता सकते हैं'.. । कुल मिलाकर सात दृश्य और

सात ही प्रश्न हैं इस कविता में । ये प्रश्न झकझोर देते हैं, हर उस व्यक्ति को जिसमें थोड़ी सी भी संवेदनाएं ज़िंदा हैं ....

क्या आप बता सकते हैं इन्हें विकास का अर्थ
क्या आप बता सकते हैं इन्हें नई शताब्दी का अर्थ
क्या आप बता सकते हैं इन्हें डिजिटल इंडिया के मायने
ये किस से करें 'मन की बात', क्या आप बता सकते हैं.. ?

जब मैं नया रास्ता को पढ़ रहा था तो, एक कविता पढ़ने के बाद दूसरी कविता उससे भी अच्छी लगती । न चाहते हुए भी मेरा मन किया कि हरे प्रकाश उपाध्याय, से पूछूं कि उन्हें इस संग्रह की कौन सी कविता सबसे अच्छी लगती है ? प्रश्न बहुत ही कठिन था और मुझे जो उत्तर मिला... आप भी पढिये..

“सर ! सभी कविताएं अलग संदर्भों पर है। कविता को मैं हालात पर टिप्पणी व उसके अनुभव के रुप में लेता हूँ। अब वह टिप्पणी या मेरा अनुभव कितना प्रमाणिक, सच्चा व छू जाने वाला है, यह तो उन कविताओं का पाठक ही बता सकता है। मेरे लिए तो सब मेरी अपनी ही टिप्पणियाँ हैं, जब जैसी स्थितियाँ रहीं। उनमें किसी को बेहतर कैसे कह सकता हूँ। हाँ, यह है कि जिन कविताओं में उस व्यक्ति या समाज की बात है, जो परेशान है, प्रताड़ित है, वे कविताएं मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं ।”

इनके इस कथन का साक्ष्य है यह कविता ... 'आम जन के लिए'

झूठ – मूठ का देश, झूठ – मूठ की संसद
झूठ – मूठ का संविधान, झूठ – मूठ की कचहरियाँ
झूठ – मूठ के थाने, झूठ – मूठ के बैंक
झूठ – मूठ के स्वर्ग
सचमुच के डंडे, सचमुच की फजीहत
सचमुच की जेलें, सचमुच की फाँसी
सचमुच के दुःख, सचमुच की भूख
सचमुच का नरक, सचमुच का जीवन ....

हरे प्रकाश उपाध्याय, एक गाँव में पैदा हुए - मैं भी एक गाँव में ही पैदा हुआ । ये जिस समाज में रहते हैं – आप भी रहते हैं उसी देश में, ये जिन गलियों से गुजरते हैं – कुछ अन्य बहुत सारे लोग भी गुजरे होंगे उन गलियों से, जो हरे प्रकाश उपाध्याय जी ने देखा, वह हम सब ने भी अवश्य देखा होगा । लेकिन – हम सब ने वह सब, बस देखा,...किन्तु हो सकता है कवि ने उसे जिया... आपकी कविता 'कभी गौर से देखो तो' का एक अंश ...

कुछ भालू टाई लगाए हुए अंडरशर्टिंग किये हुए
एक बुल्डोज़र पर सवार हैं, जो फसलों को रौंद्ता हुआ
आदिवासी झोंपड़ियों को गिराता हुआ, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है ....
किसान डरे हुए हैं, बिजूके मुआवज़ा थामे हुए हैं
ढहा आ रहा है आकाश..., काँप रही है ज़मीन ....

नया रास्ता में **'खंडहर'** शीर्षक से कुल **सात** कवितायें इस संग्रह में हैं । कविताएँ लम्बी हैं, पर सभी कवितायें अपने आप में जन, तंत्र, सत्ता, शासन, कुशासन और विद्रूपताओं के बहु-आयामी सन्दर्भों से भरपूर हैं । इन कविताओं से कुछ अंश ....

'खंडहर' – एक, जाति तोड़ो, तोड़ो जाति
सब कहते हैं तोड़ो जाति, छोड़ो जाति
सात दशक से देश आज़ाद है
सोचो सात दशक से देश आज़ाद है

'खंडहर' – तीन

अरे ये तो इधर, काला जादू चल रहा है
भयानक खंडहर व्यवस्था का, उसमें नये रंग-रोगन
रंगों के भरम में, कभी भीड़ इधर भागे
कभी भीड़ उधर भागे, मृग-मरिचिका अनवरत अविराम ।

'खंडहर' – छः

साहेब ने जारी किया फरमान, करो देश का विकास
फ़ाइलें बनाने लगे अधिकारी, होने लगी मीटिंगों पर मीटिंगें
अखबारों में छपने लगे आँकड़े, आंकड़ों में होने लगा विकास ।

मैनें आदम 'गोंडवी' और सुदामा पाण्डेय 'धूमिल' को पढ़ा । उनको पढ़ते हुए मुझे लगता था कि दोनों कवि दुष्यंत कुमार की परम्परा के पक्षधर थे और अब इस सलीब को ढोने वाला इस परम्परा का निर्वहन करने वाला शायद ही पैदा हो ।

हरे प्रकाश उपाध्याय को पढ़ता हूँ तो पाता हूँ कि यद्यपि आपकी इस कृति के प्रकाशन के साथ आपके लेखन पर कोई ठप्पा अभी नहीं लगाया जा सकता, तो भी मुझे विशवास हो रहा है कि आप उस परम्परा को आगे ले जाने वाले समर्थ कवि हैं... एक ही कविता 'जिन चीजों का कोई मतलब नहीं होगा' के ये अंश देखिये ...

इस विशाल भारत में, मैं हरमेश अपना भारत खोजता हूँ...
मैं अपने घर में रहता हूँ, दरअसल मैं अपने घर में नहीं
अपने भीतर रहता हूँ..., मेरे घर के बगल में कई घर हैं
दरअसल घर के भीतर भी कई घर हैं, सबके अपने-अपने घर हैं...

स्त्री के बिना न संसार की कल्पना की जा सकती है न समाज की । ठीक उसी प्रकार इस संग्रह की बहुत सी कविताओं में स्त्री विमर्श के दर्शन होते हैं किन्तु 'कविता में स्त्री' शीर्षक से प्रकाशित कविता ने स्त्री के यथार्थ का अनूठा प्रस्तुतिकरण किया गया है । देखिये...

“कविता में
कोई स्त्री चली आती है, तो हम उसकी जाति नहीं पूछते
उसका गोत्र, उसका धर्म, उसका ईमान, नहीं पूछते

हम उसका दुःख पूछते हैं, उसके प्रेम के बारे में पूछते हैं
हम उसकी रसोई में चले जाते हैं
और उसकी थाली में नाश्ता कर लेते हैं

मगर कविता के चौखट के बाहर,
ज्योंही वह रखती है पैर, हम उसे बंधक बना लेते हैं,
हम उसे घूँघट उढ़ा देते हैं, ज़रा पीकर तो दिखाए शराब,
जैसे कविता में पी रही थी, हम उस पर लात-घूंसे बरसा सकते हैं
करके तो दिखाये प्रेम, हम उसे खाप में बुला सकते हैं
करे तो मर्ज़ी से ब्याह,
हम उसे उसकी जाति-धर्म-औकात बता सकते हैं ।"

'दफ़्तर' शीर्षक से एक कविता है । यह कविता भारतवर्ष की कार्यालयीन परम्परा, व्यवस्था, और मानसिकता पर एक सशक्त और शास्वत अभिव्यक्ति है । चूँकि इतने सारे सलीब काँधे पर ले कर चलते हैं तो कतार भी लम्बी तो जरुर होगी और कतार जितनी लम्बी – कविता उतनी ही लम्बी होना निश्चित है... एक नौकरी पेशा व्यक्ति की मनोदश को कितनी सफलता से उकेरा गया है इन पंक्तियों में देखिये ..

__दफ़्तर__ न हो तो पैसा न मिले, पैसा न मिले तो केबल कट जाये
फिर ये साले रहें न रहें, भाड़ में जाये सब कुछ
गिरे शेयर बाज़ार, लुढ़के रुपैया ...

आज के दौर में विश्व का पचास प्रतिशत आदमी फेसबुक की आभासी दुनिया में खोया है । फेसबुक पर हर एक के एक हज़ार, दो हज़ार, पाँच हज़ार मित्र हैं और वास्तविकता के धरातल पर सब के सब भीड़ में अकेले खड़े हैं । इसी सन्दर्भ को लेकर एक कविता है 'फेसबुक' जो कविता तो छोटी है पर मायने बहुत रखती है ...

__दोस्त__ चार हजार नौ सौ सत्तासी थे,
पर अकेलापन भी कम न था
वहीं खडा था, साथ में, दोस्त दूर थे
शायाद बहुत दूर थे, ऐसा की रोने हँसने पर
अकेलापन ही पूछता था क्या हुआ ?

'आइना' शीर्षक से एक कविता है जो मुझे बहुत प्रिय है...हमें आइना दिखाती नज़र आती है ...लोग सोचते हैं हम आईने में खुद को देखते हैं पर वास्तव में 'आइना' आपका आप ही से परिचय करवाता है ......

__आईने__ में दिख रहे मनुष्य को देखो
वह बिलकुल आपकी तरह दिखता है
उस पर हँसो, वह आप पर हँसता है
आप बढ़ा लो दाढ़ी तो वह भी दाढ़ी बढ़ा लेता है...
आईने में दिख रहा मनुष्य, ज़रा सा भी आपसे कम नहीं
उसके सामने से हटो, वह भी आपके सामने से हट जाता है

'ख्याली पुलाव' शीर्षक से एक कविता जो शायद सबसे छोटी कविता है पर हमारे देश की सत्तर प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करती है । आजादी के 75 वर्ष बाद भी कितने घरों में एक समय चूल्हा नहीं जलता यह शोध का विषय है । भूख और कुपोषण से न जाने कितने लोग प्रतिदिन स्वर्ग (स्वर्ग- इसलिए कहा कि जीते-जी तो वे नरक में ही थे) सिधार जाते हैं उनके आँकड़े इस देश में नहीं बनते । आप भी पढ़िए ...

__न बर्तन हैं,__ न इंधन है, न राशन है न पानी
आओ ख्याली पुलाव पकाते है..., ख्याली पुलाव से पेट कैसे भरेगा ?
भरेगा पेट न सही, कम-से-कम मन तो बहल जायेगा ...

'फैसला', 'नया रास्ता', 'जीवन', 'चाहना', और **'दुःख'** छोटी कविताएँ हैं । छोटी हैं तो बस शब्दों में, पंक्तियों की गिनती में और किताब के पन्ने पर कब्जाए अपने हिस्से से । अर्थ में, मायने में, भावनाओं के सम्प्रेषण में ये कविताएँ पूर्णतया सक्षम हैं और समर्थ भी । 'नया रास्ता' जो कि संग्रह की शीर्षक कविता है मात्र आठ पंक्तियों की कविता है...पर किसी भी अन्य कविता से कमतर नहीं ....

__"जब__ सारे जाते हुए रास्ते बंद हो जाते हैं
तो आदमी एक नये रास्ते के बारे में सोचता है
एक नये रास्ते के बारे में सोचता हुआ आदमी
एक नये प्रयास के बारे में सोचता है

'चाहना' भी मात्र छह पंक्तियों में सम्प्रेषित कविता है लेकिन यह स्वयं में सम्प्रभु एवं सम्पूर्ण कविता है ...

कविता क्या चाहती है, जानना मुश्किल है
पाठक है कि कविता से जीवन का मतलब पाना चाहते हैं
कवि है कि यश चाहते हैं
आप हैं कि कविता से समाज बदलना चाहते हैं
समाज है कि कविता से गुड़ी – मुड़ी बैठा है ...

'कविता में स्त्री', 'अधूरे प्रेम का अँधेरा', 'बसंत की यह रात', 'तुम्हारा नाम', 'पहला मिलन', 'जीवन निधि', 'तुम्हारी हँसी' और 'चन्द उलाहने' ये कुछ ऐसी कवितायें हैं जो प्रेम, विरह, बिछोह, समर्पण और पीड़ा की निधियां हैं । आवश्यक नहीं हैं कि ये कवि की व्यक्तिगत भावनाएँ, संवेदनाएं हों और यदि हैं भी तो कविता पुस्तक में छपने और लोकार्पित हो जाने के बाद, कवि की रहती ही कहाँ है ? वे अभिव्यक्तियाँ तो लोक की हो जाती हैं, समाज की हो जाती हैं, मेरी और आपकी हो जाती हैं । मेरी कलम तो चाहती है कि हर एक कविता के बारे में लिखता ही चला जाऊं, फिर मन कहता है कि आपके लिए भी तो कुछ छोड़ूं । **हरे** प्रकाश उपाध्याय, का यह कविता संग्रह अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, पाठकों को पसंद भी आएगा और लेखन के नये आयामों से परिचित भी कराएगा। **हरे** प्रकाश उपाध्याय के पास एक अद्भुत और पैनी दृष्टि है, सम्यक दृष्टिकोण भी है और लीक से हटकर अभिव्यक्ति के सम्प्रेषण का हुनर भी। नई सदी के इस **तेजस्वी हस्ताक्षर** को मेरी अनंत शुभकामनाएं ।

वित्तीय साक्षरता : हर-एक के लिए बैंकिंग

नगेंद्र कुमार सिंह - प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

मेहनत करें, कमाएँ धन ।
शिक्षित बनें, बचाएँ धन ॥

वित्तीय साक्षरता से तात्पर्य लोगों को आर्थिक रूप से समृद्धशाली एवं जागरूक बनने के क्रम में शिक्षित व ज्ञानवर्धित करना तथा उनकी वित्तीय जरूरतों को स-समय पूरा करने का मार्ग बताना है । भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए कई प्रयास किए जाने के उपरांत भी बैंकिंग से जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ी आबादी अब भी शेष बची हुई है। आइएमएफ विश्व अर्थव्यवस्था आउटलुक (अप्रैल 2021) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति निवल वार्षिक आय रु. 1,41,000 दर्ज की गई है, जो कि कोविड महामारी के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट को दर्शाती है । जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति निवल वार्षिक आय के आकड़ों की उठापटक के बीच यह विचारणीय है कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है एवं साथ ही उनके रहन-सहन की स्थिति भी सुधर रही है, लेकिन वे फिर भी बैंकों से जुड़ने में विफल क्यों हैं ? आखिरकार आज भी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लेनदेन का माध्यम बैंक क्यों नहीं बन रहा है? – लोगों में जागरूकता का अभाव इसका एक कारण हो सकता है । बैंकिंग सुविधाएँ दिए जाने से तात्पर्य सिर्फ बैंक में खाता खुल जाने भर से पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विमोचित उत्पादों / योजनाओं से ग्राहकों को परिचित करवाना एवं उन्हें उसका लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित / मार्गदर्शित करना भी बैंकों के लिए एक अनिवार्य शर्त है । आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी, हमें अब तक बैंकिंग से एक बड़ी आबादी को जोड़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है । जिसके कई मूलभूत कारण हो सकते हैं – जिन पर आगे चर्चा की जाएगी । वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए एक कुशल कार्यनीति की अनिवार्यता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी । इस दिशा में भारत सरकार वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-2024 बनाकर, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है । इस कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती तरीके से पहुँच सुनिश्चित करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना तथा गहन करना एवं वित्तीय साक्षरता व उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है ।

वित्तीय समावेशन देश को गरीबी से निजात दिलाने में कारगार साबित हो रहा है । इसके माध्यम से गरीब और समाज के वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है । गरीबी सिर्फ हमारे देश की ही मुख्य एवं एकमात्र समस्या नहीं है, विश्व के अनेकों देश भी गरीबी से परेशान हैं और उससे उभरने के लिए प्रयासरत हैं । इसी क्रम में विश्व के लगभग सभी देशों ने वित्तीय समावेशन को अपनाया और साथ ही वे अपने नागरिकों को बैंक से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं । पिछले वर्ष फिलीपींस के केंद्रीय बैंक ने अपना सर्वे जारी किया था – जिसमें बताया गया कि वह पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश में वर्ष 2007 में वित्तीय समावेशन के लिए एक पूर्णरुपेण समर्पित कार्यालय स्थापित किया था। क्योंकि उसके देश में 72 मिलियन युवा आबादी होने के बाद भी 50 मिलियन व्यक्ति बैंक से नहीं जुड़ पाए थे । आगे उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि उनमें से लगभग आधी आबादी (45%) के पास बैंक में खाते नहीं थे जिसका मुख्य कारण उनके पास पर्याप्त राशि का न होना था । अधिकतम नागरिकों का बैंकों से न जुड़ने का मुख्य कारण उनके पास आय का स्रोत न होना बताया गया था । वास्तविक रूप से वित्तीय समावेशन की शुरुआत लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से होती है । ब्रिटिश अनुसंधान प्लैटफार्म मर्चेंट मशीन, 2021 द्वारा विश्व के अधिकतम देश की आबादी का बैंक से न जुड़े होने संबंधी डाटा प्रकाशित किया गया है । उनकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर छ: ऐसे देश हैं, जहाँ आज भी उनकी आबादी की 60% से अधिक की जनसंख्या बैंक से नहीं जुड़ पायी है :

देश	आबादी	अनबैंकड व्यक्तियों की प्रतिशतता
मोरोक्को	36.9 मिलियन	71 %
वियतनाम	97.3 मिलियन	69 %
मिस्र	102.3 मिलियन	67 %
फिलीपींस	109.6 मिलियन	66 %
मैक्सिको	128.9 मिलियन	63 %
नाइजीरिया	206.1 मिलियन	60 %

आगे उस रिपोर्ट में विश्व स्तर के सात ऐसे देशों का जिक्र भी किया गया है, जिन पूरी थो देश की आबादी के प्रत्येक व्यक्ति के पास बैंक में खाते हैं और वे अधिकतम लेनदेन एटीएम एवं डिजिटल माध्यम से करते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं –

1) ऑस्ट्रेलिया
2) कनाडा
3) डेनमार्क
4) नीदरलैंड
5) फिनलैंड
6) स्वीडन
7) नार्वे

उपर्युक्त उद्धृत रिपोर्ट में भारत में अनबैंकड लोगों की प्रतिशतता पर प्रकाश डाला गया है जिसके अनुसार भारत की कुल आबादी की 20% जनसंख्या आज भी बैंकिंग सुविधाओं से महरूम है । हमारे देश के महज 32% आबादी प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से लेनदेन कर रही है । इन आंकड़ों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में विश्व के कई देशों से अवश्य बेहतर हैं । पर यह आंकड़ें हमारा ध्यान उस ओर भी आकर्षित करते है कि शेष जनसंख्या को किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ा जाए, कैसे उन्हें भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए। इसका साधारण-सा उत्तर की है – लोगों को वित्तीय साक्षर कर हम उन्हें बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए जागरूक कर सकते हैं। डॉक्टर सी. रंगराजन, आरबीआइ वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि "वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, किफ़ायती लागत पर कम आय वाले समूहों एवं असुरक्षित वर्गों जैसे कमजोर समूहों के लिए समय पर और पर्याप्त क्रेडिट की उपलब्धता करवाना है ।" वित्तीय समावेशन भारत सरकार द्वारा पोषित एवं पल्लवित एक ऐसी योजना है जो गरीब एवं वंचितों को कम लागत में वित्तीय लाभ दिलाने के लिए निर्मित की गई है। वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना एक वांछनीय आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पाँच वर्गों को साक्षर करने पर बल देना अनिवार्य-सा लगता है:

1) किसान : भारत जो कि मूलत: एक कृषि प्रधान देश है । सरकारी ऑकड़ों के अनुसार अभी भारत में किसानों की जनसंख्या लगभग 150 मिलियन के करीब है । माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2019 को विमोचित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक करीब 12 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं । इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष रु. 6,000 न्यूनतम आय के रूप में सीधे उनके बैंक के खाते में अंतरित किए जा रहे हैं । यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब करोड़ों किसान सीधे किसी योजना के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं । अब भी अनेकों किसान शेष हैं, जिनका बैंक में खाता नहीं है और अमूमन वे इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं । किसानों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएँ समय – समय पर बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य हर वर्ग के किसानों को लाभान्वित करना होता है । बैंकों के पास किसानों के द्वारा खेत में फसल बोने से लेकर उनकी फसल मंदी में बिक जाने तक के समय के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली कई योजनाएँ उपलब्ध हैं । आइए इस वर्ग के उत्थान एवं सहायता के लिए बैंकों द्वारा किए जा रहे कुछ प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं:

क) किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) – यह योजना मुख्य रूप से फसल ऋण आवश्यकताओं के लिए और आंशिक रूप से उपभोग प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं । इसका उद्देश्य किसानों को उनके आकस्मिक खर्चों के अलावा उत्पादन ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान करना है तथा जब भी आवश्यकता हो सम्बद्ध गतिविधियों से जुड़ें खर्च हेतु सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है । केसीसी उधारकर्ताओं को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाता है । केसीसी के तहत अल्पावधि सीमा का 10% घरेलू उपभोग के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु उपभोग व्यय के लिए अधिक धनराशि का प्रयोग करने से बचना चाहिए । किसान यदि केसीसी लिमिट का प्रयोग घरेलू व्ययों पर अधिक करेंगे तो इससे आय सृजित करने की उनकी क्षमता पर असर पड़ेगा और वह अपने ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे ।

ख) फसल ऋणों को त्वरित रूप से चुकाने के फायदे – हमारे अनेक किसान अब भी तत्काल नकदी की आवश्यकता पड़ने पर सेठ – साहूकारों से उच्च ब्याज - दर पर या अपनी संपत्ती को उनके यहाँ बंधक रखकर ऋण लेते हैं । जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती ही है और कुछ वर्ष के अंतराल पर आस्ति भी हाथ से निकल जाती है । किसानों को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार द्वारा समय – समय पर घोषित ब्याज रियायत योजना के अनुसार, बैंक से ऋण लेने और ऋण की बैंक द्वारा निर्धारित समय से चुकाने पर 4% ब्याज देय होता है ।

ग) कृषि उत्पाद की मजबूरन बिक्री से बचें – भले ही आपकी फसल खेतों में लहलहा रही हो, लेकिन तब तक वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होती, जब तक आप उसे अच्छे मूल्य पर बेच नहीं देते । यदि आपको लगता है कि आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो गोदाम रसीदों के बदले माल गोदाम में अपने उत्पाद को सुरक्षित रखें और अपनी तत्काल जरूरतों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करें और उससे अपनी जरूरतों को पूरा करें । ध्यान रखें बिना उचित लाभ के, अपनी फसल को किसी को न बेचें ।

घ) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) – इस योजना के तहत, फसल के नुकसान के बदले व्यापक बीमा कवर प्रदान किया जाता है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है । प्रीमियम की दरें काफी कम होती है – रबी फसल के लिए बीमा राशि अधिकतम 1.5% और खरीफ फसल के लिए बीमा राशि 2% तथा वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा राशि का 5% तक के प्रीमियम पर किसानों के लिए उपलब्ध है । यह योजना विशिष्ट मामलों में फसलोत्तर जोखिम सहित फसल

चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करता है । इस योजना के तहत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जाता है । भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों / केसीसी प्राप्त किसानों के लिए पीएमएफबीवाई लेना अनिवार्य होता है । इस योजना के आने से किसानों को मौसमी आपदाओं के कारण हुए फसलों के नुकसान से बचने में सहायता मिल रही है ।

ड़) प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान – प्राकृतिक आपदाएँ अप्रत्याशित होती हैं और वे हर हाल में नुकसानदेह ही होती हैं । प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि आपकी फसल खराब हो गई हो तो घबराए नहीं बल्कि अपने बैंक को फसल से संबन्धित नुकसान के बारे में सूचित करें । यदि केंद्र / राज्य सरकार आपके क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, ओला – वृष्टि, शीतलहर आदि से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती तथा आपकी फसल की हानि का आकलन 33% या उससे अधिक है तो आपको ऋण भुगतान अवधि में कुछ रियायत मिल सकती है, इसके लिए आपने जिस बैंक से ऋण लिया है, उनसे संपर्क कर सकते हैं ।

2) उद्यमी:

भारत के जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र (उद्योग + सेवा क्षेत्र) का लगभग 75% योगदान होता है । यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो वृहत्त स्तर पर रोजगार सृजन करता है । इस क्षेत्र की प्रगति के साथ देश के आर्थिक विकास का इंजन जुड़ा हुआ है । भारतीय उद्योगों के समुचित विकास एवं पुनर्रुत्थान के लिए वित्त मंत्रालय / आरबीआई द्वारा समय – समय पर अनेक निर्णय लिए जाते हैं और उसी आधार पर बैंकों को योजना के अनुपालन / कार्यान्वयन हेतु निर्देश दिए जाते हैं । उद्यमियों को व्यवसाय सुचारु ढंग से चलाने के लिए निधि की आवश्यकता होती है । उन्हें नई मशीन, कच्चे माल, प्रशिक्षित श्रमिक, भरोसेमंद ग्राहक की हमेशा जरूरत पड़ती है । वे अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण के द्वारा करते हैं । छोटे – छोटे उद्यमी जो कारोबार की दुनिया में नई शुरुआत कर रहे हैं । उन्हें बैंकों द्वारा दी जानी वाली कारोबार संबंधी सुविधाओं की जानकारी न के बराबर होती हैं । उनके पास अच्छा दृष्टिकोण होता है, पर वे धन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते । कुछ कारोबारी एक बार धन की व्यवस्था कहीं से करके आगे बढ़ जाते हैं किंतु आगे चलकर व्यवसाय में आने वाले व्यवधान को झेल नहीं पाते और हतोत्साहित होकर, व्यवसाय करना बंद कर देते हैं । ऐसे कारोबारियों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके मुश्किल समय में मदद करने के लिए बैंकों के पास बहुत कुछ होता है । आइये जानते हैं ऐसे कारोबारियों की मदद बैंक कैसे कर सकता है :

क) संपार्श्विक बिना ऋण – कारोबार में लाभ व हानि सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है । व्यवसाय में लगातार हानि होने से निराश होकर, कारोबार पर ताला लगाकर, अपनी प्रगति को रोक देना किसी भी तरह से उचित नहीं होता है । किसी ने ठीक ही कहा है – 'जो बाजार में टिका रहता है, वही कामयाब होता है ।' कारोबार को सतत रूप से चलाकर ही हानि से उभरा जा सकता है । बहुत बार ऐसा होता है कि देनदार राशि का भुगतान करने में विलंब कर देते हैं और उद्यमी के पास इतना नकद नहीं होता हैं कि वह आवश्यक कच्चा माल खरीद सकें और व्यवसाय को जारी रख सकें । क्या आपको पता है, उद्यमियों को बैंक बिना संपार्श्विक (Collateral free) के भी ऋण देता है । ऐसे उद्यमियों के लिए सीजीटीएमएसई योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा सकता है । सीजीटीएमएसई योजना के तहत बैंक बिना किसी संपार्श्विक और गारंटर के ऋण प्रदान करता है । सीजीटीएमएसई रु. 200 लाख तक के लिए कवर की सुविधा प्रदान करता है ।

ख) सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) – कृषि से इतर कारोबार करने वाले उद्यमी बैंक से कार्यशील पूंजी और मियादी ऋण आवश्यकताओं दोनों के लिए जीसीसी के रूप में ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । कार्ड की सीमा मूल्यांकन के आधार पर मामले दर मामले पर विचार करने के उपरांत बैंक द्वारा तय की जाती है । उद्यमी इस तरह की सेवाओं से अपने कारोबार को निखार सकते हैं । जीसीसी पर बैंकों द्वारा कम ब्याज भी लिए जाते हैं और एक ग्राहक के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी होती हैं कि किसी भी तरह का ऋण लेते समय प्रभार संबंधी जाँच अवश्य कर लें ।

ग) ऋण आवेदन प्रक्रिया – सबसे पहले उद्यमियों को चाहिए कि अनुमानित धन की आवश्यकता संबंधी विवरण तैयार करें । तत्पश्चात, जिस बैंक से वह कारोबार कर रहे हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऋण के लिए आवेदन करें और बैंक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दें । उसके बाद बैंक के निर्णय की प्रतिक्षा करें और साथ ही आपका ऋण स्वीकृत हुआ या नहीं, संबंधित बैंक के पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए आवेदन को ट्रैक करें ।

घ) ऋण आवेदनों को निपटान के लिए बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा – बीसीएसबीआई ने ऐसे ऋण आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जो सभी मामलों में पूर्ण है और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं । ऐसे बैंक जो बीसीएसबीआई के सदस्य हैं, उन्हें निम्नलिखित समय – सीमा के भीतर एमएसएमई संबंधी प्राप्त ऋण के आवेदनों का निपटान करना होगा :

- रु. 5 लाख तक के नए ऋण सीमा या मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि : 2 सप्ताह
- रु. 5 लाख से अधिक और रु. 25 लाख तक की ऋण सीमा के लिए : 3 सप्ताह
- रु. 25 लाख से अधिक की ऋण सीमा के लिए : 6 सप्ताह

३) स्कूली छात्र : बच्चे हमारे भविष्य के लिए मुख्य जमा पूँजी होते हैं । अभिभावक अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं । माता-पिता अपने बच्चों के भावी भविष्य के लिए बहुत से सपने संजोते हैं और उसे पूरी करने के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देते । आजकल उच्च स्तरीय शिक्षा / पेशेवर डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों की फीस आसमान छू रही है । माता – पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके बाल्यकाल से ही बचत करना शुरू कर देते हैं । "बचत" यह बहुत अनिवार्य होता है, बुरे दिनों में / आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक तंगी से बचने के लिए । हर व्यक्ति के पास 'इमरजेंसी फंड' के रूप में कुछ न कुछ राशि अवश्य होनी चाहिए । बचत एक बहुत ही अच्छी

आदत होती है । जिसे हमें अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही सिखाना चाहिए । आइये बच्चों में बचत संबंधी आदतें विकसित करने के कुछ विशेष तरीकों को समझते हैं –

क) आवश्यकताएँ बनाम इच्छाएँ – पैसों के कारगार प्रबंधन की पहली सीढ़ी है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच के अंतर को समझने की हमारी क्षमता । आवश्यकताओं को टाला नहीं जा सकता, पर इच्छाओं की पूर्ति अनिवार्य नहीं है । इच्छाओं को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, उन्हें कभी और भी पूरा किया जा सकता है । जब हम आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीख जाएंगे तभी हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे । हमें अपना मासिक बजट बनाना चाहिए । जिससे हम अपनी आय और व्यय का संतुलन रख सकें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा खर्च हमारी आय से कम हो । खर्च के बाद बची हुई राशि का निवेश किया जा सकता है ।

ख) बैंकिंग से परिचय – बच्चों को बैंक के बारे में बताएँ । उन्हें बताए कि बैंक का मूल काम – जमा लेना और ऋण देना होता है । बैंक अव्यस्कों से लेकर व्यस्कों तक के हर उम्र के व्यक्ति के लिए बचत खाता खोलता है । किसी भी आयु के अव्यस्क द्वारा अपने अभिभावक अथवा विधिक रूप से नियुक्त संरक्षक के माध्यम से बचत खाता खोला जा सकता है । 10 वर्ष से अधिक आयु वाले अव्यस्कों की यदि इच्छा हो तो उन्हें अपना खाता स्वयं खोलने और परिचालित करने की अनुमति है । स्कूली छात्रों के संज्ञान में लाए कि बैंकों में बचत खाते के अतिरिक्त चालू खाता, सावधि जमा, मियादी जमा आदि खाते भी खोले जाते हैं । वयस्क व्यक्तियों को विभिन्न तरह (वैयक्तिक, वाहन, आवास, शिक्षा, कृषि ऋण) के ऋण प्रदान किए जाते हैं । भविष्य में तरक्की करने के लिए, उन्हें बैंक से जुड़ने की आदत सही समय पर डाले ।

ग) निवेश एवं बीमा के तरीके से परिचय – सभी व्यक्तियों को भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए । निवेश एक छोटे से पौधे की तरह होता है, यदि उसका नियमित रूप से ख्याल रखा जाए, तो भविष्य में उससे फल प्राप्ति की संभावना प्रबल हो जाती है । परंपरागत रूप से निवेशक अपनी राशि स्वर्ण, जमीन और रियल एस्टेट में लगाते हैं । हाल ही में, स्टॉक मार्केट एवं म्युचुअल फंड में राशि लगाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है । ध्यान रखें शेयर मार्केट शुरू से ही जोखिम भरा रहा है, कहीं भी निवेश करने के पहले पेशेवर सलाहकार से मिले, कंपनी से संबंधी कागजातों को ध्यान से पढ़ें, तब जाकर निवेश करें । हाल ही के दिनों में, यह देखा गया कि शेयर बाजार / म्युचुअल फंड कंपनियों ने ग्राहकों को काफी बेहतर रिटर्न दिया है । बीमा हमेशा बुरे दिनों का सहारा बनता है । बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी तब आय की निरंतरता हेतु योजना बना सकता है जब कुछ घटनाओं जैसे कि विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना से उसकी आजीविका अर्जित करने की क्षमता बाधित होती है । पेंशन जो कि बुढ़ापे का सहारा बनता है । पेंशन के लिए भी निवेश करना अनिवार्य है । जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, यदि उस हिसाब से सेवानिवृत्ति के लिए एक बड़ा कॉर्पस न तैयार किया जाए तो भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं । पेंशन फंड तैयार करने के लिए एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) से जुड़ा जा सकता है । यह स्वैच्छिक आधार पर 18 से 60 वर्ष के आयु के नागरिक के लिए उपलब्ध है । वार्षिक आधार पर न्यूनतम राशि रु. 500 जमा की जा सकती है । जब कोई सेवा निवृत्त हो जाएगा, तो धन का एक हिस्सा उन्हें मिल जाएगा और शेष मासिक आधार पर पेंशन के रूप में मिलेगा ।

4) वरिष्ठ नागरिक : 60 वर्ष की नौकरी करने के पश्चात, हर व्यक्ति एक सुकून वाली जिंदगी जीने की चाहत रखता है । सेवा निवृक्ति के पूर्व आपने जो निवेश किया है, उसी के सहारे आने वाले समय को बिताना है । सेवा निवृक्ति के समय एक बड़े कॉर्पस फंड के साथ कर्मचारी रिटायर होते हैं । उन्हें अपने जीवन भर की पूँजी को सहेज कर रखना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार खर्च करना चाहिए । सेवा निवृत्त हुए लोगों को भी वित्तीय रूप से साक्षर होना अनिवार्य हैं –

क) लुभावनी योजनाओं से बचें – धोखाधड़ी करने वाले लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि सेवा निवृत्ति के समय आपको एकमुश्त बड़ी राशि प्राप्त हुई है । वे आपको बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज राशि की तुलना में अधिक ब्याज देने का वचन देते हैं और आपके मेहनत की कमाई को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं । आपको पेशेवर ढंग से धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति का फोन आता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, इसे अनब्लॉक करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, जिसे साझा करने के लिए निवेदन किया जाता है और जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, सेकेंडों में आपके खाते से सारी रकम अंतरित कर ली जाती है । इसलिए सतर्क रहें, किसी के साथ भी अपने खाता संबंधी गोपनीय विवरण यथा एटीएम कार्ड का सीवीवी, कार्ड संख्या, ओटीपी आदि साझा न करें । भरसक प्रयत्न करें कि लुभावनी योजनाओं के शिकार होने से बचा जाए ।

ख) शिकायत दर्ज करें – यदि आपको कोई लुभावनी योजना संबंधी कॉल या मैसेज आता है तो उसकी रिपोर्टिंग विनियामक संस्थाओं को करें । विधिवत शिकायत दर्ज करें एवं उसे ट्रैक करें । अपने विनियामक संस्थाओं एवं अपने अधिकारों के बारे में अद्यतित रहें ।

ग) पेंशनर – रिटायरमेंट के बाद, यदि आप पेंशनर हैं तो आपके लिए खुश रहने का यह एक मुख्य कारण बनता है । हर साल नवम्बर में अपनी बैंक शाखा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना न भूलें । आधार एवं मोबाइल का प्रयोग करके भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । आप अपने पेंशन खाते को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं ।

5) स्वयं सहायता समूह : ऐसे समूहों के द्वारा ग्रामीण जनों का बहुत हद तक कल्याण हो रहा है । 5 से 20 लोग मिलकर स्वयं सहायता समूह गठित कर सकते हैं और बैंक में बचत खाता खोलने के लिए निवेदन कर सकते हैं । स्वयं सहायता समूहों का खाता बैंक जिस दस्तावेजों को आधार बनाकर खोलता हैं एवं और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती है, इसके लिए उन्हें निम्नलिखित रूप से वित्तीय साक्षर होना अनिवार्य है –

क) बचत और ऋण की सुविधा – बैंक में स्वयं सहायता समूह का एक साथ आने का उद्देश्य साफ है कि वे सामूहिक रूप से बचत और ऋण की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं । बैंक में खाता खोलने के लिए सभी सदस्यों का

केवाइसी होना अनिवार्य नहीं होता है, सिवाय समूह के पदाधिकारी के । स्वयं सहायता समूह के लिए खाता खोलने के लिए पदाधिकारियों द्वारा पारित 'संकल्प' होना चाहिए । इन समूहों को बैंक बिना संपार्श्विक के ऋण प्रदान करती है ।

ख) एसएचजी के सिद्धांत – एसएचजी के मूल पाँच सिद्धांत हैं – आवधिक बैठकें, आवधिक बचत, नियमित आंतरिक उधार, नियमित चुकौती एवं बही खाता रखना । स्वयं सहायता समूहों को इन सिद्धांतों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है ।

ग्राहकों को वित्तीय साक्षर होने के साथ –साथ यह जानकारी भी होनी चाहिए कि यदि उनके अधिकारों का कोई हनन करता है तो वे उसकी शिकायत उचित प्लैटफ़ार्म पर कर सकते हैं । सभी बैंकों के पास ग्राहक शिकायत निवारण संबंधी पोर्टल होती है एवं इसके अतिरिक्त ग्राहक अपनी शिकायत संबन्धित शाखा को भी लिखित या मौखिक रूप से कर सकते हैं । ग्राहकों को बैंक से यह अपेक्षा होती है कि उनके अभ्यावेदन / शिकायत पर समय से कार्यवाही होगी और उनकी समस्या का अवश्य निदान कर दिया जाएगा । बैंक से प्राप्त जवाब से ग्राहक संतुष्ट न होने पर बैंकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । बैंक ग्राहकों को शिकायत मुक्त बैंकिंग प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है ।

निष्कर्ष : वित्तीय समावेशन पर विचार – विमर्श करने की आवश्यकता तब तक महसूस की जाती रहेगी, जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएँ न पहुँच जाए अर्थात अनबैंकड लोगों को बैंक से न जोड़ दिया जाए । बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न सरकारी उत्पादों एवं योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों के खाते तक अवश्य रूप से पहुँच रहा हो । वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बैंक से जुड़े हुए लोगों को बिचौलिए एवं संभावित धोखाधड़ियों से भी बचाया जा सकता है । मूलत: किसान, उद्यमी, स्कूली छात्र, वरिष्ठ नागरिक एवं स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । साथ ही बैंकिंग क्षेत्र की व्यापकता किसी से छिपी नहीं है, जिससे परिचय करवाने के लिए लोगों को वित्तीय साक्षर करना अनिवार्य है । संभावित ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि बैंक उनके मुश्किल की घड़ी में वित्तीय सहायता करने के लिए उनके साथ-साथ कदम से मिलाकर खड़ी है और साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा कि उनके द्वारा बचाए गए पैसे ही, उनके मुश्किल के दौर में काम आते हैं । एक कुशल बैंकर को सदैव अपने आसपास के परिवेश से जुड़ाव रखना चाहिए एवं किस तरह से लोगों से जुड़ा जाए / संपर्क साधा जाए उसके अवसर तलाशने चाहिए । अत: अनबैंकड क्षेत्र में बैंकों द्वारा ग्राहकों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए बैठक / संगोष्ठी आदि का आयोजन करने पर विचार किया जा सकता है । बैंक वित्तीय साक्षरता अभियान हेतु मासिक रूप से शाखा स्तर पर आयोजित ग्राहक बैठक का भी लाभ उठा सकते हैं। 'भारत का हर नागरिक बैंक से जुड़ा हो' – यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है ।

कविता

फ़ीस हुई बीमारी और शिक्षा ठेकेदारी

भई बहुत बढ़ी महंगाई है ,
सबसे हिट हुई पढ़ाई है
हज़ार का मोल हुआ राख़ है,
सिक्के तो अब हो गए खाक हैं ।

कहे कवि सुनो भाई साधो
कर नेतागीरी पैसा खूब कमाया है
काले धन का अंबार हमने लगाया है
एक सज्जन ने उपाय खूब सुझाया है
खोल स्कूल की दुकान कारोबार जमाया है

हैं हम अंगूठा छाप तो क्या पैसे में हमारे दम है
हमारे नए स्कूल मे इंटरनेशनल कुर्रीकुलम है
बचपन मे सुना था जुआ सट्टा गंदी बात
पर अब लॉटरी बेसिस पर होगी पढ़ाई की शुरुआत

कहाँ होता अब घोर आनंद है
सोने चाँदी के भाव से बढ़ता फ़ीस का ग्राफ है
पढ़ाई के नाम पर हमें सब कुछ माफ है
आरडी मे भी नहीं मिलेगा 10% इन्टरेस्ट
पर हर साल स्कूल की फ़ीस बढ़ेगी 100 प्रतिशत

संस्कृति को बना दिया हमने अब एलीट कल्चर है
चील कौवे कम हुए तो क्या हम नए वल्चर हैं
परेशान न होईए माता पिता अभिभावकगण महान
बच्चे बाहर बन के निकलेंगे ब्रांड नहीं रहेंगे वो साधारण इंसान।

आप के सपनों की लगाई हमने दुकान
तो क्या हुआ गर पढ़ाई का लगाया हमने दाम
डॉक्टर इंजीनियर जो चाहिए हम बनाएँगे
अगर हमारे कहे पर आप जेबें ढीली करते जाएंगे ।

सौम्या श्रीवास्तव
सहायक प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय पुणे

सोलह शताब्दियों की गाथा - हागिया सोफिया

नेहा रंजन - सहायक प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

गतांक से आगे ...

इस अंक में हम बात करेंगें कि किस प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हुए कब्ज़े ने हागिया सोफिया के इतिहास को प्रभावित किया और चर्च के रूप में स्थापित इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को एक प्रसिद्ध मस्ज़िद में बदल दिया ।

12 दिसंबर 1452 को इसिडोर ऑफ कीव ने हागिया सोफिया में पश्चिमी कैथोलिक और पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों के बीच लंबे समय से प्रत्याशित और अल्पकालिक ईसाई धर्म से संबंधित एक संघ की घोषणा की थी। इस संघ के निर्माण का निर्णय 06 जुलाई 1439 को पोप इयुजीन IV द्वारा जारी लाइटेंटुर कैलि नामक सार्वजनिक फरमान के मद्देनज़र लिया गया था । बीजान्टिनों के बीच संघ इतना ज्यादा अलोकप्रिय था कि उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के संरक्षक को उनके संघ समर्थक रुख के लिए निष्कासित कर दिया था। ग्रीक इतिहासकार डौकास के अनुसार, *"हागिया सोफिया की छवि इन कैथोलिक संघों की वजह से खराब हो गई थी और संघ-विरोधी रूढ़िवादी लोग इसे राक्षसों का अड्डा और रोमन बुतपरस्ती का "हेलेनिक" मंदिर (नारकीय मंदिर) मानते हुए इससे अलग ही रहा करते थे ।"*

आइए अब हम जानते हैं कि आखिर कॉस्टिंटिनोपोल के पतन और 1453 में सुल्तान महमद II द्वारा इस शहर पर कब्ज़े का इतिहास क्या है और इसने हागिया सोफिया को किस तरह से प्रभावित किया । 29 मई 1453 को कॉस्टिंटिनोपोल का पतन हुआ । इसी दिन सुल्तान मेहमद II के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य ने बीजांटीन साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा किया था | सुल्तान ने 53 दिनों की घेराबंदी कर इस शहर पर विजय प्राप्त की और कॉन्स्टिनोपोल को ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी घोषित किया । इतिहासकारों द्वारा बीजांटीन साम्राज्य के पतन और सुल्तान की जीत को मध्यकाल के अंत के रूप में दर्शाया गया है ।

इस आलेख के पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि 330 में रोमन सम्राट कॉन्सटेंटाइन द ग्रेट ने सत्ता पर आधिपत्य करने के पश्चात कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी राजधानी बनाया था । अगली ग्यारह शताब्दियों तक इस शहर पर कई आक्रमण हुए जिनमें से नीका विद्रोह, चौथा धर्मयुद्ध , आदि प्रमुख थे । समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ष 1346 और 1349 के बीच ब्लैक डेथ नामक महामारी (जिसके संबंध में हमने पिछले अंक के विशेष आलेख 'महामारी दर महामारी : एक विश्लेषण' में विस्तार से चर्चा की थी) के फैलाव ने कॉन्स्टंटिनोपोल की लगभग आधी आबादी को मौत की नींद में सुला दिया । वर्ष 1450 तक आते - आते साम्राज्य आर्थिक व राजनैतिक रूप से काफी जर्जर हो चुका था । जहाँ एक ओर कॉन्स्टंटिनोपोल शहर आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा था वहीं दूसरी ओर कॉन्स्टंटिनोपोल की सत्ता को हासिल करने की जिद के साथ ऑटोमन शासक मेहमेद द्वितीय ने उन्नीस वर्ष की उम्र में अपने पिता की सत्ता विरासत में संभाली । जब 1451 में उन्नीस वर्ष की आयु में मेहमेद द्वितीय तख़्त पर बैठा तो यूरोप के कई देशों ने इस कम उम्र के बादशाह द्वारा तख्त संभालने पर जश्न मनाया, क्योंकि उनका मानना था कि इस युवा शासक द्वारा ईसाई आधिपत्य को कोई खतरा नहीं है और उसकी अनुभवहीनता ऑटोमन्स को भटका देगी। लेकिन मेहमेद के कम उम्र का उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही मेहमेद द्वितीय ने अक्टूबर 1452 में अपने सहयोगी तुरखान बेग को पेलोपोनिज़ में एक बड़ी गैरीसन सेना तैनात करने का आदेश दिया ताकि कॉन्स्टेंटिनोपल की आसन्न घेराबंदी के दौरान थॉमस और डेमेट्रियोस (जो कि दक्षिणी ग्रीस में निरंकुश शासक के रूप में शासन कर रहे थे) को अपने भाई और कॉन्स्टेंटिनोपल के शासक कॉन्सटेंटाइन इलेवन पलाइओगोस की सहायता करने से रोका जा सके। इसी दौरान रुमेलिया के बेयलरबेई कराका पाशा ने एड्रियनोपल से कॉन्स्टेंटिनोपल तक मजबूत सड़क व पुल का निर्माण करवाना शुरु कर दिया ताकि तोप को युद्ध के मैदान तक आसानी से पहुँचाया जा सके ।

बीजान्टिन सम्राट कॉन्सटेंटाइन इलेवन ने मेहमेद के इरादों को भांप लिया और मदद के लिए पश्चिमी यूरोप की ओर रुख किया लेकिन वहाँ भी उसे मुँह की खानी पड़ी क्योंकि सदियों के युद्ध और पूर्वी व पश्चिमी चर्चों के बीच दुश्मनी की वजह से वहाँ से उसे वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उसे अपेक्षा थी। ऑटोमन के आक्रमण के दौरान कॉन्स्टेंटिनोपल की रक्षा करने वाली सेना का आकार बहुत ही छोटा था जिसमें केवल सात हज़ार सिपाही

शामिल थे , वहीं इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान मेहमेद द्वितीय की सेना में लगभग पचास से अस्सी हज़ार सैनिक शामिल थे । गोल्डन हॉर्न के तट पर संभावित नौसैनिक हमले को भांपते हुए सम्राट कॉन्सटेंटाइन इलेवन ने बंदरगाह के मुहाने पर एक रक्षात्मक चेन रखे जाने का आदेश दिया । लॉग पर तैरने वाली वह चेन किसी भी तुर्की जहाज को बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकने के लिए काफी मजबूत थी। लेकिन सुल्तान मेहमेद द्वितीय के पास इस बात का भी तोड़ था । मेहमेद ने गोल्डन हॉर्न के उत्तर की ओर गलाटा में ग्रीस्ड लॉग्स की एक सड़क के निर्माण का आदेश दिया और चेन बैरियर को दरकिनार करते हुए 22 अप्रैल को अपने जहाजों को पहाड़ी के ऊपर से खींचकर सीधे गोल्डन हॉर्न में उतार दिया । इस कार्रवाई ने जेनोइस जहाजों से आपूर्ति के प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित किया और इस घटना ने बीजांटिन रक्षकों के मनोबल को तोड़ दिया । 28 अप्रैल की रात को गोल्डन हॉर्न में पहले से मौजूद ऑटोमन जहाजों को दुश्मन के जहाजों को डुबोने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आग उगलने वाले जहाजों का उपयोग करके नष्ट करने का असफल प्रयास किया लेकिन ऑटोमन्स ने ईसाइयों को भारी नुकसान के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 40 इटालियंस अपने डूबते जहाजों से बच निकले और उत्तरी तट पर तैर गए। ऑटोमन जहाजों पर अपने हमले की विफलता की वजह से बीजांटीन रक्षकों को अंततः गोल्डन हॉर्न के साथ-साथ समुद्र की दीवारों की रक्षा के लिए भी अपनी सेना के कुछ हिस्सों को टुकड़ों में बांटने हेतु मजबूर होना पड़ा , जिसने सामरिक दृष्टि से शहर के मुख्य घेरे को कमजोर कर दिया ।

21 मई 1453 को मेहमेद ने कॉन्स्टेंटिनोपल में एक राजदूत भेज कर सम्राट के सामने यह शर्त रखी कि यदि वो उसे कॉन्स्टेंटिनोपल देने को तैयार हो जाए तो वह शहर से अपनी घेराबंदी हटा लेगा साथ ही उसने यह भी वादा किया कि वह सम्राट सहित किसी भी अन्य निवासियों को अपनी संपत्ति के साथ शहर से जाने की अनुमति भी दे देगा । इसके अलावा मेहमेद द्वितीय ने उन लोगों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया जो शहर में रहने का विकल्प चुनतें है । साथ ही उसने सम्राट को पेलोपोनिस का गवर्नर का दर्ज़ा देने की भी पेशकश की थी । सम्राट ने मेहमेद द्वितीय की इस पेशकश को नकार दिया । सम्राट बिना युद्ध के शहर छोड़ने को तैयार नहीं था ,उसने कहा , *'नगर तुम्हें सौंपना मेरे खुद का या हमारे नागरिकों का फैसला नहीं है क्योंकि अपनी मर्जी से हम सभी ने अपने जीवन की परवाह किए बिना मरने का आपसी निर्णय ले लिया है ।'*

अंतिम हमले की तैयारी 26 मई की शाम को शुरू हुई और अगले दिन तक जारी रही। 29 मई 1453 को सुल्तान मेहमेद द्वितीय की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई । हागिया सोफिया ने भी इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नेस्टर इस्कैंडर की पुस्तक टेल ऑन द टेकिंग ऑफ ज़ारग्रैड के अनुसार हागिया सोफिया उस भयावह अपशगुन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें 21 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जे के अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा द्वारा कॉन्स्टंटिनोपोल छोड़ने का उल्लेख किया गया था ।" *"आकाश में हुए एक अद्भुत प्रकाश ने पूरे शहर को रोशन कर दिया , लोग चर्च ऑफ विज़्डम के पास एकत्रित हो गए । उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर वाली खिड़की से आग की लपटें निकल रहीं थी जिसने चर्च को चारों ओर से घेर रखा था । अचानक से ये लपटें एक लौ में परिवर्तित हो गईं और पूरे आकाश में एक अवर्णनीय प्रकाश छा गया । यह लौ आकाश की ओर चली गई , ऐसा लग रहा था मानों स्वर्ग का दरवाजा खुला और यह लौ उसमें समा गई ।"* यह घटना संभवतः सेंट एल्मो की आग थी जो बारूद के धुएं और असामान्य मौसम से प्रेरित थी ।लेखक का यह मानना है कि "मोहम्मदवाद" के सामने इस शहर की हार की भविष्यवाणी बहुत पहले उस समय ही की जा चुकी थी जब कॉन्स्टैंटाइन द ग्रेट ने यह शगुन या सपना देखा था कि एक बाज़ साँप से लड़ रहा था । यह सपना इस बात का भी सूचक था कि "अंत में ईसाई धर्म मोहम्मदवाद को खत्म कर देगा और सेवन हिल्स को प्राप्त करेगा ।"कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन की भविष्यवाणी दैवी साहित्य में भी की गई थी । हमें सेवन हिल्स पर अवस्थित इस शहर के पतन का वर्णन "बुक ऑफ रेवेलेशन" में भी देखने को मिलता है।

लाओनिकस चाल्कोंडाइलस के अनुसार शहर पर आक्रमण और कब्जे के दौरान हागिया सोफिया शहर के लोगों के लिए आश्रय की भूमिका निभा रहा था| डौकास के अनुसार, " दिसंबर 1452 के बाद इसकी खराब प्रतिष्ठा के बावजूद थियोडोसियन दीवारों के टूटने के बाद, बीजान्टिनों ने वहां शरण ली क्योंकि तुर्क शहर के भीतर बढ़ते चले आ रहे थे । सभी महिला व पुरुष , पादरी व नन इस महान चर्च की ओर आ रहे थे । वे, सभी महिला व पुरुष, अपनी बाहों में अपने नवजात शिशु को पकड़े हुए थे .... क्या नज़ारा था ! सड़क पर भीड़ थी , वह मनुष्यों से भरी पड़ी थी । " उन्होंने उनके हृदय परिवर्तन को भविष्यवाणी के रूप में दर्शाया था ।

डौकास आगे कहते हैं,

" क्या कारण था जिसने सभी को ग्रेट चर्च में भागने के लिए मजबूर किया? वे कई छद्म भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ कई वर्षों से सुन रहे थे कि यह निष्चित है कि एक समय इस शहर पर तुर्कों का राज होगा, वे बड़ी संख्या में शहर में प्रवेश करेंगें और रोमनों का संहार करेंगे । इसके बाद एक देवदूत अपनी तलवार पकड़कर नीचे उतरेगा और इस साम्राज्य को अपनी तलवार सहित किसी गरीब और विनम्र आदमी को सौंप देगा। वह उससे कहेगा कि "यह तलवार लो और प्रभु के लोगों का बदला लो।" तब तुर्कों को रोमनों द्वारा फारस की सीमाओं तक, जिसे लोन ट्री कहा गया है, खदेड़ा जाएगा, उनका संहार किया जाएगा और शहर के पश्चिम और पूर्वी भागों से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। यही कारण था जिसकी वजह से लोग ग्रेट चर्च में शरण लेने के लिए जा रहे थे। एक घंटे में वह प्रसिद्ध और विशाल चर्च पुरुषों और महिलाओं से भर गया था। एक असंख्य भीड़ हर जगह थी: ऊपर, नीचे, आँगन में और हर स्थान पर। वे फाटक बंद कर मोक्ष की उम्मीद में वहां खड़े थे।"

29 मई 1453 को ऑटोमन साम्राज्य के हाथों कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के पश्चात सुल्तान मेहमद II ने हागिया सोफिया में शुक्रवार की नमाज अदा की जो कि आधिकारिक रूप से हागिया सोफिया के मस्ज़िद में परिवर्तित होने की सूचक थी।

कॉन्स्टिनोपोल की घेराबंदी के दौरान चर्च में शरण लिए हुए लोग हागिया सोफिया में अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध के दौरान हागिया सोफिया महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, बीमार व घायलों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। लेकिन शहर के पतन के पश्चात चर्च की इमारत को आक्रमणकारियों द्वारा उजाड़ दिया गया। हागिया सोफिया में आश्रय लिए गए लोगों को गुलाम बना लिया गया। अधिकांश बुज़ुर्ग, दुर्बल, घायल और बीमार मार दिए गए, शेष लोगों जिनमें मुख्य रूप से किशोर पुरुष और युवा लड़के शामिल थे, को जंजीरों में जकड़ कर गुलामी के लिए बेच दिया गया था। चर्च में मौजूद पुजारी और धार्मिक व्यक्तियों द्वारा तब तक ईसाई प्रार्थना और रिति रिवाज़ों को जारी रखा जब तक आक्रमणकारियों द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया। उस समय के पारंपरिक रिवाज के अनुसार सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने भी शहर पर कब्ज़े के तुरंत बाद अपने सैनिकों को तीन दिनों तक वहाँ बेलगाम लूटपाट की अनुमति दी थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार "मेहमेद द्वितीय द्वारा शुरुआती दौर में लूटपाट के लिए दी गई अनुमति ने कई रुढ़िवादी चर्चों के विनाश को अंजाम दिया"। हागिया सोफिया इस लूटपाट का मुख्य केंद्र बिंदु था क्योंकि आक्रमणकारियों का यह मानना था कि हागिया सोफिया में खज़ाने व कीमती सामान रखे हैं। पहले यह तय किया गया था कि तीन दिन बीत जाने के बाद बची हुई शेष सामाग्रियों पर सुल्तान का हक होगा लेकिन पहले दिन की समाप्ति के समय जब सुल्तान द्वारा शहर का दौरा किया गया, तो उन्हें शहर की हालत देख कर गहरा दुख हुआ जिसके बाद उसने लूटपाट बंद करने की घोषणा कर दी।

1453 से पहले पश्चिम से आए आंगतुकों ने वर्णन किया था कि चर्च जीर्ण - शीर्ण अवस्था में था और उसके कई दरवाजे टूट गए थे। 01 जून 1453 को हागिया सोफिया में जुमे की पहली नमाज अदा करने के पश्चात सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने इसे इस्तांबुल की पहली शाही मस्जिद घोषित किया। साथ ही साथ इमारत के नवीनीकरण का भी आदेश दिया।

ऐसा माना जाता है कि 1481 में सीढ़ी टॉवर के ऊपर इमारत के दक्षिण-पश्चिम कोने पर एक छोटी सी मीनार बनाई गई। मेहमेद के उत्तराधिकारी बायज़िद द्वितीय (शासनकाल 1481–1512) ने बाद में उत्तर-पूर्व कोने में एक और मीनार का निर्माण करवाया। 1509 में आए एक भीषण भूकंप में एक मीनार के ढहने के बाद 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास इन दोनों मीनारों का स्थान इमारत के पूर्व और पश्चिम कोनों पर बनी दो तिरछी विपरीत मीनारों ने ले लिया। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि 1498 के बाद प्राचीन जस्तिनियनिक फर्श को कालीन से ढक दिया गया था जिसे 19 वीं शताब्दी में वहाँ से हटाया गया।

16वीं शताब्दी में सुल्तान सुलेमान द मग्रेफिशियंट के शासनकाल (1520-1566) के दौरान हागिया सोफिया के उन फाटकों को प्लास्टर से ढँक दिया गया था जिन पर यीशु, मरियम व विभिन्न बीजांटीन सम्राटों के चित्र अंकित थे, जिसे तुर्की गणतंत्र के अधीन आने पर 1930 में हटा दिया गया था।

1566 से 1574 के दौरान सेलिम द्वितीय के शासनकाल में इमारत के बाहरी संरचनात्मक ढाँचे को ऑटोमन वास्तुकार मिमर शिनन (जो कि एक भूकंप इंजीनियर भी थे) ने मजबूती प्रदान की। साथ ही साथ उन्होंने इमारत की दक्षिणी पूर्वी छोर पर सुल्तान सेलिम द्वितीय के टर्बे यानि कब्र का निर्माण किया। टर्बे में 43 ओटोमन राजकुमारों को दफनाया गया था। 1717 में सुल्तान अहमद तृतीय के शासनकाल में इमारत की भीतरी संरचना को पुनर्निर्मित किया गया। 1739 में सुल्तान महमूद प्रथम ने इमारत के जीर्णोद्धार के साथ - साथ वहाँ मदरसा (एक कुरानिक स्कूल, जो बाद में इस इमारत के संग्रहालय में तबदील होने के पश्चात पुस्तकालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ), पुस्तकालय एवं सादिर्वन (धार्मिक स्नान/प्रक्षालन के लिए फव्वारा) के निर्माण का भी आदेश दिया जिसने इस स्थान को सामाजिक स्थल में परिवर्तित कर दिया था।

1847–1849 के दौरान हागिया सोफिया का नवीकरण

हागिया सोफिया के जीर्णोद्धार का आदेश सुल्तान अब्दुल मज़िद प्रथम द्वारा दिया गया था और इस कार्य को स्विस - इतालवी वास्तुकार भाइयों गैस्परे और ग्यूसेप फोसाती के पर्यवेक्षण में करीब आठ सौ से भी अधिक मजदूरों द्वारा 1847 और 1849 के मध्य पूरा किया गया । वास्तुकार भाइयों ने लोहे का प्रयोग करते हुए गुंबद , वाल्ट व स्तंभों को मजबूती प्रदान की । सुलेखक काज़स्कर मुस्तफ़ा इज़्ज़त एफेंडि द्वारा चारों खम्भों पर अल्लाह , मुहम्मद , पहले चार खलीफाओं (अबु बक्र, उमर , उस्मान व अली) सहित मुहम्मद के दोनो पोतों - हसन और हुसैन के नाम अंकित किए गए । सन 1850 में वास्तुकार फोसाती द्वारा नियो - बीजांटीन स्तंभों में एक नया मकसुरा बनाने के साथ - साथ सुल्तान के प्रवेश के लिए एक नए प्रवेश द्वार का निर्माण किया, जिसे हुन्कार महफिली के नाम से भी जाना जाता है। फोसातिस द्वारा मस्ज़िद के समयरक्षक (जिन्हें मुवक्क़ित भी कहते थे) के उपयोग हेतु क्लॉक बिल्डिंग यानि मुवक्क़िताने (Muvakkithane) के साथ - साथ एक नए मदरसे का भी निर्माण किया गया । जब नवीकरण का कार्य समाप्त हो गया तब 13 जुलाई 1849 को एक भव्य समारोह के आयोजन के साथ इस मस्ज़िद को पुनः खोला गया। 1852 में फोसातिस द्वारा हागिया सोफिया में किए गए कार्यों के दौरान निर्मित चित्रों से बनाए गए लिथोग्राफ का एक संस्करण 1852 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम " *आया सोफिया ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऐस रिसेंटलि रिस्टोर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एच.एम. द सुल्तान अब्दुल माज़िद" था ।*

संग्रहालय (1935–2020)

1935 में पहले तुर्की राष्ट्रपति और तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा केमल अतातुर्क ने हागिया सोफिया को एक संग्रहालय में बदल दिया। कालीन व मोर्टार की परत को हटाने के साथ - साथ मोसाइक को कवर करने वाले सफेद प्लास्टर को हटा दी गया । धीरे - धीरे इमारत की संरचना की स्थिति खराब होती चली गई और विश्व स्मारक कोष ने हागिया सोफिया को 1996 के विश्व स्मारकों निगरानी और उसके बाद 1998 में इसे विश्व स्मारकों की निगरानी में रखा गया । इमारत की तांबे की छत में दरार आ गई थी, जिससे नाजुक भित्तिचित्रों और मोज़ाइक के ऊपर से पानी रिसने लगा था। बढ़ते भूजल ने स्मारक के भीतर नमी का स्तर बढ़ा दिया था, जिससे पत्थर और पेंट के लिए एक अस्थिर वातावरण बन गया था। विश्व स्मारक कोष ने गुंबद की जीर्णोद्धार के लिए 1997 से 2002 तक अनुदानों की एक शृंखला जारी की। तुर्की संस्कृति मंत्रालय की मदद से कार्य के पहले चरण में टूटी हुई छत का संरचनात्मक स्थिरीकरण और उसकी मरम्मत की गई ।इसके बाद के चरण में गुंबद के आंतरिक संरचना की मरम्मत की गई । 2006 तक विश्व स्मारक कोष की परियोजना पूरी हो गई । हालांकि हागिया सोफिया के कई अन्य क्षेत्रों में अभी भी सुधार , मरम्मत व जीर्णोद्धार की आवश्यकता है ।

वर्ष 2007 में ग्रीक अमेरिकी राजनेता क्रिस स्पिरौ ने इमारत को फिर से एक ईसाई चर्च के रूप में बहाल करने के उद्देश्य से अमेरिका में फ्री एगिया सोफिया काउंसिल ऑफ अमेरिका नामक संगठन की स्थापना की। हागिया सोफिया वर्ष 2014 में तुर्की का दूसरा सबसे ज्यादा दर्शनीय संग्रहालय था जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 3.3 मिलियन सैलानी घूमने आते थे।

1991 तक संग्रहालय परिसर का प्रयोग उपासना स्थल के रूप में करने की मनाही थी लेकिन 1991 में तुर्की सरकार ने संग्रहालय परिसर के एक पैवेलियन को इबादत के लिए आवंटित किया था । वर्ष 2013 में संग्रहालय की दो मीनारों का प्रयोग नियमित रूप से अजान पढ़ने के लिए किया जाने लगा । वर्ष 2013 की शुरुआत के साथ ही कई सरकारी उच्चाधिकारियों जिनमें तुर्की के उप प्रधानमंत्री बुलेंट अरिनक भी शामिल थे , ने हागिया सोफिया को फिर से मस्ज़िद के रूप में परिवर्तित करने की माँग उठानी शुरु कर दी थी ।

2016 में एक तुर्की गैर-सरकारी संगठन "एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट" ने संग्रहालय को एक मस्जिद में बदलने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसके फैसले में अदालत ने कहा कि इस इमारत को 'स्मारक संग्रहालय' के रूप में ही जारी रखा जाए । अक्टूबर 2016 में तुर्की के धार्मिक मामलों के निदेशालय 'डायनेत'ने 81 वर्षों के पश्चात हागिया सोफिया मस्ज़िद (जो कि हुन्कार कासरी में स्थित था) के लिए ओन्दर सोय को इमाम के रूप में नियुक्त किया । तत्पश्चात हागिया सोफिया की सभी चारों मीनारों में दिन में पाँच बार अजान अदा की जाने लगी।

13 मई 2017 को अनातोलिया यूथ एसोसिएशन के सदस्यों का एक बड़ा समूह हागिया सोफिया के सामने इकट्ठा हुआ और संग्रहालय को फिर से मस्जिद में बदलने के आह्वान के साथ सुबह की प्रार्थना की। 21 जून 2017 को धार्मिक मामलों के निदेशालय (डायनेट) ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लैलत-अल-क़द्र को चिह्नित करने के लिए हागिया सोफिया में कुरान का पाठ और प्रार्थना शामिल थे । इस कार्यक्रम का प्रसारण राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन टीआरटी द्वारा किया गया था ।

हागिया सोफिया की मस्ज़िद के रूप में पुनर्बहाली (2018 से वर्तमान समय तक)

वर्ष 2018 से ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने धीरे - धीरे हागिया सोफिया को फिर से मस्ज़िद के रूप में परिवर्तित करने की अपनी कोशिश शुरु कर दी और उनकी इस कोशिश को धार्मिक आबादी का भी समर्थन प्राप्त था । 31 मार्च 2018 को राष्ट्रपति एर्दोआन द्वारा हागिया सोफिया में कुरान की पहली आयत का पाठ कर अपनी प्रार्थना को उन सभी को समर्पित किया 'जिन्होंने इस कार्य को उन्हें विरासत के रूप में सौंपा था साथ ही साथ उन्होंने इस्तांबुल के

विजेता के प्रति अपना साधुवाद प्रकट किया' । उनके इस कदम ने हागिया सोफिया को फिर से मस्ज़िद के रूप में बहाल करने हेतु चलाए जाने वाले राजनीतिक आंदोलन को मजबूती प्रदान की । उनका मानना था कि इसके द्वारा कमेल अतातुर्क द्वारा हागिया सोफिया को संग्रहालय में परिवर्तित करने के फैसले को बदला जा सकता था । मार्च 2019 में राष्ट्रपति एर्दोआन ने यह घोषणा की कि वे हागिया सोफिया के दर्ज़े को संग्रहालय से परिवर्तित कर , इसे मस्ज़िद में बदल देंगे । साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना एक बहुत बड़ी गलती थी । वर्ष 2020 में तुर्की सरकार द्वारा कॉन्स्टनटिनोपोल पर विजय की 567वीं वर्षगांठ का जश्न हागिया सोफिया में इस्लामिक प्रार्थना कर मनाया गया । राष्ट्रपति ने एक टेलिविज़न प्रसारण के दौरान कहा कि हागिया सोफिया में विजय उत्सव के हिस्से के रूप में अल-फत सुरह का पाठ व प्रार्थनाएँ की जाएंगी । इसके साथ - साथ कॉन्स्टिनोपोल पर विजय की ऐतिहासिक घटना के वर्षगांठ के अवसर पर हागिया सोफिया में कुरान के अंश का भी पाठ किया गया जिसकी ग्रीस द्वारा कड़ी निंदा की गई थी । इस निंदा के जवाब में तुर्की ने ग्रीस पर व्यर्थ और अप्रभावी बयान देने का आरोप लगाया था । जून 2020 में तुर्की के धार्मिक मामलों के निदेशालय (डायनेट) के प्रमुख ने घोषणा की कि ' हमें हागिया सोफिया को इबादत स्थल के रूप में खोलने पर प्रसन्नता होगी और अगर ऐसा होता है तो हम हागिया सोफिया वे सभी धार्मिक सुविधाएँ व सेवाएँ प्रदान करेंगे जैसा कि हम अन्य मस्ज़िदों को प्रदान किया करते हैं । '

10 जुलाई 2020 को हागिया सोफिया को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने वाले मंत्री परिषद के फैसले को राज्य परिषद ने रद्द करते हुए यह फरमान जारी किया कि हागिया सोफिया को मस्जिद होने के अलावा "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और हागिया सोफिया फ़तिह सुल्तान मेहमद हान फाउंडेशन की संपत्ति है । परिषद ने इस फरमान के पीछे यह तर्क दिया कि कॉन्स्टनटिनोपोल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सुल्तान मेहमेद द्वितीय द्वारा इस इमारत को मस्ज़िद का दर्ज़ा दिया और इसे जनता के लिए निशुल्क रूप से खोल दिया था । वैश्विक आलोचना के बावजूद राष्ट्रपति एर्दोआन ने हागिया सोफिया के संग्रहालय के दर्ज़े को रद्द करने वाले फरमान पर हस्ताक्षर किए और उसे मस्ज़िद के रूप में पुनर्बहाल किया । इस परिवर्तन की घोषणा के बाद मीनारों में आयोजित प्रार्थना को प्रकाशित किया गया जिसका पुनः प्रकाशन प्रमुख तुर्की समाचार नेटवर्क द्वारा किया गया । हागिया सोफिया के सोशल मीडिया चैनलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की कि 24 जुलाई से वहाँ नियमित रूप से इबादत की जाएगी । राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि हागिया सोफिया अब पूर्ण रूप से एक मस्ज़िद के रूप में कार्य करेगा। इस परिवर्तन के पश्चात हागिया सोफिया में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी । उन्होंने यह भी बताया कि यह परिवर्तन हागिया सोफिया के विश्व धरोहर के रूप में दर्ज़े को प्रभावित नहीं करेगा और इमारत में मौजूद ईसाई प्रतीकों का संरक्षण जारी रहेगा । राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति के इस निर्णय को तुर्की की सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ही निर्णय की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि "मानव विरासत पर निर्णय सरकार द्वारा खेले गए राजनीतिक खेलों के आधार पर नहीं किए जा सकते हैं" । तुर्की उपन्यासकार और नोबेल पुरस्कार विजेता ओरहान पामुक ने सार्वजनिक रूप से इस कदम की निंदा करते हुए कहा, "केमल अतातुर्क ने हागिया सोफिया को मस्ज़िद से संग्रहालय में परिवर्तित कर पूर्व में मौजूद सभी ग्रीक रूढ़ियों और लैटिन कैथोलिक इतिहास को सम्मान देते हुए इसे तुर्की आधुनिक धर्मनिरपेक्षता का संकेत बना दिया । "

17 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति एर्दोआन ने यह घोषणा की कि मस्ज़िद बनने के पश्चात हागिया सोफिया में होनी वाली पहली इबादत में एक हज़ार से लेकर पंद्रह सौ लोग शामिल हो सकते हैं । साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हागिया सोफिया तुर्की की अमानत या संपत्ति है और इस प्रकार यह किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और हस्तक्षेपों के अधीन नहीं है । और , इस प्रकार ऐतिहासिक बीजांटीन परंपरा का यह चर्च जुलाई 2020 में राष्टपति एर्दोआन के शासनकाल में मस्ज़िद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ।

हागिया सोफिया के मस्ज़िद में परिवर्तन के संबंध में वैश्विक प्रतिक्रियाएँ

रूपांतरण पर अंतिम निर्णय के कुछ दिन पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के विश्वव्यापी कुलपति बार्थोलोम्यू I ने एक धर्मोपदेश में कहा था कि "हागिया सोफिया का मस्जिद में रूपांतरण दुनिया भर के लाखों ईसाइयों को निराश करेगा", उन्होंने यह भी कहा कि"हागिया सोफिया एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है और रूपांतरण की वजह से इन दो दुनियाओं में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी "। प्रस्तावित रूपांतरण को अन्य रूढ़िवादी ईसाई नेताओं, रूसी रूढ़िवादी चर्च के कुलपति ने भी खारिज कर दिया था । मॉस्को के किरिल ने कहा कि "हागिया सोफिया के लिए कोई भी खतरा पूरी ईसाई सभ्यता के लिए खतरा है ।"

तुर्की सरकार के इस फैसले के पश्चात यूनेस्को ने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि बिना किसी चर्चा के किया गया यह रूपांतरण और इस संबंध में बातचीत में हुई कमी खेदजनक थी । यूनेस्को ने यह भी घोषणा की कि हागिया सोफिया की संरक्षण की स्थिति पर विश्व विरासत समिति के अगले सत्र में आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा व जाँच की जाएगी ताकि इस इमारत को रूपांतरण से होने वाले किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाया जा सके , साथ ही यूनेस्को द्वारा तुर्की सरकार से यह आग्रह किया गया कि वे इस संबंध में बिना देरी के बातचीत की शुरुआत करे । यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष

जोसेफ बोरेल ने एक कथन जारी कर राष्ट्रपति एर्डोआन व राज्य परिषद के इस निर्णय को खेदजनक बताते हुए कहा कि एलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के संस्थापक सदस्य के रूप में तुर्की अंतर-धार्मिक और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने और सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बोरेल के अनुसार यूरोपीय संघ के सताइस देशों के विदेश मंत्रियों ने 13 जुलाई को एक बैठक कर हागिया सोफिया जैसे प्रतीकात्मक स्मारक के रूपांतरण के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह निर्णय अनिवार्य रूप से अविश्वास एवं धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ हमारे संवाद और सहयोग के प्रयासों को भी कमजोर करेगा । उन्होंने तुर्की अधिकारियों से इस विषय पर दोबारा सोचने हेतु आग्रह किया ताकि इस रूपांतरण के निर्णय को वापस लिया जा सके । ग्रीस और साइप्रस ने भी तुर्की राज्य परिषद द्वारा लिए गए इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए तुर्की पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का आग्रह किया । रूसी संघ परिषद के विदेशी मामलों की समिति के उप प्रमुख व्लादिमीर दज़्बारोव ने तुर्की के इस कदम को गलती बताते हुए यह कहा कि इस निर्णय से मुस्लिम दुनिया का किसी भी प्रकार से भला नहीं होगा । यह रूपांतरण राष्ट्रों को साथ लाने के स्थान पर उनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा ।अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च के प्रमुख कैथोलिकोस कारेकिन द्वितीय ने कहा कि यह कदम "तुर्की में राष्ट्रीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है "। इटली के पूर्व उप प्रधान मंत्री माटेओ साल्विनी ने मिलान में तुर्की के वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए तुर्की के यूरोपीय संघ में विलय की सभी संभवनाओं को "हमेशा के लिए" समाप्त करने का आह्वान किया । 13 जुलाई को पूर्वी जेरुसलम में तुर्की दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें तुर्की झंडे को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ग्रीक ध्वज और ग्रीक रूढ़िवादी चर्च के ध्वज लहराए । इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तुर्की विदेश मंत्रालय ने तुर्की ध्वज जलाए जाने की घटना की निंदा की और कहा कि *"कोई भी हमारे गौरवशाली ध्वज का अनादर या अतिक्रमण नहीं कर सकता है।"*

जहाँ यूरोप के अधिकांश देशों ने इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की वहीं कई देशों द्वारा तुर्की के इस निर्णय की सराहना की गई । ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता के माध्यम से परिवर्तन का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय को तुर्की की राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा और तुर्की का आंतरिक मामला माना जाना चाहिए । अरब मघरेब संघ भी तुर्की के इस निर्णय के पक्ष में था और उसने खुले शब्दों में निर्णय की सराहना की । अल- अक़्शा मस्ज़िद के इक्रेमा साबरी और ओमान के ग्रैंड मुफ्ती अहमद बिन हमद अल - खलीली ने तुर्की को इस कदम के लिए बधाई दी। फिलीस्तीनी इस्लामवादी आंदोलन हमास के एक प्रवक्ता ने फैसले को "सभी मुसलमानों के लिए गर्व का क्षण" कहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) के राजनीतिज्ञ चौधरी परवेज इलाही ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला न केवल तुर्की के लोगों बल्कि पूरे मुस्लिम जगत की इच्छाओं के अनुसार है । दक्षिण अफ्रिका के मुस्लिम न्यायिक परिषद समूह ने भी इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए इसे 'ऐतिहासिक मोड़' की संज्ञा दी ।

जब राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस बात की घोषणा की कि 24 जुलाई 2020 को इमारत के भीतर पहली मुस्लिम प्रार्थना आयोजित की जाएगी, तब उन्होंने यह बात भी स्पष्ट रूप से कही थी कि "हमारी सभी मस्जिदों की तरह, हागिया सोफिया के दरवाजे स्थानीय लोगों और विदेशियों, मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के लिए खुले होंगे।" राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कलिन ने धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के तर्कों के संबंध में विश्व भर में छिड़ी बहस और आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि मौजूदा समय में तुर्की में चर्च और सभा स्थल खुले हैं और हम इमारत के सभी प्रतीक और मोज़ाइक संरक्षित करेंगे । सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी के प्रवक्ता ओमेर सेलिक ने 13 जुलाई को घोषणा की कि हागिया सोफिया में प्रवेश नि:शुल्क होगा और इबादत के समय के अलावा यह सभी आंगतुकों के लिए खुली रहेगी ।पोप फ्रांसिस द्वारा की गई आलोचनाओं का उत्तर देते हुए सेलिक ने कहा कि 13वीं शताब्दी के दौरान चौथे धर्मयुद्ध में कॉन्स्टांटिनोपोल की तबाही के समय इस इमारत के अनादर और चर्च में मची लूट- पाट के लिए पैपसी यानि पोप जिम्मेदार थे । तुर्की के विदेश मंत्री मेव्लुत कवुसोग्लु ने टीआरटी हैबर को बताया कि तुर्की सरकार यूनेस्को की प्रतिक्रिया से हैरान है । उन्होंने अपने पूर्वजों के विरासत की रक्षा की है । चाहे उसका तरीका जो भी हो - उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता ।

जुलाई 2021 में यूनेस्को ने इमारत की संरक्षण की स्थिति पर तुर्की सरकार से अद्यतन रिपोर्ट मांग करते हुए मौजूदा हालात पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की है । तुर्की सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में कहा है कि परिवर्तनों का यूनेस्को मानकों पर "कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है " और उनके द्वारा की गई आलोचना "पक्षपाती और राजनीतिक" है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि हागिया सोफिया बीजांटीन वास्तुकला का सबसे बेहतरीन व जीवंत उदाहरण है जिसने लगभग सोलह शताब्दियों के इतिहास को खुद में समेट रखा है और यह कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी भी रही। इसकी वास्तुकला ने कई अन्य इमारतों को भी प्रभावित किया जिनमें बेलग्रेड में स्थित चर्च ऑफ सेंट सवा , कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ सेंट लुइस,क्रोनस्टेड नेवल कैथेड्रल और पोटी कैथेड्रल इत्यादि उल्लेखनीय हैं ।

पीएमसी बैंक की घटना से सबक

फणीष मणि त्रिपाठी - प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

सिगरेट के पैकेट पर कैंसर की चेतावनी लिखी होती है। म्युचुअल फंड में निवेश जोखिमों से भरा है, ये डिस्क्लेमर दिया जाता है। परन्तु बैंकों में पैसे रखने में रिस्क है जैसी कोई वॉर्निंग कभी नहीं दी जाती है। क्योंकि समय गवाह है कि बैंक में रखे पैसे डूबते नहीं हैं।

बैंक! इस नाम के साथ जुड़ा है भरोसा। भरोसा, कि मेरा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। घर में रखने से भी ज्यादा सुरक्षित है। मूल तो सुरक्षित है ही, उस पर तीन से चार परसेंट ब्याज भी मिल जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दिया तो 6 से 8 परसेंट तक ब्याज की संभावना रहती है। गोल्ड और ज़मीन में निवेश के बाद अपने पैसे के सुरक्षित निवेश की बारी आती है तो जनता का पहला भरोसा बैंक ही होते हैं। इसकी वजह है कि हमने कभी किसी बैंक को बर्बाद होते और अपना पैसा डूबते नहीं देखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक जो बैंकों की विनियामक है उसने समय रहते बैंकों को संभाल लिया है और हज़ारों करोड़ों निवेशकों को राहत दी है। साल 2004 में जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की हालत खराब हुई तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में उसका विलय कर दिया गया और निवेशकों का हित सुरक्षित किया गया। इसी तरह साल 2020 में जब प्राइवेट सेक्टर का बैंक, यस बैंक डूबने की कगार पर पहुंचा तो आरबीआई ने हाथ आगे बढ़ाया और एसबीआई समेत अन्य बैंकों की मदद से यस बैंक को संभाल लिया गया। कितने भी मुश्किल हालात हुए हैं बैंकों को सरकार और आरबीआई ने मिलकर बचा लिया है। लेकिन हर बार ये सब इतना आसान भी नहीं रहता है। देश के सबसे बड़े को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक यानि पीएमसी बैंक के मामले में देश ने जो देखा उसने बैंक के ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा हिला कर रख दिया।

37 साल का भरोसा, 6 राज्यों में फैली 137 शाखाएं, को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत गठित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित। 2019 में करीब 1300 करोड़ रुपए की आय और 100 करोड़ रुपए का लाभ। ये है पीएमसी बैंक का परिचय। क्या ऐसे बैंक की जड़ें भी कभी कमज़ोर हो सकती हैं? किसी ने कभी सोचा नहीं था। बैंक के ग्राहकों ने तो कभी नहीं। सितंबर में बैंक पर ताला लगने से दो दिन पहले तक तो लोग बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे थे। कोई अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का फिक्स्ड डिपॉजिट बना रहा था तो कोई लोन लेकर धंधे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।

फिर 2019 का सितंबर, सितम बनकर पीएमसी बैंक के ग्राहकों पर टूट पड़ा। हज़ारों बैंक ग्राहकों को बैंक की तरफ से संदेश मिला कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम की धारा 35 ए के तहत बैंक पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। न कोई जमा होगी न निकासी। इस संदेश के मिलते ही अंधेरी में बैंक की शाखा के बाहर सैकड़ों निवेशकों की भीड़ लग गई। उन्हें अपने पैसे की चिंता सताने लगी। उनके मन में तरह-तरह की आशंकाएं थीं। लोग अपने परिजनों से लिपटकर रो रहे थे। बैंक उनकी आंखों के सामने था, बैंक में पैसे भी थे पर वो होकर भी नहीं थे। अपना पैसा, वैध पैसा बैंक में था पर लोग पाई-पाई को मोहताज थे। किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए था, किसी को बच्चों की फीस अदा करने के लिए पैसे की दरकार थी तो किसी को अपने लोन की EMI चुकानी थी। आरबीआई का संदेश स्पष्ट था छह महीने के प्रतिबंध की अवधि के दौरान एक ग्राहकों को सिर्फ 1000 रुपए निकालने की छूट होगी। हालांकि विरोध के स्वर उठे और ग्राहकों की आंदोलित स्थिति देखकर महज तीन दिन बाद निकासी सीमा दस हजार रुपए कर दी गई। फिर 5 नवंबर 2019 को ग्राहकों को पचास हजार रुपए तक निकालने की छूट दे दी गई और फिर जून 2020 में यह सीमा एक लाख रुपए कर दी गई। आरबीआई ने ग्राहकों की ज़रूरत को देखते हुए समय-समय पर निकासी सीमा में बदलाव कर लोगों को राहत पहुंचाई।

दरअसल किसी बैंक पर सेक्शन 35ए को लागू करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी गंभीर बीमारी में मरीज को आईसीयू में भर्ती करना। ऑपरेशन और इलाज़ चलने तक मरीज के परिजनों की साँस ऊपर-नीचे होनी स्वाभाविक है। परन्तु जब मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आता है तो उसके रिश्तेदार, परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई बैंक मुश्किलों से घिर जाता है, बैंक की बैलेंसशीट अपना बैलेंस खोने लगती है और बैंक प्रबन्धन उस

बैंक को चलाने में सक्षम नहीं रहता है तो आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ता है। रेगुलेटर अपनी भूमिका में आता है और बीमार बैंक को मोरेटोरियम में रखा जाता है। उसके खातों की जाँच की जाती है और फिर उसकी मुश्किलों का समुचित समाधान कर दिया जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कभी-कभी यह प्रक्रिया छोटी होती है और कभी लंबा वक्त भी लग जाता है। परन्तु जब तक आरबीआई समाधान ढूँढता है बैंक के ग्राहक परेशान रहते हैं। उनका सब्र जवाब देने लगता है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनका पैसा बचेगा या डूब जाएगा। उनके मन में तरह-तरह के सवाल घूमते रहते हैं। रातों की नींद चली जाती है।

पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की इस घटना ने सरकार और आरबीआई को सबक देने का काम किया। सबक ये कि बैंक के खराब होने की स्थिति में ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखना होगा और उन्हें बिना इंतज़ार कराए फौरी राहत पहुंचानी होगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) यानि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 में बदलाव करना। DICGC भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी इकाई है और किसी बैंक के बंद होने की स्थिति में यह बैंक के ग्राहकों को उनके जमा पर एक लाख रुपए तक का बीमा देती है। पहले यह प्रावधान सिर्फ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर ही लागू थे। लेकिन 2020 के एक संशोधन के जरिए को-ऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई की निगरानी में डाला गया और उन्हें भी DICGC के दायरे में लाया गया। हालांकि दशकों पहले वर्ष 1993 में DICGC के जरिए बैंक ग्राहकों के लिए किया गया एक लाख रुपए का जमा बीमा आज बिल्कुल छोटी सी रकम दिखाई देने लगा। साथ ही शर्त ये भी थी कि बैंक के लिक्विडेट होने की स्थिति में ही ग्राहकों को जमा बीमा का लाभ मिलेगा।

बैंक के ग्राहकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने इस साल मॉनसून सत्र में DICGC Act में संशोधन किया जिसमें कई बड़े संशोधन किए गए।

1. सबसे अहम संशोधन यह हुआ है कि पहले जो जमा बीमा की रकम एक लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि जमा बीमा की रकम 5 लाख कर देने से यह किसी भी बैंक के 98 प्रतिशत ग्राहकों को कवर करेगा और 50 परसेंट जमाएं इसके दायरे में आ जाएंगी। यानि अधिकतम ग्राहकों को उनका पैसा वापस मिलने की गारंटी रहेगी, यदि बैंक डूबने की कगार पर आता है।
2. दूसरा सबसे अहम बदलाव यह हुआ है कि बीमा की रकम अब तय समयावधि में मिलेगी। अब किसी बैंक में गड़बड़ी होने पर उसे आरबीआई द्वारा मोरेटोरियम में रखा जाता है तो मोरेटोरियम की अवधि शुरू होने से 90 दिनों के भीतर ग्राहकों को उनके जमा बीमा की रकम देनी होगी। पहले 45 दिनों में बैंक को अपने ग्राहकों के जमा का पूरा विवरण DICGC को सौंपना होगा। इसके अगले 45 दिनों में कॉरपोरेशन को ग्राहकों को सभी पात्र ग्राहकों को 5 लाख रुपए लौटाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
3. DICGC एक्ट में सिर्फ बैंक ग्राहकों के हितों को ही ध्यान में नहीं रखा गया है बल्कि DICGC को बीमा प्रीमियम तय करने की छूट भी दी गई है। DICGC अब तक प्रत्येक 100 रुपए के जमा पर 12 पैसे प्रीमियम चार्ज करता था। यह प्रभार सभी बैंकों के लिए एक समान था। परन्तु बीमा पर बढ़ते खर्च को देखते हुए अधिनियम में ज़रूरी संशोधन किए गए हैं। अधिनियम के धारा 15(1) में पहले यह प्रावधान था कि DICGC प्रति 100 रुपए 15 पैसे से अधिक प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता है। परन्तु अब संशोधन करके यह उपबंध जोड़ा गया है कि DICGC अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से 15 पैसे की बीमा राशि को बढ़ा सकता है। अर्थात DICGC अब जोखिम के आधार पर प्रीमियम राशि तय कर सकता है। को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए, जहाँ ज्यादा जोखिम होता है, वहां जमा बीमा प्रीमियम दूसरे बैंकों के मुकाबले महंगा हो सकता है।
4. नए संशोधनों के बाद DICGC बीमार और कमज़ोर बैंक से अपना भुगतान बाद में ले सकता है या उसकी समयसीमा को बढ़ा सकता है। DICGC (संशोधन) अधिनियम , 2021 में यह प्रावधान किया गया है कि DICGC बीमार बैंक के जमाकर्ताओं को जब आरबीआई के निर्देश पर 5 लाख रुपए की रकम लौटा देता है तो बीमार बैंक से उसे वापस लेने की मियाद को बढ़ा सकता है। इससे बीमार बैंक को दोबारा खड़ा करने में सहायता और समय दोनों मिल जाएंगे। इसका सबसे अधिक फायदा को-ऑपरेटिव बैंकों के विलय में होगा। अब बैंक मुश्किल में फंसे अन्य को-ऑपरेटिव बैंकों का विलय करने के लिए अधिक से अधिक सामने आएंगे।

हालांकि ये बहस का विषय हो सकता है कि 5 लाख रुपए की रकम काफी है क्या? सरकारी उपक्रमों से नौकरियों से सेवानिवत्त होने वाले कर्मचारियों को औसतन तीस लाख रुपए की एकमुश्त रकम मिलती है। अधिकतर रिटायरीज़ बैंकों में अपनी पूरी रकम रख देते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित निवेश है। बड़े ओहदों से रिटायर होने वालों को इससे कहीं अधिक रकम मिलती है। ऐसे में रिटायरीज़ के लिए पाँच लाख रुपए का बीमा नाकाफ़ी लगता है। तो क्या ऐसे ग्राहकों के लिए जमा बीमा की रकम का अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को इस पहलू पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।

प्रेरक प्रसंग "ईर्ष्यालु बहनों की कहानी"

गतांक से आगे

कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूँछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुख इस रह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज घुट कर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बाँधा और तपस्वी के पास आ कर अपनी जेब से एक छोटी-सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर अनुमति दो तो मैं तुम्हारी भौंहें और मूँछें छाट दूँ। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी।

बहमन ने उसकी भौंहों और मूँछों को छाँट डाला तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि हजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीछ के बजाय आदमी लगो बल्कि तुम बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो। तपस्वी इस प्रकार की मनोरंजक वार्ता सुन कर मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि इतनी दूर किस लिए आए हो ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूँ वह करूँ।

बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्ताँ, गानेवाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ। आप कृपा कर के मुझे बताएँ कि यह वस्तुएँ मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने यह सुन कर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता। मैं किसी और से पूछूँ।

तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा, जहाँ यह चीजें हैं वहाँ का मार्ग बड़ा भयावह है, तुम्हारी तरह बीसियों आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी है और कोई वापस नहीं लौटा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ से आए हो वापस चले जाओ।

बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना ही है चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल हो कर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वही मेरी राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे राह बता दो, आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो।

तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करनेवालों से भी निबटना जानता हूँ, आप मुझे वहाँ जानेवाली राह तो बताएँ।

तपस्वी ने उसे बहुत समझाया लेकिन जब यह देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ता ही नहीं और जब तक राह न मालूम कर लेगा हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है। लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला-बुरा तुम्हीं जानो। तुम सवार हो कर उधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे-पीछे चले जाना जब तक यह लुढ़कती रहे, तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जा कर यह गेंद रुक जाएगी। वहाँ तुम रुक कर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर चढ़ना। तुम अपने दोनों ओर काले पत्थर काफी अधिक संख्या में देखोगे। उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत-से अपशब्द और धमकियाँ सुनोगे। यह बहुत जरूरी है कि तुम इन गालियों की पूर्ण उपेक्षा कर दो। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएँगे। तुम्हें राह में मिलनेवाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन तीन चीजों की खोज में जानेवाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं।

अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए तो वहाँ एक वृक्ष पर टँगा हुआ पिंजड़ा मिलेगा जिसमें गानेवाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी न डरना और उससे गानेवाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने यह सब तुम्हें बता जरूर दिया है लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम वहाँ गए तो काला पत्थर बन कर रह जाओगे।

बहमन ने कहा, अब जो होना है वह हो ही कर रहेगा, मैं पीछे तो लौटता नहीं। यह कह कर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार हो कर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चली। काफी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई जहाँ ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतर कर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े-बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे चार-पाँच कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगीं। कोई आवाज होती, यह कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़ कर मार डालो। कभी चीखती और गरजती आवाजें आतीं, वह जा रहा है चोर, खूनी,

बदमाश। घेर लो इसे। कभी हलकी-सी आवाज आती, इसे पकड़ कर बाँधे रखना, यह बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, यह वहाँ पहुँच कहाँ पाएगा, रास्ते में छुपे गढ़े में गिर कर मर जाएगा।

पहले बहमन ने इन आवाजों की उपेक्षा की और अपनी राह पर बढ़ता चला गया। किंतु यह आवाजें कम होने के बजाय कदम-कदम पर तेज ही होती गईं और उसके कानों के परदे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह भी उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डर कर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और घोड़ा दोनों काले पत्थरों के रूप में बदल गए।

अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परीजाद को दिया था वह उसे रोजाना म्यान से निकल कर देखती। जिस दिन बहमन काला पत्थर बना उस दिन परवेज ने कहा, परीजाद, आज मुझे खंजर दो। आज भैया का हाल मैं मालूम करना चाहता हूँ। परीजाद ने उसे खंजर दे दिया। उसने म्यान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूँद निकलती दिखाई दी। परवेज ने हाथ से खंजर फेंक दिया और हाय-हाय करने लगा।

परीजाद को भी जब खून टपकाता हुआ खंजर दिखाई दिया तो वह चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक-पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया आई थी। न वह आती न यह झंझट होता। मक्कार ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा सद्व्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो उस कलमुँही की बोटियाँ नोच लूँ। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया न रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पा कर भी मैं क्या करूँगी। मुझे यह चीजें नहीं चाहिए, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए।

परीजाद बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेज भी आँसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परीजाद, अब रोने-धोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जाता हूँ। मैं पता लगाऊँगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जीता नहीं छोड़ूँगा, भैया की मौत का बदला जरूर लूँगा। परीजाद ने बहुत समझा कर उसे रोकना चाहा। वह बोली, मैंने एक भाई तो खोया ही है, दूसरे को मौत के मुँह में नहीं जाने दूँगी। बड़े भैया तुम से कुछ कम बहादुर नहीं थे। लेकिन परवेज ने उसकी एक भी बात न सुनी। उसने दूसरे दिन सुबह अपनी साहस यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी।

दूसरे दिन उसके रवाना होने के समय परीजाद रो कर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशल जानने को एक राह भी बताई थी, तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा? परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो, इसके सारे मोती अलग-अलग हैं। इसे उँगलियों पर चलाने से एक-एक मोती उँगलियों में आता है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहें तो समझ लेना कि मैं ठीक-ठाक हूँ। जिस दिन यह एक-दूसरे से चिपक जाएँ और माला न फेरी जा सके तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। यह कह कर परवेज निकल पड़ा।

बीस दिन की यात्रा के बाद वह वहीं पहुँचा जहाँ वह सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदरपूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलनेवाली चिड़िया, गानेवाला पेड़ और सोने का पानी कहाँ से मिल सकते हैं? तपस्वी ने कहा, बेटे, वह राह बहुत खतरनाक है। तुम वहाँ जाने का इरादा न करो और यहीं से लौट जाओ। वहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। एक महीने से भी कम हुआ तुम्हारी ही शक्ल-सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रोकने पर भी उधर को गया था। वह भी नहीं लौटा है।

परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। यह तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा, किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मारा। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत-से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बन कर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ वरना तुम भी काला पत्थर बन कर यहाँ हमेशा पड़े रहोगे।

परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे हितचिंतक हैं लेकिन मैं आगे पाँव बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएँ। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकूँगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। यह गेंद ले लो। इसे जमीन पर रखोगे तो यह खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे लग जाना। पहाड़ के नीचे जा कर यह रुकेगा और तुम उसी पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे पीछे से किसी तरह की आवाजें आएँ तुम पीछे मुड़ कर न देखना वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। ऊपर जा कर तुम्हें बोलनेवाली चिड़िया मिलेगी और वही तुम्हें अन्य दो चीजों का पता बताएगी।

परवेज सिद्ध को माथा नवा कर सवार हो कर चला। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जा कर गेंद रुक गई। परवेज घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। दो-चार ही कदम गया होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डाँट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश, बदतमीज, कहाँ बढ़ा जा रहा है। रुक जा कमबख्त, तुझे सजा दूँ। परवेज को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियाँ सुनीं तो उसका खून खौल गया और वह तपस्वी द्वारा दी हुई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देनेवाले के टुकड़े-टुकड़े कर दूँ। किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का ढोंका बन गया और उसके घोड़े का भी यही हाल हुआ।

परवेज के जाने के बाद परीजाद को बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी-कभी ही देखती थी किंतु परवेज की दी हुई माला को अपने गले में डाले रहती और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेर कर उनकी दशा को देखती रहती थी। चुनांचे ज्यों ही परवेज काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ उसके कुछ ही देर

बार परीजाद को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया क्योंकि माला के मोती एक-दूसरे से ऐसे चिपक गए थे कि माला फेरना असंभव था।

परीजाद उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुँह में भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की कमी न थी। उसने मर्दाने कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने गृह-प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न आए वह खुद महल की देखभाल करे, किसी प्रबंध में कमी न होने पाए।

बीस दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुँची। उसने प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएँ कि बोलनेवाली चिड़िया, गानेवाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। वृद्ध ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं किंतु स्पष्टतः तुम स्त्री हो जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीजें कहाँ हैं, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो? परीजाद बोली, जब से मैंने उनके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा, हैं तो वे चीजें संग्रहणीय लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग में बड़े खतरे हैं। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े-बड़े बहादुर उस राह पर जा कर वापस नहीं लौटे हैं। घर लौट जाओ।

परीजाद बोली, तपस्वी पिता, बीस दिन चल कर तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब तो यहाँ से यूँ ही वापस नहीं जा सकती। आप कृपया मुझे विस्तार से बताएँ कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं ताकि मैं उनसे निबटने का उपाय ढूँढ़ सकूँ। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच-समझ कर आगे बढ़ूँगी तो हर तरह के खतरों का सामना कर सकूँगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।

वृद्ध तपस्वी ने परीजाद को वे सारी बातें बताईं जो उसने बहमन और परवेज को बताई थीं। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी पर न पहुँच जाए। फिर तुम्हें बातें करनेवाली चिड़िया मिलेगी और वह तुम्हें गानेवाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्थानों को भी बताएगी। लेकिन पहाड़ चढ़ने के समय अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते के सारे काले पत्थर आदमी ही हैं जो उन तीनों चीजों की खोज में गए थे किंतु गालियों या धमकियों से डर कर या क्रुद्ध हो कर पीछे देखते ही काले पत्थर की शिला बन गए। परीजाद ने कहा, मतलब यह है कि वे केवल शब्द हैं और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर कोई पीछे मुड़ कर न देखे। सिद्ध पिता, आप विश्वास करें कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ तथापि सुने हुए किसी शब्द से विचलित नहीं हूँगी। मैं न तो इन आवाजों से भयभीत हूँगी न उन पर क्रोध करूँगी। मैं पूरा आत्मसंयम रखूँगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कस कर रूई ठूँस लूँगी ताकि मुझे वे आवाजें सुनाई ही न दें।

सिद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मालूम होता है कि तुम्हारे ही भाग्य में है। इतने लोग वहाँ गए हैं किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस, सब कुछ इस पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ सुनाई दे आदमी उसका असर अपने मन पर न पड़ने दे। परीजाद ने कहा, विश्वास रखिए कि मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूँगी। अब आप यह बता दीजिए कि पहाड़ को कौन-सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम होशियार तो बहुत मालूम होती हो लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें सलाह दूँगा कि घर लौट जाओ।

परीजाद आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो वृद्ध ने मजबूर हो कर अन्य लोगों की भाँति उसे भी मार्ग प्रदर्शन करनेवाली गेंद दी और कहा, इसे भूमि पर डाल दो। यह अपने आप लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जा कर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। परीजाद ने ऐसा ही किया और तेजी से लुढ़कती हुई गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। गेंद पर्वत के नीचे जा कर रुक गई तो वह घोड़े से उतर पड़ी और उसकी गर्दन पर लगाम डालने के बाद उसने अपने कानों में ठूँस-ठूँस कर रूई भर ली और धीरे-धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगीं किंतु वे कानों में रूई ठुँसी होने के कारण उसे सुनाई न दीं और वह बढ़ती गई। फिर पीछे से आनेवाली आवाजें और तेज हुईं। यह आवाजें भी उसे धीमी सुनाई दीं और उन्होंने उसके मस्तिष्क को बिल्कुल विचलित नहीं किया। फिर उसे ऐसी गालियाँ सुनने को मिलीं जो स्त्रियों के लिए होती हैं और बड़ी अपमानजनक होती हैं। परीजाद को एक क्षण तो बुरा लगा किंतु फिर वह उन गालियों पर हँस पड़ी।

इसी तरह उस भयानक चढ़ाई को दृढ़ता और संयम से पूर्ण करने के बाद वह शिखर पर पहुँची तो देखा कि एक पिंजड़े में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। परीजाद को देखते ही वह सिंह की तरह गरज कर बोली, ए लड़की, खबरदार मेरे पास न आना। परीजाद इस पर हँसने लगी और दौड़ कर चोटी पर पहुँच गई। वहाँ भूमि समतल थी। उसने दौड़ कर चिड़िया के पिंजड़े पर हाथ रखा और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसने कानों की रूई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित साधना करती रहूँगी। मैं पिंजड़े में बंद रहती हूँ किंतु संसार की कोई बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारा हाल इतना जानती हूँ जितना तुम भी नहीं जानतीं और मेरे कारण तुम्हें अयाचित लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हुई और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। इस समय तुम बताओ कि मुझ से क्या चाहती हो। मैं बगैर ना-नुकुर के उसे करूँगी।

चिड़िया की बातों से परीजाद को प्रसन्नता हुई यद्यपि उसे अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख भी था। उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे बहुत-सी बातें पूछनी हैं। सबसे पहले यह बात बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो मार्ग बताया उस पर चल कर परीजाद सुनहरे पानी के कुंड पर पहुँची और एक चाँदी की सुराही में, जो वह अपने साथ ले गई थी, अच्छी तरह पानी भर कर ले आई। फिर उसने चिड़िया से गानेवाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर एक बड़ा जंगल है। यह जंगल बहुत दूर नहीं है। उसी में गानेवाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन-सा पेड़ है क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परीजाद ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊँगी कैसे। चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखड़ेगा, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़ कर ले आओ। जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वह कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रुप में परिवर्तित हो जाएगी। देखनेवाले ताज्जुब करेंगे कि एक ही दिन में यह पूरा पेड़ कैसे आ गया।

शेष अगले अंक में...

वर्ष 2019-20 हेतु नराकास , कोयम्बत्तूर से क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बत्तूर को प्रशासनिक कार्यालय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है । पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बत्तूर के स.म.प्र श्री जी.जी. जयशंकर और श्री पी राजशेखर, प्रबंधक (राजभाषा) ।

नराकास, कानपुर से माल रोड - कानपुर शाखा को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार हुआ। पुरस्कार ग्रहण करते हुए शाखा प्रबंधक महोदय ।

नराकास, लुधियाना से क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार लेते हुए सहा महा प्रबन्धक श्री देवेन्द्र कुमार पुरी एवं राजभाषा अधिकारी सुश्री सीमा रानी।

वर्ष 2020 21 के लिए हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय को नराकास की ओर से प्राप्त द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बी प्रेम कुमार , वरिष्ठ प्रबंधक – राजभाषा (सेवानिवृत्त) और श्री गोविंद राम जयसवाल, सहायक प्रबंधक (नामित राजभाषा अधिकारी) ।

नराकास (बैंक) , वाराणसी से क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की पत्रिका "काशी प्रभात " को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य प्रबंधक महोदया एवं राजभाषा अधिकारी ।

दिनांक 05.07.2021 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय , दिल्ली का निरीक्षण ।

इस अवसर पर समिति के सदस्यों के साथ मौजूद हैं महा प्रबंधक श्री भुवन चन्द्र शर्मा , उप महा प्रबंधक (राजभाषा) श्री सुरेश कुलकर्णी एवं दिल्ली क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री श्याम सुंदर नारंग

आँख के बदले आँख

शुभम दीक्षित - सहायक प्रबंधक , केंद्रीय कार्यालय

अपने इस अंक में हम आपके लिए चुन कर लाए हैं एक बेहद ही खूबसूरत ख़त जिसे 1914 के क्रिसमस की शाम (युद्धविराम संधि के पहले दिन) उत्तरी स्टेफोर्डशेयर की पहली बटालियन के कप्तान 'जैक' के द्वारा अपनी पत्नी को लिखा था और इस अविश्वसनीय घटना का ज़िक्र किया था । ये वो वक्त था जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुए पाँच महीनों बीत चुके थे । इंसानियत इंसानी खून की प्यासी हो चुकी । अनगिनत राष्ट्र अपनी अपनी सम्पूर्ण सैन्य शक्तियों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े थे और हत्याओं का अविरत सिलसिला जारी था । फिर क्रिसमस से पहले की शाम कुछ अद्भुत घटा, जो अपने आप में इतना अनूठा था कि इतिहास के पन्नों पर उसे क्रिसमस ट्रूस (क्रिसमस पर युद्ध विराम) के नाम से जाना जाता है । बाद में इस घटना पर कई गीत और किताबें लिखी गईं और कई फिल्में भी बनीं । इस घटना की बात करें तो; पश्चिमी ओर की हजारों ब्रिटिश और जर्मन टुकड़ियों ने अपने हथियार डालने के बाद अपने बंकरों (युद्ध के दौरान बम और गोलियों के हमले से बचने के लिए कंक्रीट और लोहे के भूमिगत कक्ष) से बाहर निकल कर एक दूसरे को शांतिपूर्ण माहौल में क्रिसमस की बधाई देने का फैसला लिया और अपने बंकर से हथियार उठा कर एक दूसरे का अभिनंदन किया । वास्तव में अगले कुछ दिनों तक लगभग 1,00,000 से अधिक ब्रिटिश और जर्मन लोगों ने आपस में बातें कीं, एक दूसरे को तोहफे दिए, गीत गाए और कई फुटबाल मैच खेले । और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि वे अपनी जान के खौफ के बिना अपनों को आखरी विदाई दे सके । युद्ध समाप्ती के बाद जैक अपने घर वापस आया और कई सालों के बाद 1948 में अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच अपने निवास स्थान पर ही उसकी मृत्यु हो गई ।

MIX WITH FOES, ABANDON ARMS FOR CHRISTMAS

Extraordinary Truce Observed—British and Saxons Exchange Souvenirs

LONDON—An officer in the Queen's Westminster Rifles thus describes an

ख़त

मेरी आँखों ने आज जो कुछ भी अभी देखा, के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था । कल क्रिसमस है, आज रात जब मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए अपने बंकर में आया तो आम दिनों की ही तरह गोलीबारी जारी थी । दुश्मनों की मशीन गन्स हमारी तरफ बारिश की बूंदों की तरह गोलियां उगल रहीं थी । लेकिन फिर अचानक सात बजे के करीब गोलीबारी रुक गई ।

मुझे एक लिफ़ाफ़ा मिला और मैं अपने बंकर के बाहरी की ओर खोदे गए हिस्से में आकर उस लिफ़ाफ़े से निकले चिट्ठीनुमा कागज़ को पढ़ने लगा । ये एक सूचना थी जिसमें लिखा गया था कि जर्मन सैनिकों ने अपने बंकरों और उसके आस पास के इलाके में रौशनी की है और सभी चाहते हैं कि ये क्रिसमस गोलियों की आवाज़ों के बिना मनाया जाए । कुछ समय के बाद हम अपने-अपने बंकरों से निकाल आए और एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएँ और अन्य उपहार देने के लिए बुलाया । जब मैं अपने बंकर से बाहर निकला तो वो चिल्लाए कोई गोली नहीं चलाएगा और फिर किसी तरह माहौल शांतिपूर्ण हो गया । हमारे सभी लोग अपने अपने बंकरों से बाहर आ गए और रेलिंग पर बैठ गए और ठीक यही जर्मन सैनिकों ने भी किया और हमने आपस में कुछ टूटी-फूटी इंग्लिश में बात की । मैं इतना उत्साहित था

कि अपने बंकर की छत पर चढ़ गया और जर्मन सैनिकों से 'जर्मन वोल्क्स्लिएड'(क्षेत्रीय गीत) गाने को कहा । उनका गाना खत्म होने के बाद हमने भी कुछ गाने गए और ताली बजा कर एक दूसरे का अभिवादन किया ।

जर्मन, जिससे हमने 'श्रुम्मान' का कोई एक गाना गाने को कहा था, ने अपने जोश के चलते दो बेहतरीन गाने गा कर सुनाए । हमारे लोग अच्छे श्रोता थे और हमने उन गानों का लुफ्त उठाया । और फिर पोप और मैं साथ चल कर आगे गए और हमने जर्मन कमांडर से बात की ।

उनमें से एक ने सभी से हमारा परिचय करवाया, उसने मेरा नाम पूछा और उसके बाद हम उसके ऑफिस में चले गए । मैंने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें सरहद के बीच में पड़े जर्मन शहीदों की लाशों के अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी गई थी और हमने समझौता किया कि अगली रात 12 बजे तक किसी भी ओर से कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी । हमने काफी चर्चा की, जिसके दौरान करीब 10 जर्मन सैनिकों ने हमें घेर रखा था । मैं उनकी सरहद में करीब एक मील तक अंदर पहुँच चुका था । हमने एक दूसरे को सलामी दी और उन्होंने शहीदों के अंतिम संस्कार की मंजूरी देने का शुक्रिया अदा किया और हमने तय किया कि, इस काम के लिए कितने लोग पर्याप्त होंगे और उनके अलावा बाकी सभी को बंकर में ही रहना होगा ।

हमने एक दूसरे को क्रिसमस की रात और आने वाली कई खुशहाल रातों की शुभकामनाएँ दीं और एक सलामी के साथ हम वापस अपने बंकर की ओर चल दिए । जर्मन सैनिकों ने "डाइ वाच एएम रहैन" गाया जो काफी अच्छा था । उसके बाद हमारे सैनिकों ने बेहतरी तरीके से "क्रिश्चियन अवेक" को गाया जो सुनने में बेहद खूबसूरत था, और एक शुभरात्रि शुभकामना के साथ हम वापस अपने बंकरों में चले गए । ये एक बेहतरीन नज़ारा था, एक खूबसूरत रात, जर्मन बंकर और उन पर छोटी सी रौशनी और उसकी रेलिंग पर दोनों ओर झुंड बनाकर खड़े हुए लोग ।

कभी-कभी हमने दूर कहीं गोली चलने या या राइफल चलने की आवाज़ सुनी । मैं उन्हें अभी भी सुन रहा हूँ मगर हम इस सब के आदी हो चुके हैं । मैंने कुछ एक या दो लोगों को बाहर जा कर जर्मन लोगों से मिलने की या कुछ आगे तक जाने की अनुमति दे दी है । उन्होंने वापस आ कर बताया कि उन्होंने आपस में सिगरेट के कुछ एक कश साझा करते हुए बातें कीं । वो अफसर जिससे मैंने बात की थी, ने आशा जताई कि आने वाले साल के दिनों में भी हम ऐसा ही करेंगे, और मैंने कहा कि "हाँ, अगर मैं यहाँ रहा तो" । मैंने महसूस किया कि अपने बिस्तर में जाने से पहले मुझे बैठ कर क्रिसमस की कहानी लिखनी चाहिए । हालांकि, एहतियात बरतने में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता ही कि वो हमारे साथ फुटबाल खेलना पसंद करेंगे । एक पल को मुझे लगता है कि मुझे सुरक्षा के लिहाज से पूरी रात जागते रहना चाहिए । ये सोचना कितना अजीब है कि कल रात के बाद हम फिर से एक-दूसरे की बंदूकों के निशाने पर होंगे । हम एक बार को इस सब से बाहर निकल जाए फिर भी ये क्रिसमस हमेशा ही हमारी यादों में ज़िंदा रहेगा । वो जर्मन जिसने गाना गाया था, की आवाज़ सच में कमाल की थी ।

मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ, या शायद ये देखने कि क्या सब ठीक है ।

क्रिसमस का दिन

हमारे सामने एक बिलकुल शांत रात थी हालांकि हमारे दाएँ और बाएँ स्नाइपिंग (उचित दूरी से बैठ कर सटीक निशाना लगाना) जारी थी । मेरे बंकर में और हमारे उस पार खड़े उन दुश्मनों के बंकरों में केवल एक बड़ी आग जल रही थी जिनमें यदा-कदा कुछ गाने और बाते घुल जाती थीं । आज सुबह 'रेवेल्ले', जर्मनी में लोगों ने शहीदों को दफ़नाने के लिए उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया । हमारे लोग उनकी मदद करने के लिए गए और हम सब सरहद के बीच में जमा हो गए और हम लोगों ने आपस में बात करना, तंबाकू आदि साझा करना शुरू कर दिया । हम आज की सुबह बातें करते हुए और गाने गाते हुए गुजरी । मैं करीब एक किलोमीटर तक अंदर था या कहूँ तो उनके बंकर में ही था, मैं उनके कर्नल, स्टाफ ऑफिसर और कई अन्य कंपनी ऑफिसर्स से मिला और शुभकामनाएँ दीं । सभी लोग बहुत अच्छे थे और हमने ये तय किया कि हम अपने विरोधी के बंकर के करीब कभी नहीं जाएंगे, लेकिन सरहद के बीच में ही कहीं रहेंगे । ये सब कुछ बहुत ही असाधारण था । सभी लोग बहुत ही सामान्य और दोस्ताना थे । जर्मन ऑफिसर्स की, जर्मन ऑफिसर्स और मेरी और जर्मन सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिकों की बहुत सारी तस्वीरें ली गईं ।

हम अभी खाने के लिए आए ही थे और हमें दिन छुपने से पहले, जब तक कि युद्ध शुरू नहीं हो जाता एक दूसरे से मिलकर रात 9 बजे से पहले-पहले वापस अपने बंकरों में भी जाना था । मुझे हैरानी हो रहे थी कि गोलीबारी की शुरुआत कौन करेगा ! उन्होंने कुछ इस तरह कहा "आसमान की तरफ गोली चलाओ और हम वही करेंगे", हालांकि ये शुरू होगा और और कल सुबह तक हम दोबारा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे । सच कहूँ तो "एक दिन की शांति" बेहद असामान्य घटना है । दोनों ओर से एक दिन की छुट्टी होने पर मैंने कभी भी लोगों को इतना खुश नहीं देखा ।

उनका ओपेरा गायक आज हमें एक या दो गाने देने वाला है, शायद मैं भी उन्हें एक गाना दूँ । कोशिश करो और सोचो महज़ 50 गज़ की दूरी के बंकरों के बारें में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने एक दूसरे के सिर को छोड़ कर कभी कुछ नहीं देखा । और फिर अचानक वो अपने घोसलों से निकाल आते हैं, उनमें दोस्ती हो जाती है । एक साथी, एक शादीशुदा आदमी ने 'बैटी' और 'नैन्सी' की जो तस्वीर मेरे पास थी, को अपने बिस्तर के पास रखने की इच्छा जाहिर की और मैंने उसे वो दे दी जैसे कि मेरे पास दो तस्वीरें हों; मुझे लगता है कि उसने उन तस्वीरों को सभी को दिखाया होगा, क्योंकि बाद में कुछ जर्मन इसके बारे में मुझे बता रहे

थे । उसने मुझे अपनी और अपने परिवार की एक तस्वीर दी जो कुछ दिन पहले ही ली गई थी ।

दिन ढल रहा है और मुझे ये खत जल्द ही पूरा करना होगा । मैंने बस कुछ देर पहले ही खाना खाया था जिसमें कुछ पीस पोर्क, बेर का हलवा, कीमा पाई, एक अदरक से बनी वाइन की बोतल, और एक सिगार शामिल था । मुझे अब जर्मन लोगों के साथ मीटिंग करने और हालात का जायज़ा लेने के लिए बाहर जाना होगा ।

मैं एक-दो दिनों में और लिखने की कोशिश करूंगा । ये ख़त संभाल कर रखना और इसकी कुछ नकल सभी को भेजना । मुझे लगता है कि वे जानने को उत्सुक होंगे कि इस क्रिसमस के दिन के लिए घोषित की गई शांति के दौरान यहाँ के हालात कैसे थे । क्रिसमस की शाम को शांत बनाए रखने के लिए दुश्मन के बंकर की ओर आधी दूर तक अकेले और निहत्थे चल कर जाना ये काफी मज़ाकिया लगता है । ये चीज़ मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी ।

बच्चियों को मेरी ओर से चूमना और मेरा प्यार देना । सारी बातों को जोड़ते हुए मुझे कुछ लंबे ख़त लिखना । मुझे उम्मीद है कि फोटो ठीक-ठाक ही आए होंगे । संभवतः तुम उन्हें किसी अखबार में देख सकोगी ।

सिर्फ तुम्हारा,

जैक

देशकाल

ये ख़त जिस दौर में लिखा गया, वो दौर औपनिवेशवादी नीतियों का दौरा था, अराजकता का दौर था, आर्थिक लाभों के लिए नैतिक मूल्यों को हाशिये पर धकेलने का दौर था । ये वो दौर था जब इंसानी जान की कीमत आज के समय में मवेशियों से भी सस्ती हुआ करती थी और हमेशा की ही तरह इस बार भी हमें इस सब को समझने के लिए इतिहास में झांकना होगा । अपने इस स्तम्भ में हम आज प्रथम विश्वयुद्ध के शुरु होने के कारण तथा युद्ध में शामिल होने वाले देशों की भूमिका, युद्ध के चरण, युद्ध का वैश्विक प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध की नींव, प्रथम विश्वयुद्ध का भारत की सामाजिक, अर्थव्यवस्था तथा राजनैतिक घटनाओं पर प्रभावों का छिद्रान्वेषण करेंगे ।

युद्ध के कारण तथा शामिल देशों की भूमिका

किसी भी ऐतिहासिक घटना की पड़ताल के दौरान उसके घटने के कारणों पर प्रकाश डाले बिना आगे बढ़ जाना उसके विश्लेषण के साथ अन्याय होगा । तो आज के स्तम्भ में हम बात शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की जो 28 जुलाई 1914 से शुरु हो कर 11 नवम्बर 1918 तक चला । वैसे तो इसकी शुरुआत के कारणों पर फौरी तौर से नज़र डालने पर सारा मामला सिर्फ एक राजनैतिक हत्या से जुड़ा हुआ सा जान पड़ता है किन्तु जैसे-जैसे हम देशकाल में उतरते जाते हैं वैसे-वैसे कुछ अन्य नाभिनालबद्ध घटनाओं का रहस्योंद्घाटन होता चलता है ।

हालांकि, इन सब घटनाओं के नाभिकीय गति से विघटन व प्रसार की शुरुआत तब होती है जब 28 जून 1914 को बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे आस्ट्रिया-हंगरी के सिंघासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडीज़ की एक सर्बियाई व्यक्ति, जिसका ये सोचना था कि आस्ट्रिया को बजाय सर्बिया के बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, ने आर्कड्यूक की गोली मार कर हत्या कर दी । इस अकेली घटना ने पूरे यूरोप को अस्थिरता के दलदल में ढंकेल दिया, जिसका दंश आने वाले सालों में 20 मिलियन लोगों ने सहा जो गंभीर रूप से घायल या अपंग हो गए तथा सेना व रिहायशी लोगों की संख्या को जोड़ा जाए तो

आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडीज़ के हत्यारे गैवरिलो प्रिंसिप को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस

लगभग 20 मिलियन से अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । अपने राजकुमार की हत्या को अपने देश के हितों की अपूर्णीय क्षति मानते हुए आस्ट्रिया ने सर्बिया को शत्रु माना और इस एक हत्या ने अन्य कई छोटी बड़ी घटनाओं को जन्म दिया जिन्हें इतिहासकार जुलाई क्राइसेस के नाम से संबोधित करते हैं (जिन पर लंबी चर्चा विषय से भटकाव के रूप में परिणत होगी और उनकी यहाँ चर्चा करना निरुद्देश्य हो जाएगा) । आस्ट्रिया ने बिना किसी देरी के सर्बिया को 48 घंटों के भीतर इस घटना के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने अपराधियों को सम्पूर्ण दमन करने की चेतावनी जारी कर दी । सर्बिया ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज करते हुए खामोशी का रुख इख्तियार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को आस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । देखते ही देखते दो देशों की इस लड़ाई में और भी बड़े देश शामिल होते चले गए और स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर होती चली गईं ।

लेकिन इस युद्ध में अन्य देशों के शामिल होने की घटना कोई जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला नहीं थी, ये उस समय देशों के बीच सामरिक नीतियों के तहत की गई संधियों का ही परिणाम था जिसके चलते चाहते-न चाहते हुए भी अन्य देशों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा । तात्कालिक समय में सभी यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते व संधियाँ कर ली थीं । इन संधियों का सीधा सा अर्थ था कि यदि यूरोप के एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उस राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना

होगा । ऐसी संधियों में प्रमुख थीं, 1882 में आस्ट्रिया-हंगरी और इटली के बीच त्रिपक्षीय संधि एवं ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को जोड़ने वाला त्रिपक्षीय सौहार्द जोकि 1907 को समाप्त हो गया था और इन्हीं दो संधियों के चलते यूरोप दो गुटों में बंट गया ।

अगर कुछ अन्य कारणों की बात करें जो निरपेक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, तो हमें इतिहास में एक और शताब्दी पीछे की ओर लौटना होगा । सन 1800 आते-आते बड़े देशों के द्वारा अफ्रीका एवं एशिया के बड़े हिस्सों को कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाने तथा शोषण के उद्देश्य से उपनिवेशों में परिवर्तित कर दिया गया (हालांकि इस संबंध में हमने अपनी पत्रिका के 125वें अंक में औपनिवेशिक हिंसा का प्रतीक - लियोपॉल्ड II में चर्चा ज़रूर की थी मगर कुछ तथ्यों को पुनः उद्धृत करने की जरूरत महसूस हो रही है) । यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि जब लूटने को हजारों हाथ तैयार हों और लुटने वालों की संख्या सीमित तो एक वक्त के बाद लूटने वाले हाथ ही आपस में उलझने लगते हैं । प्रथम विश्व युद्ध से पहले का दौर वही था जब वर्चस्व के लिए डच, रोमन और फ्रेंच में अमूमन जो छोटी-मोटी मुठभेड़ें तो शुरुआती दौर से ही होती रहती थीं, जिन्होंने 1900 के बाद के समय में विस्फोटक रूप धारण कर लिया । यहाँ ये बात नोट की जानी चाहिए कि जैसे-जैसे दशक बीतते गए, संसाधन भी सिमटते चले गए और विदेशी जमीनों पर भी वर्चस्व की जंगें लड़ी जाने लगीं ।

एक ओर जहाँ सन 1800 आते-आते दक्षिणी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा फ्रांस के प्रभाव के अधीन आ चुका था और फ्रांस उससे जुड़े हुए प्रान्तों के प्रकृतिक संसाधनों के भरपूर दोहन में लगा हुआ था वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन भारत समेत एशिया और करीबी द्वीपों पर कब्जा जमाए बैठा था । असल में ये वो दौर था जब जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धान्त पर छोटे देशों के ऊपर राज किया जाता था । ऐसे में इन देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने नई विस्तारवादी नीति की शुरुआत की जिसके तहत जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में खड़ा किया जाना था और अधिक से अधिक मात्र में अस्त्रों-शस्त्रों का उत्पादन किया जाना था । इसी क्रम में जब इटली ने भी जर्मनी की राह पकड़नी चाही तो इसके लिए न तो अधिक संभावनाएं ही बचीं थीं, न ही और अधिक भू क्षेत्र । लेकिन जर्मनी और इटली की इन नीतियों को अन्य देशों ने एक चुनौती के रूप में माना । एक ओर जहाँ मोरक्को तथा बोस्निया संकट ने भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच कटुता के बीज बोए, वहीं दूसरी ओर जर्मनी की बर्लिन-बगदाद रेल मार्ग परियोजना ने आग में घी का काम किया और कहीं न कहीं आगे चल कर ये सभी संयुक्त रूप से अस्थिरता का कारण बने ।

अन्य कारणों की बात करें तो जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद के आधार पर किया गया । उस समय बालकन क्षेत्र के भीतर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी किंतु वह तुर्की साम्राज्य के अधीन आता था, अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतन्त्रता की मांग शुरू कर दी । बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग आस्ट्रिया-हंगरी के स्थान पर सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा की परिणिति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई । रूस का मानना था कि अगर स्लाव आस्ट्रिया-हंगरी व तुर्की से स्वतंत्र हो जाएगा तो उसे रूस में जोड़ा जा सकता था और इसी के चलते रूस ने स्लाव तथा सर्वस्लाववाद आंदोलन का खुल कर समर्थन किया और आस्ट्रिया-हंगरी से दुश्मनी मोल ले ली ।

ये छोटे-छोटे ऐसे विवाद थे जिन को एक साझा मंच पर बैठ कर आम सहमति से आसानी से सुलझाया जा सकता था मगर प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो दो देशों के बीच इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए के साझा मंच उपलब्ध करवा सके । उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र निरंकुशों सा व्यवहार करते हुए अपनी मनमानी कर रहा था जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ।

युद्ध के चरण

अब क्योंकि युद्ध में कई देश शामिल थे इसके चलते युद्ध कई मोर्चों पर पर लड़ा गया जिनका अपना-अपना महत्व है । प्रमुख युद्धों में अगर यूरोपीय, अफ्रीकन तथा एशियाई पक्ष की बात करें तो समझने की दृष्टि से युद्ध को दो प्रमुख मोर्चों पर लड़ा गया जिसमें से एक था पश्चिमी मोर्चा; जहाँ जर्मनों ने ब्रिटेन तथा फ्रांस के साथ तथा 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया । दूसरा मोर्चा था पूर्वी मोर्चा जिसमें रूस ने जर्मनी तथा आस्ट्रो-हंगेरियन सेनाओं के साथ संघर्ष किया । वर्ष 1914 तक जर्मनी को कुछ बढ़त हासिल होती सी दिखाई दी मगर उसका **पश्चिमी मोर्चा** स्थाई हो गया तथा वहाँ से क्रूरतम युद्ध का सिलसिला चल निकला। इसी बीच **पूर्वी मोर्चे** पर जर्मनी की स्थिति और अधिक मजबूत होती रही मगर अंत आते-आते वो इसे स्थायी तथा निर्णायक रूप नहीं दे सका और अंत में उसे अपने पाँव वापस खींचने पड़े । वर्ष 1917 में दो घटनाएँ घटित हुई जिन्होंने पूरे युद्ध का रुख ही बदल कर रख दिया । एक ओर जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया तो वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के चलते रूस इस युद्ध से बाहर हो गया और उसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए ।

युद्ध के अंतिम वर्ष के दौरान सन 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र राष्ट्रों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी के लिए मजबूर कर दिया । अक्तूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की तथा आस्ट्रिया के आत्मसमर्पण के साथ एक ओर जहाँ जर्मनी बेहद अकेला पड़ गया था वहीं दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों के बीच कई प्रकार के समझौतों तथा संधियों के चलते काफी निकटता आ गई थी । इन सभी घटनाओं के चलते सारा दबाव सिमट कर जर्मनी के ऊपर हावी होने लगा और अंत में ये दबाव जर्मनी के भीतर विद्रोह, अराजकता तथा घोर आर्थिक संकट के रूप में फलित हुआ और तात्कालिक जर्मन सम्राट कैज़र विलियम

द्वितीय का सिंहासन निगल गया। कैज़र विलियम द्वितीय के पद त्याग करने के साथ ही जर्मनी में वेमर गणतन्त्र की स्थापना हुई तथा नवनिर्मित सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और यह प्रलयकारी प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो गया।

युद्ध का वैश्विक प्रभाव

प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने से पहले ही एक निरपेक्ष शत्रु ने जन्म ले लिया था, जिससे पूरे विश्व को संयुक्त रूप से आने वाले तीन सालों तक युद्ध लड़ना पड़ा। इसके बारे में एक विशेष आलेख के ज़रिए हमारी पत्रिका के 128 वें अंक में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1918 में पहली बार सामने आए स्पैनिश फ्लू की, जिसने अपनी जद में आई पूरी दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी को मौत की नींद सुला दिया।

इतिहास गवाह रहा है कि युद्ध वह वेदी है जो आहुति की मांग करती है, युवाओं की जान की आहुती, तकनीक तथा विज्ञान की आहुती, प्रगति तथा विकास की आहुती तथा इस सब के साथ असीम धन व अर्थ की आहुती। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का इस युद्ध के दौरान बेतहाशा धन खर्च हुआ। जर्मनी तथा ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से अर्जित आय का 60% से अभी अधिक हिस्सा युद्ध के ऊपर खर्च कर दिया। हमें याद रखना होगा कि जब भी इस तरह की कोइ घटना घटती है तो उसका बोझ अंतिम उपभोक्ता यानि कतार में खड़े आखरी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवास्ता का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया; फलतः देश की जनता पर भारी भरकम करों को लाद दिया गया, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुँच गई और आम इंसान का जीवन मुहाल हो गया।

कहा जाता है कि अपनी गलतियों का भुगतान अंत में आपको ही करना पड़ता है, ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध के समापन के समानान्तर कुछ राजनैतिक घटनाएँ भी घटीं, जिन्होंने चार बड़े राजतंत्रों को समाप्त कर दिया जिनमें रूस की क्रांति के बाद रूस के सीज़र निकोलस द्वितीय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा जनाक्रोश के चलते देश में अराजकता फैलाने लगी और विद्रोहियों के दबाव में आकर जर्मनी के क़ैसर विल्हेम को अपना पद त्यागना पड़ा। युद्ध की विभीषिका में झुलसे आस्ट्रिया के चार्ल्स प्रथम को युद्ध के समापन के दिन ही यानि 11 नवंबर 1918 को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। एक दौर में रोमन साम्राज्य को उखाड़ कर कॉस्टेंनटिनोपोल को टर्की के ऑटमन साम्राज्य अधीन ताने वाले ऑटमन साम्राज्य का सन 1922 को सुल्तान मेहमेद VI के पतन के साथ ही सदा के लिए अवसान हो तथा टर्की को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया।

एक ओर जहाँ चार बड़े शाही घरानों का पतन हुआ वहीं दूसरी ओर प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मानचित्र में कई परिवर्तन आए तथा साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। कई संधियाँ की गईं जिसके तहत आस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस की सीमाएँ काफी हद तक बदल गईं। बाल्टिक साम्राज्य को रूसी साम्राज्य की अधीनता से स्वतंत्र करा दिया गया। एशियाई तथा अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहाँ की परस्थितियाँ बदल गईं। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश तथा सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रखा गया एवं फिलिस्तीन को इंग्लैंड को दे दिया गया। फ्रांस ने अल्सास तथा लोरें को वापस पा लिया। यूपेन तथा माल्देमी बेल्जियम के हाथों में चले गए। पूर्वी क्षेत्रों को पोलैंड ने नष्ट कर दिया जिसके चलते पूर्वी प्रशिया क्षेत्रीय रूप से अलग-थलग पड़ गया। डेटिंग और मेमेल, पूर्व बाल्टिक शहरों को मुक्त शहर घोषित कर दिया गया। डेनमार्क ने उत्तरी श्लेस्विग-होल्स्टीन पर कब्जा जमा लिया। जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए और

बगदाद में ट्रेन का इंतज़ार करते भारतीय सैनिक

विजेता देशों ने उन्हें वापस ले लिया। छोटे बालकन देशों को बहुत नुकसान हुआ तथा बुल्गेरिया के अनेक क्षेत्र यूनान, युगोस्लाविया तथा रोमानिया को दे दिए गए। ऑटमन साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप इसके कई क्षेत्र यूनान तथा इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया तथा पैलेस्तीन, इराक व ट्रांसजॉर्डन को ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत कर दिया गया।

अगर सामाजिक कारणों की बात की जाए तो प्रथम विश्वयुद्ध ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से शामिल सभी देशों के जन जीवन को गहरे तक प्रभावित किया। जिससे ब्रिटेन का औपनिवेश होने के कारण भारत भी अछूता नहीं रहा। युद्ध में लाखों युवाओं के मारे और लगभग उतने ही या उससे अधिक के घायल हो जाने के कारण जन्मदर में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई देशों की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होने के कारण लोगों को अपने घरों तथा अपनी ज़मीनों को छोड़ कर पलायन करना पड़ा। अगर भारत के परिपेक्ष्य में बात की जाए तो 1911 से 1921 के बीच का यह दशक एकमात्र जनगणना काल था जिसमें जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की गई। वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो कई उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी तथा युवाओं, मध्यम तथा निम्न वर्गों ने अपने देश के पुनर्गठन की

मांग की ।

युद्ध के सकारात्मक पहलू जो गिनती में काफी सीमित ही थे, को अनदेखा नहीं किया जा सकता । दरअसल 1911 से 1921 के दौरान भर्ती हुए सैनिकों की साक्षरता दर में काफी वृद्धि देखी गई । इस सब से इतर लड़ाकों के अलावा भी सेना में कई पदों पर भर्तियाँ निकली गईं जिसमें नर्स, डॉक्टर, कुक आदि पदों पर महिलाओं ने भी काम किया । अधिकतर युवाओं के युद्ध पर जाने के कारण देशों की अर्थव्यवस्था का जो पहिया रुकने लगा था, जिसे रफ्तार देने के लिए मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों को फिर से खोला गया और महिलाओं की भर्ती की गई । इस तरह तमाम तरह के अधिकारों से वंचित अपने पति के नाम "मिसेज़ ऑफ..." का भारी भरकम लबादा ओढ़ने वाली महिलाओं ने घरों की चार दीवारी के बाहर निकल कर अपने अस्तित्व को पहचाना तथा पहली बार स्वाश्रम से अर्जित कमाई की सुखदानुभूति ली । ये वो दौर था जब महिला सशक्तिकरण के इतिहास को लिखे जाने की भूमिका तैयार हो रही थी । महिलाएँ अपने अधिकारों तथा अपनी क्षमताओं को चीन्हती हुई संभल कर आगे बढ़ाना सीख रहीं थी । अब जो महिलाएं पुरुषों द्वारा बनाई गई कागज़ी बेड़ियों को तोड़ आईं थीं उन्हें दोबारा उनमें कैद करना आसान न था । युद्ध समाप्त होने पर घर वापस आए लड़ाकों ने जब ऐसा करना चाहा तो विद्रोह की एक लहर दौड़ गई और पहली बार बृहत्त स्तर पर विश्व का नारीवाद से परिचय हुआ । नारीवाद का उत्थान तथा उसके विभिन्न चरणों की गाथा ज़रा लंबी है तो उस बारे में हम किसी अन्य अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे ।

द्वितीय विश्व युद्ध की नीव

सन 1919 में पेरिस के शांति सम्मेलन में एक ऐसी आदर्श विश्व व्यवस्था की स्थापना का दिवास्वप्न देखा गया जोकि न्याय, निशस्त्रीकरण तथा समानता पर आधारित होगी । मगर दीमकों की बांबी पर बने इस स्वप्न की आकांक्षाओं का बोझ उसकी नींव सह न सकी और अंततः 1 सितंबर 1939 को ढह गई, जिसकी परिणिति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई । दरअसल हम बात कर हैं पेरिस में हुई उस संधि की जिसके वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है । इस प्रकार जिस संधि से प्रथम विश्व युद्ध के समापन के आगे शांति तथा समृद्धि की राह निकलनी थी उसी ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया । अगर इतिहासकारों की माने तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधि संधि के मूलभूत उद्देश्यों के प्रति उतने बफादार नहीं थे तथा इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख उपलब्धि 'वर्साय की संधि" जर्मनी के ऊपर जबरन थोपी गई संधि थी ।

लगभग आधी शताब्दी पूर्व सन 1871 में फ्रांस को पराजित कर प्रशिया प्रभुत्व वाले राष्ट्रों का एकीकरण कर जिस जर्मनी की नींव रखी थी, फ्रांस का उस राष्ट्र से बैर होना एक स्वाभाविक सी बात थी और इसी के चलते फ्रांस निरंतर भय तथा अपमानित महसूस करने को अभिशप्त था । प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात फ्रांस न तो अपने अपमान के बदले से चूकना चाहता था और वर्साय की संधि के माध्यम से न ही वो चूका । पेरिस में भाग लेने गए जर्मनी के शिष्ट मण्डल को नगर के बाहरी भाग में काँटों से घिरे हुए होटल में रखा गया जिसके बाहर किसी जेल के समान 24 घंटे पुलिस की पहरेदारी की व्यवस्था की गई थी । संधि का प्रारूप तैयार करते वक़्त किसी भी स्तर पर जर्मन प्रतिनिधियों से कोई परामर्श/ चर्चा नहीं की गई । जर्मनी के प्रतिनिधियों के ऊपर मित्र राष्ट्रों के द्वारा दबाव बनाया गया कि वे बिना किसी सवाल जवाब के हस्ताक्षर कर दें अन्यथा जर्मनी के विरुद्ध पुनः सैन्य कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी । अगर सही मायनों में कहा जाए तो पूरे शिष्ट मण्डल के साथ बेहद ही खराब व्यवहार किया गया ।

जब पहली बार 7 मई 1919 को शिष्ट मण्डल को बुलाया गया तो उन्हें संधि का प्रारूप देते हुए अपनी सरकार से परामर्श कर आपत्तियाँ या सुझाव लिखित रूप में तीन सप्ताह के भीतर दर्ज़ करने का निर्देश जारी कर दिया गया । जब जर्मनी की जनता को संधि की शर्तों के बारे में पता चला तो उन्होंने ने इस पर कड़ी असहमति दर्ज़ की तथा शर्तों को स्वीकार करने से मना कर दिया । जर्मनी का तर्क था कि युद्ध के लिए केवल वह ही उत्तरदायी नहीं है तथा उसका कहना था कि "हमको अपना ही जल्लाद बनाने को मत कहो" । जर्मनी के ऊपर बनाए गए दाबाव को उस वक्त के समाचार पत्रों की सुर्खियों से समझा जा सकता है, "जर्मनी की जनता दृढ़ है कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे", "जर्मनी के नेता दृढ़ है कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे", और मित्र राष्ट्रों का कथन था कि, "भले व्यक्ति, हस्ताक्षर तो आपको करने ही पड़ेंगे, वर्साय में नहीं तो बर्लिन में सही" । जर्मनी द्वारा पेश की गई लगभग सभी आपत्तियों को ख़ारिज़ कर दिया गया अतः मजबूरी में जर्मनी को 28 जून 1919 को वर्साय के भवन में संधि पर हस्तक्षर करने पड़े क्योंकि हस्ताक्षर न करने का एक ही अर्थ था, मित्र राष्ट्रों की ओर से सैन्य आक्रमण आमंत्रित करना । उस वक्त के लिए जर्मनी ने हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन हस्ताक्षर के साथ ही बदला लेने का प्रण भी कर लिया ।

TREATY SIGNED; WAR OVER

The Evening World. FINAL

WILSON LEAVES PARIS; SAILS SUNDAY

GERMANS PLEDGED TO ACT IN GOOD FAITH

वर्साय की संधि के बाद अखबारों में छपी खबर की प्रति

अगर संधि का निचोड़ निकाला जाए तो उसका सीधा सा अर्थ था "लूट का माल विजेताओं को, और मित्र राष्ट्र विजेता है" । जर्मनी पर जो हरजाने, विसैन्यीकरण और हथियारों की कटौती के प्रावधान, युद्ध दोषी बताने वाला खंड और सीमा क्षेत्रों के अधिग्रहण थोपे गए वे सभी बदले की भावना से ओतप्रोत थे । जर्मनी को चौतरफा दबाव के चलते निशस्त्रीकरण करना पड़ा मगर संधि के विपरीत मित्र राष्ट्रों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया । न केवल जर्मनी के अफ्रीकी उपनिवेशों को हड़प लिया गया बल्कि उसके कई सीमावर्ती हिस्सों को मित्र राष्ट्रों के बीच बाँट दिया

गया । संधि के उपबंधों के अनुसार जर्मनी को मुआवजे के रूप में 6,600 मिलियन डॉलर की राशि जोकि उस समय के हिसाब से बहुत अधिक थी तथा जर्मनी जो स्वयं युद्ध के बाद बर्बदी के कगार पर खड़ा था, का भुगतान मित्र राष्ट्रों को करना था । अंततः मित्र राष्ट्रों को दस सालों के बाद 1929 में अपनी भूल का एहसास हुआ तथा 1929 में युंग योजना के तहत मुआवजे की राशि को घाटा कर 2,000 मिलियन डॉलर कर दिया गया । इसके बावजूद भी जर्मनी केवल 1,000 मिलयन डॉलर की रकम ही चुका पाया और उसने आगे की किस्त अदा करने से इंकार कर दिया ।

इस संधि ने जर्मन की आर्थिक, राजनैतिक तथा सैन्य व्यवस्था की रीढ़ तोड़ कर रख दी, जो 1929 की मंदी के दौरान और उभर कर सामने आई । संभवत: यह एक प्रमुख कारण था कि हिटलर जैसे गुमनाम चेहरे की अगुवाई में बनी नाजी पार्टी नाम का एक छोटा सा राजनैतिक दल जो महज़ कुछ नौसिखिये लोगों का समूह था, 1933 में एक बड़ी जीत दर्ज़ कर राष्ट्रीय पार्टी बन सका । नाजी पार्टी का पहला वादा यही था कि सत्ता में आने के बाद वे मित्र राष्ट्रों को क्षतिपूर्तियों के लिए दिए जाने वाले भुगतान को बंद कर देंगे । हालांकि द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत के और भी कई कारण थे, मगर इस के बीच वर्साय की संधि के प्रभाव को इतिहासकार गहरे तथा बड़े अक्षरों के साथ रेखांकित करते हैं ।

प्रथम विश्व युद्ध और भारत

जैसा कि सर्वविदित है कि जिन वर्षों के दौरान प्रथम विश्वयुद्ध लड़ा गया उन वर्षों में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था और क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन ने सक्रिय सहभागिता की थी जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध के लिए इच्छा/ अनिच्छा से ही सही ब्रिटेन को भारतीयों ने धन बल तथा जन बल उपलब्ध करवाया और युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता न करते हुए भी भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल रहा । अगर ब्रिटिश आंकड़ों की माने जन बल में 11,61,789 भारतीय सेना के जवानों ने ब्रिटेन की ओर से विभिन्न मोर्चों पर केन्द्रीय देशों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और धन बल की बात करें तो जिस भारत की जनता के अधिकतम हिस्से को दो वक्त का खाना जिसकी कीमत उस वक़्त मात्र 70 पैसे से कुछ कम थी, ने सन 1919 के दौर में अपने अंशदान, सैन्य खर्च, भारतीय युद्ध ऋण, विभिन्न युद्ध निधियों के नाम पर तथा भारतीय रियासतों द्वारा ब्रिटिश राजकोष में दिए गए अंशदान के रूप में कुल 457 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सहयोग प्रदान किया । (आंकड़ों संबंधी तथ्य कलकत्ता सरकार द्वारा 1923 में प्रकाशित पुस्तक “इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वार” तथा विषमभरनाथ भार्गव द्वारा 1919 में लखनऊ से प्रकाशित पुस्तक “इंडियाज़ सर्विस इन द वार” से लिए गए हैं ।)

इस तर्क पर काफी चर्चाएँ बहसे-मुबहसें की जा सकती हैं कि क्या भारत के पास उस समय युद्ध में अपने सैनिकों को भेजने से मना करने का विकल्प था ? लेकिन उस समय की स्थितियों की तत्सामयिक परिवेश के विश्लेषण के बिना समझा ही नहीं जा सकता । असल में वो दौर भारत में राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था । उस समय भारत की अधिकतम जनता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से गुलामी को अपना चुकी थी और 1857 की क्रांति की विफलता के बाद ज़्यादातर जनमानस के मन में ये बात घर कर गई थी कि अंग्रेजों के कृपा पात्र बन कर ही चैन से जिया जा सकता है और वे उस पात्रता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे । उस समय की जनता ने ब्रिटेन का दुश्मन उनका दुश्मन की तर्ज पर ब्रिटेन के साथ न केवल सहयोग दिया बल्कि अदम्य साहस का भी परिचय दिया । इसे भारतीय सैनिकों की स्वामी भक्ति ही माना जा सकता है कि वो जिस भी मोर्चे पर लड़े, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे कर भी अपनी बफादारी साबित की । इस बात का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों से डट कर मुक़ाबला करने के लिए 6 भारतियों को सर्वोच्च ब्रिटिश सेना सम्मान “विक्टोरिया क्रॉस” से नवाज़ा गया था जिसे स्वयं महारानी द्वारा बरकिंघम पैलेस में दिया जाता था ।

एक छोटे से किस्से के बिना शायद मेरी बात अधूरी रहेगी तो यहाँ जोड़ता चलूँ कि विक्टोरिया क्रॉस के शुरुआती विजेता दरबान सिंह नेगी, जो 33 साल की उम्र में 39वीं गढ़वाल राइफ़ल्स की पहली बटालियन के नायक के पद तक पदोन्नत हो चुके थे, पर उनकी फ्रांस के फेस्टूबर्ट शहर की तैनाती के दौरान उनकी टुकड़ी के ऊपर जर्मन सेना ने धावा बोल दिया । युद्ध में चारो तरफ से घिरे हुए उनकी टुकड़ी पर भयंकर गोलाबारी की गई जिसके चलते उनके कई साथी घायल और शहीद हो, उनके खुद के सिर पर भी दो गंभीर चोटें आईं मगर उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना खुद कमान संभाल ली और दुश्मनों पर धावा बोल दिया और अपने असीम साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और अंत में वे सूबेदार के पद से सेवा निवृत हुए । उनके इस अविश्वसनीय साहस के लिए जब 4 दिसंबर 1914 को उन्हें विक्टोरिया पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था उस वक्त उनसे कुछ मांग करने के लिए कहा गया तो उन्होंने तत्काल ही कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बनाए जाने की मांग रख दी । ये उनकी

फ्रांस में अपनी बंदूकों के साथ मार्च करते हुए गढ़वाली रेजीमेंट

मांग का ही परिणाम था ब्रिटिश सरकार ने ज़ोरों-शोरों के साथ उनके अनुरोध को मानते हुए सन 1924 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा कर लिया था मगर अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं के चलते ये काम कभी पूरा नहीं हो सका ।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भेजे गए सभी सैनिकों में कुल 47746 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुती दी थी तथा 65000 से अधिक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए । इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि उस दौर में मरने वाले सैनिकों को न तो सुपुर्द-ए-ख़ाक के लिए अपने वतन की मिट्टी ही नसीब हुई और न ही वो अपने संबंधियों के बीच सम्मानजनक आखरी विदाई पा सके । उस दौर में हर दिन के हिसाब से बदलने वाली सीमाओं पर शहीद होने वाले सैनिकों को या तो आगे बढ़ते वक्त आवाजाही के लिए खोदी गई सुरंगों में डाल दिया जाता था या उसी हाल में छोड़ दिया जाता था जिस हालत में उनकी मृत्यु हुई थी । यही कारण था कि विभिन्न कारणों के चलते प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 74000 से अधिक जवानों की स्मृति में सन 1921 के दौरान दिल्ली में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई, जिस 13000 से अधिक सैनिकों के नाम दर्ज़ हैं ।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गाँव-गाँव, शहर-शहर अभियान चलाए गए । लोगों ने भारी तादाद में चन्दा जुटाया । बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती हुए । यद्यपि ज़्यादातर लोग अपनी मर्ज़ी से सेना में भर्ती हुए थे लेकिन जहाँ लोगों ने आनाकानी की वहाँ ब्रिटिश सरकार ने ज़ोर-जबर्दस्ती से भी काम लिया । जालिया वाला बाग हत्या कांड के लिए कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओ डायर इस दौरान भारतीय सनिकों की भर्ती की मुहिम चला रहा था । बहुत से जवानों को जबरन सेना में भर्ती कर हथियारों के आधे-अधूरे प्रशिक्षण के साथ जंग में लड़ने के लिए हथियार थमा कर मोर्चे पर भेज दिया गया । यहाँ तक कि सेना के अंदर भी उनके साथ निरंतर भेदभाव किया गया । उस दौर में राशन से लेकर भत्ते तक तथा आवश्यकताओं से लेकर सुविधाओं तक हर मामले में भारतीय सैनिकों को दोयम दर्जे का व्यक्ति समझा जाता था, एक ब्रिटिश सिपाही के खर्च में कई भारतीय सिपाहियों को रखा जा सकता था ।

प्रथम विश्व युद्ध को 'लोकतन्त्र की लड़ाई' कहा जाता है और उस पर भी ब्रिटेन ने तो आधिकारिक तौर पर ये घोषणा भी की थी कि यह युद्ध लोकतन्त्र के लिए लड़ा जा रहा है । अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी यही चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए 14 सूत्रीय मांग भी रखी थी । यही कारण था कि बहुत से उपनिवेश आज़ादी की चाह में इस लड़ाई में भाग ले रहे थे और अगर भारतीय परिपेक्ष्य की बात की जाए तो भारतीयों में तो यह भावना और भी अधिक प्रबल थी । यही कारण था कि सैनिकों के भेजे जाने के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भी सम्मलित हो गए । उस वक़्त तक प्रबुद्ध जनवर्ग में आज़ादी की भूख इतनी बड़ी थी कि प्रथम विश्वयुद्ध में महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने भी सैनिकों के भेजे जाने के लिए अभियान चलाया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन ने ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया । अब इसे भारत की गरीबी कहिए, स्वामिभक्ति कहिए या मजबूरी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा और तमाम तरह के भेदभाव का असर अपनी सेवाओं पर कभी नहीं पड़ने दिया ।

ब्रिटेन को दिए गए सहयोग का सिलसिला केवल सेना को भेजने तक ही सीमित नहीं था, भारतीय राजाओं तथा रजवाड़ों के द्वारा अपनी अकूत सम्पत्तियों का बड़ा हिस्सा भी ब्रिटिश राज कोश में दान स्वरूप दे दिया गया (भले ही उसके पीछे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अपनी गद्दी बचाए रखने का लालच शामिल क्यूँ न था) । ले जाने को तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी है मगर समझ के लिए इस तथ्य का अंदाज़ दो उदाहरणों से लगाया जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहले नंबर पर हैदराबाद की रियासत के तात्कालिक निजाम मीर ओसमान आली खान ने ब्रिटिश राजकोष में 25 मिलियन पॉण्ड की राशि सहित कई तरह के अनुदान, जहाज, समान की आवाजाही के जानवर आदि, जो उस दौर में किसी भी रजवाड़े से दी गई अधिकतम राशि तथा अंशदान था, दे कर 'हिज़ एक्ज़ाल्टेड हाइनेस' की उपाधि अर्जित की थी । दूसरा मैसूर के महाराज कृष्णराज वाडियार बहादुर ने अपनी शाही सेना (जिसने मिस्र में कामन संभाली थी) तथा प्रशिक्षित घोड़ों सहित, कई गाड़ियाँ, तमाम तरह के अनुदान आदि के माध्यम से राजकोष से 1 करोड़ 71 लाख से अधिक की राशि, जनता के द्वारा चंदा करके जुटाए गए 45 लाख रूपये, सेना के प्रयोग के लिए 19000 कंबल, बंदूकें बनाने के 150000 फिट रोज़वुड की लकड़ी आदि दीं थीं ।

भारतीय जनता तथा नेताओं को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत को आज़ादी दे दी जाएगी या नहीं तो कम से कम ब्रिटिश सरकार भारत में स्वायत्त शासन के लिए तो कुछ कदम अवश्य ही उठाएगी । लेकिन सभी को एक करारा झटका उस वक़्त लगा जब भारत के द्वारा किए गए सहयोग बावजूद ब्रिटेन ने इस विषय में बात करने से साफ पल्ला झाड लिया और मदद का जवाब रौलेट एक्ट, जलिया वाला बाग और युद्ध के तुरंत बाद 1919 में आए गवरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दिया । भारत के नेताओं ब्रिटिश शासन से मोहभंग होने के लिए इतना सब काफी था । युद्ध से पहले किए गए वादों के माध्यम से ब्रिटेन तथा फ्रांस ने न केवल अपने उपनिवेशों के साथ धोखा किया बल्कि साथ देने वाले देशों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया । युद्ध के बाद भले ही भारत को आज़ादी न मिली हो मगर इस सब ने आंदोलन की गति को एक नयी रफ्तार ज़रूर दे दी ।

इनसाइडर ट्रेडिंग : एक विश्लेषण

श्री रीतेश कुमार - मुख्य प्रबंधक, निवेशक कक्ष , केंद्रीय कार्यालय

परिचय:

इनसाइडर ट्रेडिंग दो शब्दों यथा 'इनसाइडर' एवं 'ट्रेडिंग' से मिलकर बना है । इस परिप्रेक्ष्य में, इनसाइडर शब्द का अर्थ है किसी के पास अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी का होना या उस सूचना तक उसका पहुंच होना है, यहाँ इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उसके पास ऐसी जानकारी कैसे आई या उस तक कैसे पहुँचायी गयी है । इस संदर्भ में, 'ट्रेडिंग' शब्द किसी भी सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियों (इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट) को खरीदने, बेचने या विनिमय करने की क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है । इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी के आधार पर एक सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या विनिमय को 'इनसाइडर ट्रेडिंग' कहा जाता है, जो कि भेदिया (इनसाइडर) द्वारा एक प्रत्ययी कर्तव्य और विश्वास के अन्य शर्तों के उल्लंघन को संदर्भित करता है । इनसाइडर ट्रेडिंग का उद्देश्य अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी तक इनसाइडर की पहुंच के आधार पर लाभ कमाना या हानि को रोकना है ।

इनसाइडर सूचना शब्द से तात्पर्य कुछ कर्मचारियों को नामित व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जाना है जिसमें प्रमोटर, निदेशक, शीर्ष प्रबंधन के साथ- साथ वे सभी कर्मचारी या संबंद्ध व्यक्ति शामिल होते हैं, जिनकी पहुँच अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी तक होती है ।

उदाहरण के साथ भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को समझें:

(i) एक सूचीबद्ध कंपनी के किसी प्रमुख विभाग के किसी एक कर्मचारी को पता चलता है कि अगले एक-दो दिनों में कंपनी की विलय की घोषणा की जाने वाली है और साथ ही साथ कंपनी के शेयर की कीमत में बढ़ोत्तरी की संभावना है । वह अपनी पत्नी के नाम पर उस कंपनी के शेयर खरीदता है ताकि वह नियोक्ता को व्यापार के विषय में रिपोर्ट किए बिना और खरीद के सार्वजनिक होने की खबर के बिना अपनी अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके लाभ कमा सके ।

(ii) किसी सूचीबद्ध बैंक के कर्मचारी, जो कि किसी प्रमुख विभाग में कार्यरत है, को इस बात की सूचना है कि नियामक ने बैंक पर बड़े मूल्य का जुर्माना लगाने के लिए पत्र जारी किया है जो बैंक के शेयर की कीमतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और जिससे शेयर की कीमतों में गिरावट की संभावना है । उक्त कर्मचारी स्वयं द्वारा धारित सभी शेयरों को तुरंत बेच देता है । अगले दिन जब बैंक द्वारा उन पर लगाए गए नियामक दंड के संबंध में घोषणा करने के पश्चात उसके शेयर की कीमत में गिरावट शुरू होती है । ऐसी स्थिति में जहाँ सभी शेयरधारकों को शेयर की कीमतों में गिरावट की वजह से नुकसान हो रहा था, उक्त कर्मचारी ने अपने आपको इस होने वाले नुकसान से बचा लिया क्योंकि उसके पास अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी थी ।

(iii) एक सूचीबद्ध कंपनी [यथा एक रुग्ण उद्यम (उधारकर्ता)] के कॉर्पोरेट ऋण प्रस्ताव को संभालने वाले बैंक कर्मचारी को पता चलता है कि बैंक ऋण लेने वाली कंपनी का पूर्ण पुनरुद्धार करने के लिए ऋण स्वीकृत कर रहा है । ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारी ऋण की मंजूरी से ठीक पहले उस उधारकर्ता कंपनी के शेयर निम्न स्तरीय मूल्य पर खरीद लेता है और ऋण स्वीकृति के बाद वह उस उधारकर्ता कंपनी के सभी शेयर को बेच कर लाभ अर्जित करता है ।

किसी भी सूचीबद्ध इकाई के ट्रेडिंग विंडो की क्लोज़र अवधि के दौरान या फिर अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी होने के दौरान पदनामित व्यक्ति को शेयरों का लेन-देन नहीं करना चाहिए ।

भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग का उद्भव और उसका प्रमुख विकास :

इनसाइडर ट्रेडिंग का इतिहास काफी पुराना और विस्तृत है । पर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पहली बार विस्तृत रूप में इनसाइडर ट्रेडिंग की चर्चा 1948 की थॉमस कमेटी की रिपोर्ट में की गई थी जिसमें "अंदरूनी जानकारी के अनुचित उपयोग" से निपटने के लिए एक विशेष कानून की कमी की ओर इशारा किया गया था और कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से पहले रणनीतिक जानकारी रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया था । इसके बाद, इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 307 और 308 के तहत शामिल किया गया, जिसके तहत कंपनी के निदेशकों और प्रबंधकों द्वारा शेयरधारिता की प्रकटीकरण को आवश्यक किया गया । हालांकि, ये प्रावधान इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रथा पर अंकुश नहीं लगा सका जिसकी वजह से निदेशक या प्रबंधन एजेंट अंदरुनी जानकारी का अनुचित उपयोग करने के बावजूद भी आसानी से कानून के दायरे से बाहर निकल जाते थे । इस प्रकरण में थॉमस समिति की सिफारिशों के बावजूद भी विशिष्ट विनियमों की अनुपस्थिति एक प्रमुख बाधा के रूप में बनकर उभर आई ।

वर्ष 1979 में, सच्चर समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन की आवश्यकता को मान्यता दी क्योंकि कंपनी के विषय में जानकारी रखने वाले कर्मचारी उनका दुरुपयोग कर शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकते थे ।

वर्ष 1986 में, पटेल समिति ने इनसाइडर ट्रेडिंग को "किसी कंपनी के शेयरों को उस व्यक्ति द्वारा की गई ट्रेडिंग के रूप में परिभाषित किया जो कंपनी के प्रबंधन में शामिल हैं या उस व्यक्ति को कंपनी के अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी दूसरों के मुकाबले आसानी से

उपलब्ध है।" पटेल समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम ("एससीआरए"), 1956 में संशोधन किया जाए ताकि एक्सचेंजों द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग और अनुचित रूप से शेयरों के सौदों पर अंकुश लगाया जा सकें ।

वर्ष 1988 में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमयन बोर्ड (सेबी) को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था ।

1989 में, आबिद हुसैन समिति ने सिफारिश किया कि इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों को सिविल और आपराधिक कार्यवाही द्वारा दंडित किया जाना चाहिए और साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि सेबी द्वारा अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए नियम और शासकीय कोड तैयार किया जाना चाहिए ।

भारतीय संसद द्वारा सेबी अधिनियम 1992 के पारित किये जाने के साथ ही 30 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया और उक्त अधिनियम के तहत उसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियमन अधिनियम, 1992 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में धोखाधड़ी करने वालों को प्रतिबंधित किए जाने का प्रावधान किया गया । यहां यह भी उद्धृत किया गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले दोषी व्यक्तियों को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 24 और धारा 15जी के तहत दंडित किया जाए ।

वर्ष 2002 में विनियमन में संशोधन कर इसका नाम "सेबी (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) विनियम, 1992" किया गया । इस संशोधन ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों, बाजार बिचौलियों को अनुपालन करने हेतु बाधित किया गया और नए नियमों के सख्ती से पालन करने हेतु सूचित किया । संशोधित अधिनियम ने इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रथा को रोकने के लिए अग्रिम कदम उठाए जाने पर भी बल दिया। नए नियमों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और अन्य अधिकारियों के साथ-साथ कंपनी के 5% से अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भी प्रकटीकरण को अनिवार्य किया गया । कंपनी की महत्वपूर्ण घोषणाओं के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग की चलन पर अंकुश लगाने पर जोर दिया गया । इन निवारक उपायों द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में गिरावट सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित कानूनों के बारे में उन व्यक्तियों को भी जागरुक करता है जो कि इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त हैं ।

सेबी ने 2008 में सेबी (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2008 के अंतर्गत विनियमन 2 (ई) के तहत 'इनसाइडर' की परिभाषा में संशोधन किया। इस संशोधन के पश्चात सेबी (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 के विनियम 2 (ई) में उन व्यक्तियों को "इनसाइडर" के रूप में परिभाषित किया गया, जो कंपनी से पहले या मौजूदा समय में जुड़े हों या जिन्हें कंपनी से जुड़ा हुआ माना जा सकता है और जिनकी पहुँच कंपनी की प्रतिभूतियों के संदर्भ में अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी हो, या,

ऐसी अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर सकता हो या उसकी उस तक पहुंच संभव हो ।

वर्ष 2013 में जस्टिस सोढ़ी कमेटी ने इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम में संशोधन लाने की सिफारिश के साथ सेबी को अपनी रिपोर्ट सौंपी । तत्पश्चात सेबी ने वर्ष 2015 में सेबी (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 नामक मौजूदा विनियमन के स्थान पर एक नया विनियमन पेश किया । इसमें "संबद्ध व्यक्ति" को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और पूर्वानुमान को गलत साबित करने के अधिकार के साथ करीबी रिश्तेदारों को भी संबद्ध व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया । कुछ प्रमुख बिंदुओं जैसे कि करीबी रिश्तेदार, अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी पर स्पष्टता, व्यापार योजना का निर्माण, अप्रकटीकरण और लेनदेन न करने संबंधी समझौतों का निष्पादन, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जानकारी साझा करना, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्वयं की आचार संहिता तैयार करना इत्यादि को भी शामिल किया गया ।

2018 से 2021 के दौरान कुछ और संशोधन हुए जिसमें अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी को साझा करने हेतु वैध उद्देश्यों का निर्धारण और सूचना के प्रवाह की निगरानी, संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखने, आंतरिक नियंत्रण तंत्र, अनौपचारिक तौर पर अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी बाहर आने की जांच प्रक्रिया, विजिल ब्लोअर तंत्र, सतर्कता तंत्र का कार्यान्वयन, मुखबिर संरक्षण कार्यालय की स्थापना, मुखबिर के लिए पुरस्कार, उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा, सिस्टम संचालित प्रकटीकरण का कार्यान्वयन आदि संबंधी नियम वर्णित है ।

इनसाइडर ट्रेडिंग होने का कारण:

इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार में मौजूद एक प्रमुख कुरीति है जिसे दुनिया भर के नियामकों द्वारा आसानी से नहीं रोका जा रहा है ।

इनसाइडर ट्रेडिंग वैसी ट्रेडिंग या लेन -देन को कहते है जहाँ उन जानकारियों के आधार पर प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है और जिसका प्रतिभूतियों/ शेयरों की कीमत पर गहरा प्रभाव होता है । जिस व्यक्ति की इस जानकारी तक पहुंच होती है उसे नामित व्यक्ति कहते हैं और इसमें प्रवर्तक या निदेशक या उससे संबद्ध कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है ।

अपने स्वार्थ के लिए अघोषित सूचना का उपयोग करके अनैतिक रूप से पैसा कमाने का लालच या प्रलोभन इनसाइडर ट्रेडिंग की घटना का मुख्य कारण है । एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम और विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है लेकिन नियोक्ता अपने कर्मचारी के लालची मानसिकता को नहीं बदल सकता है । इस प्रकार के लोग हमेशा अपने संगठन के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठता के विषय में सोचे बिना किसी भी तरह से पैसा बनाने का अवसर ढूंढ़ लेते हैं ।

इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे नियंत्रित किया जाए:

सेबी ने प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को सेबी (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुरूप भेदिया कारोबार का प्रतिषेध के लिए आचार संहिता पर अनिवार्य रूप से अपनी नीति बनाने के संबंध में सूचित किया है । आचार संहिता के अनुसार, प्रवर्तक और निदेशक सहित सभी नामित व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अघोषित या अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें, अपनी धारिता का प्रकटीकरण और उसमें परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें, ट्रेडिंग विंडो बंद करने संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें आदि । सूचीबद्ध इकाई द्वारा नियमित अंतराल पर प्रवर्तकों और निदेशकों सहित सभी नामित व्यक्तियों की धारिता में हुए बदलाव की निगरानी भी की जानी है ।

हाल ही में, सेबी ने प्रवर्तक समूह के सदस्यों, निदेशकों और सूचीबद्ध कंपनी के नामित व्यक्तियों के लिए निरंतर प्रकटीकरण के स्वचालन को लागू किया है । यह प्रणाली -संचालित प्रकटीकरण सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन-देन से संबंधित है ।

इस प्रक्रिया के तहत एक सूचीबद्ध कंपनी प्रवर्तक समूह, नामित व्यक्तियों और निदेशक सहित प्रवर्तक के पैन कार्ड जैसी जानकारी डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान करेगी । नामित डिपॉजिटरी सूचीबद्ध कंपनी से प्राप्त जानकारी को अन्य डिपॉजिटरी के साथ साझा करेगी । नामित डिपॉजिटरी स्टॉक एक्सचेंज के साथ इकाइयों का कंपनी वार विवरण भी साझा करेगी । डिपॉजिटरी संबद्ध डीमैट खाते (खातों) से संबंधित आंकड़े स्टॉक एक्सचेंजों को दैनिक आधार पर अलग से उपलब्ध कराएगी । आंकड़े उस सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियों के लेनदेन के विवरण से संबंधित होना चाहिए । डिपॉजिटरी द्वारा दैनिक आधार पर प्रदान की गई पैन कार्ड संबंधी जानकारी के मद्देनजर, एक्सचेंज सूचीबद्ध इकाई के इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में संस्थाओं द्वारा उनके ट्रेडिंग सिस्टम में किए गए लेनदेन की पहचान करेगा (1 जुलाई 2021 से ऋण प्रतिभूतियां भी सिस्टम संचालित प्रकटीकरण के दायरे में आ चुकी हैं) । स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजटरी और सूचीबद्ध इकाई के समन्वयन से सिस्टम संचालित प्रकटीकरण प्रक्रिया के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित लक्षित सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

नियामक के पास स्टॉक में असामान्य मूल्य संबंधी हलचल का विश्लेषण करने के लिए अपनी अलग निगरानी प्रणाली भी है । आजकल मामलों की जांच करते समय, नियामक संदिग्ध इनसाइडर के सोशल मीडिया एकाउंट, बैंक विवरण, कॉल डाटा रिकॉर्ड, आदि को नजरंदाज नहीं करती है और उसकी तुलना प्रकटीकरण से करती है ।

इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जुर्माना:

इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए भारित जुर्माने को सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15 जी के तहत परिभाषित किया गया है ।

यदि कोई इनसाइडर, जो:

- या तो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट निकाय की प्रतिभूतियों में लेनदेन करता है; या
- किसी भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को किसी भी व्यक्ति के अनुरोध या बिना अनुरोध के साझा करता है जो कि व्यवसायिक और कानूनी दायरे से बाहर हो; या
- अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी भी कॉर्पोरेट निकाय की किसी भी प्रतिभूतियों में सौदा करने हेतु परामर्श, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिभूति की लेन-देन करता है ।

उन इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले पर कम से कम दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है , जिसे मामले की गंभीरता के मद्देनज़र पच्चीस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या लगाया गया जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे की राशि के तीन गुना तक हो सकता है या फिर इन दोनों में से जो भी अधिक हो ।

सेबी अधिनियम 1992 की धारा 24 इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अभियोजन का भी प्रावधान है । यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है जो या तो अधिकतम दस वर्ष कारावास या रुपए 25 करोड़ जुर्माना या दोनों ही हो सकता है ।

निष्कर्ष:

हम सभी जानते हैं कि "रोकथाम इलाज से बेहतर होता है" । उसी तरह चाहे जानबूझकर या अनजाने में ही कानून या नियमों का उल्लंघन करने के बाद दंड से बचने के उपाय ढूंढ़ने से बेहतर है कि हम संगठन की नैतिकता और आचार संहिता का सख्ती से पालन करें । इनसाइडर ट्रेडिंग एक प्रचलित शब्द है और उन सभी व्यक्तियों को जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित कीमत से संबंधित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच है, उन्हें अपनी सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से बचना चाहिए । पदनामित व्यक्ति अपनी संस्था की प्रतिभूतियों में तभी लेन-देन करें जब उनके लिए ट्रेडिंग विंडो खुले हो या फिर उनके पास अपने संस्था के द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग योजना हो । निदेशक सहित सभी पदनामित व्यक्तियों को अपने संस्था द्वारा जारी की गयी इनसाइडर ट्रेडिंग के संदर्भ में आचार संहिता की पूरी जानकारी रखनी चाहिए । दूसरी ओर, सूचीबद्ध इकाई को अपने कर्मचारियों को ज्ञानवर्धित करना चाहिए और आचार संहिता को सभी कर्मचारियों, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन हो या किसी भी संवर्ग में कार्यरत हो एवं उनकी पहुंच अप्रकाशित कीमत संबंधी संवेदनशील जानकारी तक किसी भी स्तर की हो, के संज्ञान में लाना चाहिए ।

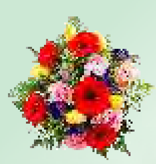

हँसी की फुलझड़ियाँ

राम – अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए ?

श्याम – क्या करना चाहिए से क्या मतलब ! सो जाना चाहिए, हम लोग कौन सा रजनीकान्त हैं जो मच्छर से माफी मँगवा लेंगे ।

***

एक पागल आईने में देखने के बाद सोचने लगा...

यार इसको कहीं देखा है... काफी देर टेंशन में सोचते-सोचते...वो बोला धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था।

***

टीचर – इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ – “मुंह में पानी आना “....

छात्र- जैसे ही मैंने नल की टोंटी से मुंह लगाकर नल चालू किया – “मेरे मुंह में पानी आ गया... “.

टीचर – गेट आउट

***

बंता- तुम इतनी देर से कीबोर्ड में क्या ढूंढ रहे हो

संता- इस कीबोर्ड में एनी का बटन ढूंढ रहा हूं, स्क्रीन पर लिखा है प्रेस एनी की टू स्टार्ट..

***

संता - आज मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है, जिसे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी...!

बंता - ऐसा क्या बना दिया तुमने यार... ?

संता - नवरत्न तेल में पकौड़े...!

***

टीचर - यह सदाचार क्या होता है... ?

पप्पू - जैसे आम का अचार होता है, वैसे ही सादा आचार होता है... !

टीचर- बेहोश होकर गिर पड़ी।

***

सिक्योरिटी गार्ड से नौकरी के इंटरव्यू में पूछा गया कि अंग्रेजी आती है... ?

गार्ड का शांतिपूर्ण जवाब - क्यों चोर इंग्लैंड से आएंगे क्या ?

***

दो सहेलियां कई दिनों बाद मिलीं

पहली- क्यों तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं

दूसरी- क्या बताऊं बहन... 2020 में शादी तय हुई तब कोविड था इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे।

पहली- फिर शादी के समय नहीं देखा ?

दूसरी- तब (2021)भी कोविड था, और शादी के लिए केवल दो घंटे की अनुमति मिली थी।

अब तू ही बता इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती ?

***

मास्टर जी - बच्चों जानते हो, हमारी आने वाली पीढ़ी बाघ और शेर नहीं देख पाएगी !

पप्पू - अरे सर ! तो हम क्या करें... ?

हमने भी तो डायनासोर नहीं देखे हैं, पर कभी शिकायत की हो तो बताओ !

***

संता - बचपन में मां की बात सुनी होती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।

जज - क्या कहती थी मां... ?

संता - जब बात ही नहीं सुनी तो कैसे बताऊं क्या कहती थी... ! ! !

***

पंडित जी ने लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हुए कहा, मुबारक हो, 36 के 36 गुण मिल गए ।

इसे सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया ।

लड़की वाले हैरान हुए और पूछा- जब सारे गुण मिल रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हैं ?

लड़के वाले -जी हमारा लड़का तो लफंगा है । अब क्या बहू.... ! ! !

***

लॉकडाउन में नींद का समय इतना बढ़ गया है कि......

कुछ दिनों से सपने रिपीट हो रहे हैं।

और कल तो हद हो गई, जब दो सपनों के बीच विज्ञापन आने लगे।

***

डॉक्टर- जब तुम तनाव में होते हो क्या करते हो ?

मरीज- जी, मंदिर चला जाता हूं...

डॉक्टर- बहुत बढ़िया, ध्यान-व्यान लगाते हो वहां ?

मरीज- जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूं, फिर उन लोगों को देखता रहता हूं...

उनको तनाव में देख कर मेरा तनाव दूर हो जाता है।

***

ओटीएस – बैंक की लाभप्रदता का एक सशक्त टूल

संजय सक्सेना - प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय – लखनऊ

ओटीएस आज के समय में एक बहुत ही सर्वोपयोगी शब्द है, आवास संबंधी कर हो या बिजली का बिल सब जगह ओटीएस का प्रयोग हो रहा है। परन्तु इस शब्द को सबसे पहले बैंको ने ही विकसित किया। यद्यपि इसके पीछे इनकी ही मजबूरी थी। बैंक मूल रूप से धन जमा और उधार (ऋण) देने का काम करते हैं। धन जमा है तो हमारे पास है पर दूसरे को दे देने के बाद उस पर हमारा नियन्त्रण लगभग नहीं के बराबर रह जाता है। ऋण लेने वाला समय से किश्त भरता रहे तो सब ठीक-ठाक अन्यथा तीन मासिक किश्तें रुकते ही ऋण एनपीए। एनपीए होते ही बैंक के लिए यह समस्या उत्पन्न होती है कि मूलधन की वापसी बन्द, ब्याज मिलना बन्द एवं खराब होते ऋण के लिए बैंक की लाभ-हानि खाते से प्रोविजनिंग भी करना पड़ेगा और ऋणी के लिए समस्या यह होगा कि जब समय से किश्तें न भर पाये तो एक साथ पूरी कहाँ से दे पायेंगे साथ ही बैंक की तरफ़ से की गई कानूनी कार्यवाही के साथ सामाजिक शर्मिन्दगी को भी झेलना पड़ेगा। ऋण की समय से अदायगी न हो पाने के पीछे, खर्च के अनुरूप कमाई न होना एक बड़ा कारण होता है।

अब शुरू होता है ओटीएस का खेल। ओटीएस एक ऐसी संकल्पना है जिसमें यद्यपि ऋणी को एक बार में ही ऋण की बकाया राशि का भुगतान करना होता है, परन्तु यह राशि उसके द्वारा किये जाने वाली पूर्ण अदायगी से काफ़ी कम होती है। इससे एक तरफ ऋणी को भुगतान कम करना पड़ा और ऋण से भी मुक्ति मिल गई, किसी भी अप्रिय कानूनी कार्यवाही से भी बच गया वहीं बैंक को अपना लगभग डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, जिसको वह पुनः और किसी को दे कर अपना व्यवसाय बनाये रखता है।

ओटीएस की प्रक्रिया में बैंक की भूमिका विशेष है, बैंक ज्यादा से ज्यादा एनपीए होने की तिथि के बाद का ब्याज छोड़ देगा और जो प्रावधान किया गया है वह भी छोड़ देगा। ओटीएस से पूर्व बैंक यह जरूर देखता है कि हमारे पास क्या-क्या सिक्यूरिटीज हैं जिनको बेचा जा सकता है, यदि उनको बेच कर ऋण की पूरी वसूली हो सकती है तो बैंक ओटीएस नहीं करता है। ऐसी स्थिति न होने पर ही बैंक ओटीएस के लिए, ऋणी को आमंत्रित करेगा। ओटीएस राशि की गणना में सदैव एनपीए होने की तिथि पर जो शेष रहगा उसका विशेष महत्व होता है, एनपीए होने के बाद, रिजर्व बैंक के नियमानुसार ऋण खाते में ब्याज लगा कर लाभ नहीं कमाया जा सकता, इसलिए बैंक, ऐसे खातों में ब्याज लगाती तो है, पर इसको अनडेबिटेड ब्याज के रूप में इंट्रेस्ट सस्पेंस खाते में रखती है, जिसमें राशी सदैव जमा ही होता है डेबिट नहीं होता। ओटीएस में केवल तीन ही घटक आते हैं-ऋणी के द्वारा दिया गया पैसा, राइट-आफ़ और अनडेबिटेड ब्याज की वापसी। ओटीएस की ऐसी दशा में जिसमें एनपीए होने की तिथि के बाद का कुछ अथवा पूरा ब्याज वापस करना पड़ रहा हो तो उसे अनडेबिटेड ब्याज खाते से वापस करते हैं, यह खाता सदैव डेबिट में रहता है और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर इन दोनों खातों का मिलान होता है, इन दोनों खातों का निवल प्रभाव शाखा के लाभ -हानि पर पड़ता है । राइट-आफ़ किसी भी स्थिति में प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता, यह केन्द्रीय कार्यालय के खाते से डेबिट होता है, अतः इसका प्रभाव शाखा के लाभ - हानि पर नहीं पड़ता।

किसी भी एनपीए ऋण खाते का ओटीएस करते समय, सबसे पहले ऐसे सारे कानूनी अथवा अन्य खर्चे, जो खाते से डेबिट नहीं किये गये हैं, उसे डेबिट किये जाता है, तब उसमें अद्यतन ब्याज लगाया जाता है फिर ऋणी द्वारा सहमत राशि जमा की जाती है तत्पश्चात यदि शेष,प्रोविजन से ज्यादा है तो पूरा प्रोविजन अन्यथा जितना जरूरत हो जमा किया जाता है इसके बाद भी यदि शेष, अनडेबिटेड ब्याज से ज्यादा है तो पूरा अन्यथा जितना जरूरत हो वापस करके खाता बन्द कर के, ऋणी को नो-ड्यूज़ प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, प्रमाण पत्र में ओटीएस का उल्लेख अति आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रयास यही किया जाता है कि प्रोविजन और अनडेबिटेड इन्ट्रेस्ट से ज्यादा बैंक को न लगाना पड़े तथापि सक्षम अधिकारी/समिति को कुछ सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ और भी छूट देने के जिनका उपयोग पूर्णतया उनके विवेक पर निर्भर होता है।इसके बाद यदि कोई प्रतिभूति बैंक के पास बची है, उसको वापस कर दिया जाता है। यहां इस बात का उल्लेख अति आवश्यक है कि यदि खाता न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय से मुकदमा वापसी बगैर खाता बन्द नहीं किया जा सकता,

यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि खाता ओटीएस के तहत बन्द होने के समय न तो बैंक का और न ही ऋणी का किसी न्यायलाय में कोई मुकदमा चालू होना चाहिए।

ओटीएस के लिए बैंक प्रति वर्ष एक रिकवरी नीति बताता है, जिसमें व्यापक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इसके अलावा बैंक पिछले कुछ वर्षों से एक स्पेशल ओटीएस नीति भी बना रहा है जिसका एकमात्र उद्देश्य बैंक के एनपीए को, बिना ज्यादा नुकसान उठाये, कम करना है। स्पेशल ओटीएस नीति में शाखा प्रबंधक को सबसे ज्यादा छूट देने की क्षमता दी गई है, परन्तु यह केवल दस लाख तक के शेष (नेट बुक आउटस्टेंडिंग एसीएफ़ के अनुसार) वाले ऋणों के लिए ही है, यद्यपि इस नीति में ज्यादा शेष वाले ऋण भी निपटाये जा सकते हैं पर उनके लिए सक्षम अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय या केन्द्रीय कार्यालय की समितियों के पास सीमित हैं। इस नीति की विशेषता है कि इसमे प्रतिभूति/जमानत पर थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, गणनाएं काफ़ी आसान होती हैं, खाता बन्द करने की प्रक्रिया स्वचालित होती है। यदि कोई ऋणी धन ले कर आता है तो मात्र 30 मिनट में खाता बन्द करके जा सकता है। इस प्रक्रिया में शाखा को प्रबंधक के मेन्यू से एनपीए वार के ओटीएस टैब के लेन देन संबंधी दस लाख टैब में समुचित प्रविष्टि करके क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदित कराने के बाद फिनेकल के एचओटीएस मेन्यू में प्रविष्टि करने (कोई भी अधिकारी कर सकता है) के बाद पुनः क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदित कराने के बाद ही ऋणी के द्वारा दिया गया पैसा जमा करना है अन्यथा जमा किया गया पैसा वसूली का हिस्सा माना जायेगा और ओटीएस की समझौता राशि का हिस्सा नहीं होगा। तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय उस खाते को बन्द कर देगा जो शाखा के अनुमोदित करते ही स्वतः बन्द हो जायेगा। इसमें अनडेबिटेड इन्ट्रेस्ट और राईट-आफ़ स्वतः ही ब्याज की गणना और प्रविष्टि के बाद जमा हो जायेगा, शाखा को केवल वाउचर बनाने होंगे। ऐसे खातों की सूची, जो स्पेशल ओटीएस योजना में विचार करने के योग्य हैं, एनपीए वार के ओटीएस टैब में उपलब्ध है, इसी सूची में यह भी विवरणित है कि कौन सा खाता शाखा के तहत किया जाता है, कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय के और कौन सा केन्द्रीय कार्यालय के तहत किया जाता है।

जो एनपीए खाते, उक्त योजना में नहीं आ सकते, उनको रिकवरी नीति के तहत ओटीएस के लिए विचार में लाया जा सकता है। इस योजना में एनपीवी, नोशनल ड्यूज़ और कांट्रेक्चुअल ड्यूज़ का विशेष महत्व होता है। एनपीवी, उपलब्ध सिक्यूरिटीज के आधार पर तय की जाती है, जिसका विस्तृत फार्मूला रिकवरी नीति में दिया गया है, यद्यपि गणना का आधार होता है कि कितने समय में सिक्योरिटी को बेच कर पैसा वसूला जा सकता है। यदि सिक्योरिटी बेचने का कभी प्रयास नहीं किया गया है तो एनपीवी अधिक होगी ओर यदि प्रयास किया गया है तो कम होगी। नोशनल ड्यूज़ और कांट्रेक्चुअल ड्यूज़ की गणना, एनपीए होने के दिन के शेष पर होती है। नोशनल ड्यूज़ में ब्याज की दर एमसीएलआर प्लस वन प्रतिशत तथा गणना साधारण ब्याज की तरह होती है जबकि कांट्रेक्चुअल ड्यूज़ में ऋण देने की तिथि पर जो ब्याज की दर थी प्लस दो प्रतिशत एवं मासिक चक्रव्रद्धि की तरह होती है। दोनों ही तरह के ड्यूज़ की गणना के बाद, एनपीए की तिथि के बाद जो भी वसूली आयी उस पर गणना के अनुरूप ब्याज का लाभ देते हुए घटा देते हैं। कांट्रेक्चुअल ड्यूज़ केवल यह जानने के लिए निकाला जाता है कि यदि ऋण को ओटीएस में न निपटाते तो बैंक को कितना पैसा मिलता, जबकि नोशनल ड्यूज़ का महत्व इसलिए है क्योंकि कोई भी ओटीएस इससे कम पर नहीं किया जा सकता।किसी भी प्रकार के खाते को ओटीएस में निपटाने के पहले फिनेकल में एमएलएम में अवश्य प्रविष्टि कर देनी चाहिए। साधारणतयाः ऐसे खाते जिनमें आवासीय या व्यवसायिक सम्पत्ति जमानत के रूप में बैंक के पास रखी हो, का ओटीएस में निपटान नहीं किया जाता है।ओटीएस करने से पहले, जो भी सम्पत्ति /जमानत, ऋणी की अथवा जमानतदार की, बैंक के पास रखी हो उसे बेच कर वसूली करने का प्रयास भरसक करना चाहिए। अन्यथा वसूली के बहुत सारे तरीके (आर सी / सरफ़ासी /वसूली मुकदमा /डीआरटी / एनसीएलटी आदि) उपलब्ध हैं, जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। यद्यपि इन सारे तरीकों के साथ-साथ ओटीएस पर भी विचार किया जा सकता है, पर बैंक के प्रति अच्छी भावना से विवेक का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है।

सफ़र गांधी से महात्मा का : चम्पारण 1917

शुभम दीक्षित - सहायक प्रबंधक , केंद्रीय कार्यालय

जब बात किसी भी स्तम्भ को दोबारा शुरू करने की हो तो दूसरी शुरुआत के पहले पड़ाव का दायित्व और भी गुरुतर हो जाता है । एक ओर जहाँ पहले के स्थापित मानकों को बरकरार रखते हुए पुराने पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है तो वहीं दूसरी ओर पुरानी लीक को और आगे बढ़ाने के भार का भी वहन करना होता है । इन्हीं सारी पाश-ओ-पेश के बीच आज हमने "पुष्यमित्र" कृत "चंपारण 1917" जब नीत का दाग मिटा। को समीक्षा के लिए चुना हैं । जैसा कि लेख के शीर्षक से आप समझ ही चुके होंगे कि ये किताब मोहन दास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का सफर है, जो 27 सितंबर 1916 से लेकर 4 मार्च 1918 तक के समय के दौरान विभिन्न अखबारों, दस्तावेजों तथा खतों के माध्यम से तथ्यपरक रूप से गांधी के राजनैतिक दखल को बेहद खूबसूरती के साथ परोसती है । ये किताब महज़ ऐतिहासिक दस्तावेज़ों का संकलन ही नहीं ये चंपारण के उन तमाम ज्ञात-अल्पज्ञात-गुमनाम योद्धाओं की दास्तान है जो वक्त बीतने के साथ ही लोगों की स्मृतियों से भी विस्मृत हो गए ।

Beating a vat by hand

अगर अपनी बात कहूँ तो इस किताब को चुनने के पीछे एक कारण यह भी था कि स्वतंत्र भारत में पहली फाँसी पाने वाले आतंकवादी की मौत की 70वीं वर्षगांठ को जब हिन्दू महासभा द्वारा 'बलिदान दिवस' के रूप में मनाया जाने लगे तो गांधी जी और उनके सिद्धांतों पर एक बार फिर से चर्चा करने की ज़रूरत महसूस होने लगती है, और अगर आज का युवा गांधी जी को गोडसे के नाम से जानता है, तो यह उनकी बदनसीबी है और हमारे सामाजिक ढांचे का ऐब । आपके जेहन में भी सवाल आया होगा कि गांधी जी गए, आजादी मिल गई । अब जो भी बहस है, क्या वह महज औपचारिक भर नहीं है ? कई लोग गांधी को गोडसे की आंखों से जानते हैं, कुछ राजू हिरानी की । कुछ लोग कहते हैं कि उनकी वजह से देश का बंटवारा हुआ तो कोई उनके जीवन के निजी पक्षों की बात करते नहीं थकता । कुछ लोग गांधी की अहिंसावादी लड़ाई के मुरीद हैं, वहीं ये कहने वाले भी हैं कि उनके किए आजादी नहीं मिलती और लड़ कर मिलती तो आज हमारा समाज कमज़ोर नहीं होता ।

अब रही बात मेरी तो मैं गांधी जी के परिपेक्ष्य में सर अल्बर्ट आइंस्टीन से सहमति दर्ज़ करते हुए उनके शब्द आपके सुपुर्द करता हूँ, "एक दिन आने वाली पीढ़ी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएगी कि हाड़-मांस का एक ऐसा आदमी दुनिया में जन्मा था ।" दरअसल उस जमाने में लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी- जात-पात के मुद्दे बहुत बड़े थे और नारी के घर और समाज में स्थान का सवाल भी था । कितनी ही कुरीतियां थीं, कितनी नपुंसकता थी, कुरूपता थी । सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी जानी थी । भारत को नए विश्व के साथ, नई सोच के साथ मुख्य धारा में लाना था । इसके अलावा शिक्षा, स्वच्छता, आम आदमी में आत्मविश्वास जगाना, पर्यावरण, कला का जीवन और समाज में स्थान, नैतिकता और चारित्रिक दृढ़ता की आवश्यकता पर बल, सांप्रदायिक एकता, सभी का आर्थिक विकास, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई आयाम होगा जिस पर गांधी जी ने दखल नहीं दिया । तो ऐसे में महात्मा गांधी यानि मोहनदास करमचंद गांधी आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं और किसी-न-किसी रूप में बहुधा हम उनसे टकराते रहते हैं ।

लेकिन उनके होते हुए भी देश कैसे सांप्रदायिक हो गया ? हिंदू-मुस्लिम कितनी ही सदियों से घुल-मिल कर रह रहे थे । स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बहादुरशाह ज़फ़र के नेतृत्व में लक्ष्मीबाई-तात्या टोपे और सभी ने एक साथ लड़ी थी । दोनों संप्रदायों ने कंधे से कंधा मिला कर स्वतंत्रता की लड़ाई में काम किया था । क्या जिन्ना-नेहरू के मतभेदों के चलते देश के टुकड़े हुए ? क्या गांधीजी कहीं असफ़ल रहे ? क्या वे

कहीं गलत रहे ? क्या आज़ादी के पहले कांग्रेस दल के चुनावों में डेमोक्रेसी को रकिनार किया गया था ? क्या एक नेता को इंसान होने का हक नहीं है ? जो भी हो, इन सवालों पर चर्चा फिर कभी किसी और अंक में होगी । मगर एक बात जिससे सब समवेत स्वर में सहमत होंगे कि हमारी धरती पर इतना बड़ा इंसान न हुआ है, न शायद कभी हो पाएगा । तो फिलहाल के लिए हमारे आज के स्तम्भ के केंद्र की किताब गांधी जी के बारे में कुछ कहे अनकहे किस्सों पर रौशनी डालती है की और लौटते हैं।

किताब की भूमिका 27 सितंबर 1916 को लखनऊ में हुआ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बांधता है जहाँ उस इलाके के किसानों को अपनी दास्तां सुनानी थी । उसी अधिवेशन में अपने कांधे पर लाखों किसानों की उम्मीदों का भारी भरकम बोझा लादे, चंपारण से आए किसान राजकुमार शुक्ला को अपने क्षेत्र का एक ऐसा खाका खींचना था जिससे इस अधिवेशन के बड़े नेताओं का ध्यान चंपारण के नील के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर जाए और वो चंपारण के आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें । हालांकि राजकुमार शुक्ला के साथ समस्या थी कि अँग्रेजी तो दूर की बात है उन्हें हिन्दी में बोलना भी ठीक से नहीं आता था और परिणाम स्वरूप अपने साथ किसी बड़े नेता को ले जाने का स्वप्न एक प्रस्ताव पारित करवाने तक ही सिमट कर रह गया । वहीं बैठक में राजकुमार की नज़रें लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, और मोहम्मद अली जिन्ना के चहरों से घूमती हुईं मोहनदास करमचंद गांधी नाम के नए नेता पर टिक गईं जो कुछ किसान जैसा दिख रहा था । तत्काल ही राजकुमार शुक्ला के मन में कानपुर से छ्पने वाले अखबार 'प्रताप' के युवा संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी की बात जीवित हो उठी आई । उन्होंने कहा था पंडित जी, गांधी को पकड़ कर चंपारण ले जाइए । उन्हीं से काम बनेगा । दक्षिण अफ्रीका में इस गुजराती वकील ने बड़ा काम किया है । इसको अंग्रेजों को हराना आता है । यही बात राजकुमार शुक्ला ने अपनी गांठ बांध ली कि उसे हर हाल में गांधी को चंपारण ले जाना है ।

किताब सिलसिलेवार तरीके से षतती हैं कि गांधी जी को चंपारण ले जाने की राह इतनी आसान न थी मगर, वो कहते हैं न कि 'संकल्प का विकल्प नहीं होता' तो काफी मशक्क्त के बाद अंततः राजकुमार शुक्ला की गांधी जी से मुलाकात उसी शाम उनकी कुटिया में हुई जहाँ राजकुमार एक वकील के साथ गांधी के सामने पहुंचे । गांधी जी ने राजकुमार की बात तो सुनी मगर न जाने क्यूँ उसके साथ आया वकील गांधी जी को नहीं जंचा । गांधी जी को लगा कि ये वकील ज़रूर ही किसानों को फुसला कर मुकदमे करवाता होगा और पैसे कमाता होगा । उस सम्मेलन में एक और मशहूर वकील भी पहुंचा था जो सम्मेलन में आने जाने वालों के नाम पते और उनकी फरियाद को एक डायरी में दर्ज़ कर रहा था । कौन जनता था कि डायरी में ये किस्सा दर्ज़ करने वाले सूट-बूट पहना वकील आगे चल कर देश का पहला राष्ट्रपति बनेगा । अपनी पहली मुलाक़ात में चंपारण के बारे में राजकुमार ने गांधी जी के सामने जो चित्र खीचा वो कुछ इस तरह था ।

“घर ढहा दिए गए और दरवाजे के खम्भे और छप्पर गिरा दिए गए । लगभग 2.5 हजार की सम्पत्ति लूटी गई । खेतों में जो फसल खड़ी थी, उसे कई दिनों तक मवेशियों से चराया गया । मैं अदालत में गया तो कलक्टर ने मुझे आवेदन देने को कहा । मैंने कहा कि कृपया खुद निरीक्षण कर लीजिए, बात गलत साबित हो तो मुझे सज़ा दीजिएगा । मगर वे राज़ी नहीं हुए । मैंने कहा कि एक बार आवेदन देने की सजा मैं 21 दिनों तक जेल में भुगत चुका हूँ अब दूसरा आवेदन देने की हिम्मत मुझमें नहीं है। इसके बावजूद वे नहीं पसीजे । चम्पारण का तो यही इतिहास है ।“

अपनी इस मुलाक़ात को गांधी जी अपनी आत्मकथा “सत्य के साथ मेरे प्रयोग” में कुछ इस तरह दर्ज़ करते हैं:

“राजकुमार शुक्ला नामक चंपारण के एक किसान थे । उन पर दु:ख पड़ा था । यह दु:ख उन्हें अखरता था । अपने इस दु:ख के कारण उनमें नील के इस दाग को सबके लिए धो डालने की तीव्र लगन पैदा हो गई थी । जब मैं लखनऊ गया तो वहाँ इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा । “वकील बाबू आपको सब हाल बताएँगे” - यह वाक्य वे कहते जाते और मुझे चंपारण आने का निमंत्रण देते जाते ।

वकील बाबू से उनका आशय बिहार के सेवा जीवन के प्राण ब्रिजकिशोर बाबू से था । उन्होंने काले आपलका की अचकन, पतलून वगहरा पहन रखी थी । मेरे मन में उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी । मैंने मान लिया कि वे भोले किसानों को लूटने वाले कोई वकील साहब होंगे ।“

असल में ये किताब सिर्फ चंपारण के आंदोलन के बारे में ही बात नहीं करती है ये किताब नील की खेती, उसके बाज़ार, उससे होने वाले लाभ और अधिक लाभ कमा लेने के लिए निलहों के शोषण का गहनता के साथ विश्लेषण करती है । एक तरफ तो ये किताब बंगाल के किसानों द्वारा नील की खेती के विरोध में किए गए आंदोलनों को क्रमबद्ध रूप से खूबसूरती के साथ चित्रित करने के साथ ही साथ उनकी सफलता के कारणों का भी गहनता से अन्वेषण करती है, वहीं दूसरी ओर चंपारण के किसानों के असफल आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करती

चलती है । संभवत: ऐसा इसलिए भी कि जब बात नील की खेती की आती है तो बंगाल के नील विद्रोह के बिना बात अधूरी रह जाती । बंगाल के नील विद्रोह के बारे में किताब अपने दूसरे अध्याय में लंबी चर्चा करती है कि किस तरह बंगाल के किसानों ने तिनकठिया प्रथा का विरोध किया और अपने अथक प्रयासों से बंगाल में न सिर्फ इस प्रथा को बल्कि नील की खेती को ही समाप्त करवा दिया । किताब के मुताबिक भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ सबसे पहले नील की खेती की जाती थी जोकि प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया नीला रंग था, जैसे अनेकों रोचक तथ्यों का भी वर्णन करती चलती है । पहली बार जब अंग्रेजों ने इसकी खेती और सफ़ेद कपड़ों पर होने वाले इसके प्रभाव को देखा तो उन्होंने इसका व्यवसायीकरण कर दिया ।

किताब तात्कालिक परिस्थितियों का गहन अन्वेषण करते हुए बताती है कि किस तरह उस समय तक कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील (इंडिका ब्लू) की भारी मांग बनी रही थी । ये वो दौर था जहाँ निलहों के जीवन अफ्रीका के गुलामों से कुछ ही बेहतर रहा होगा । किताब में वर्णित तथ्यों के आधार पर आप अत्याचारों की पराकाष्ठा का अनुमान इस बात से ही लगा सकते हैं कि नील की खेती तो बेहद फायदेमंद थी मगर नील के किसानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी, प्लांटर फसल की जो भी कीमत देते थे वह बाजार में नील की कीमत की महज़ 2.5% हुआ करती थी । उसके अलावा भी किसानों पर तरह-तरह के टैक्स लाद दिए जाते थे । करों को भरने के लिए कर्ज़ लिए जाते थे और वो कर्ज़ पीढ़ी-दर पीढ़ी चलते थे । प्लांटरों के कोर्टयार्ड में रैयतों से रोज़ मारपीट होती थी । चाबुकों से उनकी खाल उधेड़ी जाती थी । लेकिन इस सारे दमन चक्र को एक नई गति उस समय मिली जब 1833 में चार्टर एक्ट अस्तित्व में आया । इस अधिनियम ने कई चीज़ें आसान कर दीं । इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को ज़मीनों का मालिकाना हक़ मिला गया और बंगाल को फिज़ी, मॉरीशस आदि मुल्कों की तरह ब्रिटेन की खेतिहर कॉलोनी में बदल दिया गया । अपने प्रारंभिक दशकों में नील की खेती इतनी फायदेमंद थी कि कई अंग्रेजों ने अपनी नौकरी छोड़ कर नील की खेती करवाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ दमन का अविरत चक्र, जिसने सारे निलहों को पीस कर रख दिया । उस दौर में शोषण और उसकी शिकायते इस हद तक बढ़ गईं कि ब्रिटिश हुकूमत को अपने लोगों को नील की खेती करवाने से रोकने के लिए आदेश तक पारित करना पड़ा । उस वक्त की स्थितियों को संदर्भित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर ईडी लाटूर ने एक पादरी को उद्धृत करते हुए कुछ इस तरह लिखा :

"ब्रिटेन पहुंचने वाली नील की एक भी गांठ ऐसी नहीं होती जो मानव रक्त से रंजित न हो । इन शिकायतों की वजह से बंगाल में नील आयोग का गठन किया गया तो एक अन्य डिप्टी मजिस्ट्रेट आस्ले इडेन ने बयान दिया कि भारत में जब गोरे लोगों पर मुकदमा होता है तो न्यायालय में न्याय को भुला दिया जाता है । उसी आयोग के समक्ष किसानों ने बयान दिया कि हमारा गला भी काट दिया जाए तो भी हम नील नहीं बोएँगे । हम उस देश में चले जाएंगे जहाँ नील के पौधे न कभी बोए गए हैं और देखे गए हैं । हम गोली खा लेंगे मगर नील नहीं बोएँगे ।"

चम्पारण का इतिहास किताबों में महज एक अनुच्छेद या एक पन्ने में सिमटा हुआ है । मगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वह मोड़ है जहाँ पहली बार देश के आम लोगों के बीच स्वाधीनता की भावना जन्म ले रही थी, इस पड़ाव तक आते-आते आज़ादी की जो मांग एक प्रबुद्ध, पढ़े लिखे तथा क्रांतिकारी वर्ग तक ही सीमित थी, का जुड़ाव राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन से होती है । इतिहास में पहली बार खेती-किसानी और मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने वाला तबका महसूसता है कि उसको एक मंच की आवश्यकता है जहाँ से जवाबदेही तय की जा सके या कि कम से कम उसके सवालों के उत्तर दिए जाएँ । किताब तथ्यसिद्धिकरण करती है कि किस प्रकार चंपारण आने से पहले तक जो गांधी जी अफ्रीका प्रवास के पश्चात भारत में बड़े-बड़े शहरों के बड़े-बड़े रईसों और उद्योगपतियों से सम्पर्क कर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन की भूमिका की नब्ज़ टटोल रहे थे, ने पहली बार महसूस किया कि ज़मीन से जुड़े लोगों के बिना एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता । इस बारे में जब गांधी जी से उनके सहयोगी कृपलानी जी ख़त के माध्यम से पूछते हैं, तो गांधी जी ख़त के जवाब में चंपारण का छोटा सा विवरण कुछ इस तरह दर्ज़ करते हैं:

मेरे प्रिय मित्र,

...चाहो तो अहमदाबाद चले जाओ और वहाँ प्रयोगात्मक विद्यालय में काम करो, अथवा आ जाओ और यहाँ काम करो, बंदी बना लिए जाने का जोखिम उठा कर भी । अगर मुझे बंदी बना लिया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखना... कि तुम्हारा स्वाभाविक कार्य यह होगा कि जब तक किसानों को मनुष्य की भांति सांस लेने की आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे । मेरे लिए चंपारण ही मेरी जन्मस्थली है । रोजाना की पड़ताल से मेरी यह राय दृढ़ हो रही है कि यहाँ की परिस्थितियाँ कई मामलों में फिजी से भी बदतर हैं ।

किताब बताती है कि किस तरह चंपारण आंदोलन का हिस्सा बनने से पहले जो आंदोलन महानगरों तक ही सिमटा हुआ था उस आंदोलन ने

पहली बार ग्रामीण परिवेश में उन लोगों का साथ पाया जिन्हें गांधी जी न जाने कब से भारत की आत्मा कहते रहे थे। महात्मा गाँधी को चम्पारण के पराधीन और शोषित किसानों के दर्द ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की प्रेरणा दी । अगर देखा जाए तो वास्तव में उस समय नील की खेती में झोंके जाने वाले सभी किसान एकजुट होकर गाँधी जी के पीछे खड़े हो गए । चंपारण आंदोलन ने एक उस समय में एक पुल की तरह काम किया जिससे होकर शहरी मिजाज के पार्लियामेंटेरियन कांग्रेसी सही मायनों में गांधी के भारत यानि जमीनी आंदोलन से जुड़ सके । ये किताब चंपारण में हुई हर छोटी-बड़ी घटनाओं का तिथिवार अंकन करने के साथ ही कुछ रोचक घटनाओं को भी अंकित करती चलती है । मसलन गांधी जी की पटना से लेकर चंपारण तक की यात्रा के दौरान गांधी जी के बेतिया तक पहुँचने पर वहाँ के गाँव वाले इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने बैलों की जोड़ी को खोल कर खुद बैलगाड़ी खींचना शुरू कर दिया । अपनी गाड़ी अपने ही जैसों के द्वारा खिंचवाना तानाशाही की निशानी है, जिसके गांधी जी सर्वथा विरोधी रहे हैं । कहा जाता है उस समय गांधी जी की महज़ एक झलक पाने के लिए 10000 से अधिक लोग स्टेशन पर जमा हो गए थे । हालांकि बाद में वहाँ के किसानों के द्वारा स्नेहाभूत होकर गांधी जी के संज्ञान में आए बिना गाड़ी खींचे जाने पर गांधी जी काफी आहत हुए ।

इस किताब के सहारे जब आप 1917 में उभरे चंपारण आंदोलन की नीव टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी से पहले शेख गुलाब, फिर शीतल राय जैसे किसानों के नेता भी हुए जिन्होंने 1917 से नौ साल पहले इतना दमदार आंदोलन किया कि उसे कुचलने के लिये सरकार को फौजी बटालियन बुलवानी पड़ी । यह आंदोलन जब कुचल दिया गया तब इन्हीं चम्पारण के किसानों ने खुद अपनी समझ से लड़ाई का तरीका बदल दिया । उन्होंने वकीलों को पकड़ा, पत्रकारों को पकड़ा और लड़ाई को राजनैतिक मोर्चे तक ले जाने की कोशिश । अंग्रेजों को उन्हीं के हथियारों से मात देने की कोशिश की । यह जानकर आज भी मन सिहर उठता है कि 1915 में जब गांधी अफ्रीका से भारत आये थे उसी साल से राजकुमार शुक्ला जैसे किसान और पीर मोहम्मद मूनिस जैसे पत्रकार गांधी को चम्पारण लाने में जुट गए थे । और भी कई लोग थे जिनका जिक्र बहुत कम मौकों पर होता है । यह वह वक्त था जब गांधी की क्षमताओं को लेकर खुद कांग्रेस बहुत आश्वस्त नहीं थी । उनके राजनीतिक गुरु, भारत में उनके सरपरस्त गोपाल कृष्ण गोखले का देहावसान हो चुका था । हर तरफ तिलक और उनके स्वराज का जलवा था । ऐसे में गांधी की क्षमताओं को पहचानना और उन्हें लगभग मजबूर करके चम्पारण ले आना, इसका पूरा श्रेय तो चम्पारण के अनपढ़ और अनगढ़ किसानों को ही जाता है।

पुष्यमित्र की किताब चंपारण 1917 इतिहास की एक ऐसी किताब जो किस्सागोई के माध्यम से सब तरह के पाठकों को ध्यान में रख कर लिखी गई है, जिससे चंपारण में हुए नील आंदोलन की पूरी कहानी मजे-मजे में मालूम हो सके। इतिहास की सामान्य किताबों में चंपारण का बहुत अधिक उल्लेख नहीं पाते हैं । आम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि गांधी चंपारण गये और उन्होंने नील की खेती खत्म करवा दी । संक्षेप में यह भी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह उद्गम स्त्रोत है, जहाँ से देश की आम जनता आजादी की लड़ाई में शामिल हुई । खास तौर पर गांव के किसानों की भागीदारी बढ़ी । इसी चंपारण की धरती पर गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत हुई । यहीं उन्हें महात्मा कहा गया और यहीं उन्होंने एक ही वस्त्र पहनने का प्रण लिया । मगर अगर कोई पूरे घटनाक्रम को समझना चाहे तो ये किताब एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकती है ।

पुस्तक का नाम : **जब नील का दाग मिटा**
लेखक का नाम : **पुष्यमित्र**
प्रकाशन : सार्थक (राजकमल प्रकाशन का उपक्रम)
मूल्य : 150 रूपये

ज्ञान के मोती

- वो ज्ञान, ज्ञान नहीं रह जाता, जब वह इतना अभिमानी हो जाए कि थोड़ा रो भी ना सके, इतना गंभीर हो जाए कि हंस भी ना सके और इतना स्वार्थी हो जाये कि अपने सिवा किसी और का अनुसरण भी ना कर सके ।
- यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे जाने दें, क्योंकि यदि वो लौट कर आते हैं तो वो हमेशा से आपके थे। और यदि नहीं लौटते हैं तो कभी आपके थे ही नहीं ।
- यदि आपका हृदय ज्वालामुखी है तो आप कैसे फूलों के खिलने की आशा कर सकते हैं ?
- आने वाली पीढ़ी गरीबी से समानता तथा संकट से प्रेम सीखेगी ।
- कष्ट सहकर ही सबसे मजबूत लोग निर्मित होते हैं, सबसे महान हस्तियों पर ही घाव के निशान होते हैं ।
- यदि आप अपने राज़ हवा से बताते हैं तो आपके राज़ का पेड़ों को पता चलने का दोष हवा को नहीं देना चाहिए ।
- उदारता जितना आप दे सकते हैं उससे अधिक देना है , और गर्व जितना आप ले सकते हैं उससे कम लेना है ।
- यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है तो हो सकता है, आप उसे भूल जाएं; लेकिन यदि आप उसे चोट पहुंचाते हैं तो आप हमेशा इसे याद रखेंगे ।
- मेरा अस्तित्व अगर किसी के नष्ट होने का कारण बनता है तो मौत मेरे लिए अधिक प्रिय और आकर्षक होगी ।
- आप कैसे जीते हैं, ये ज़िन्दगी आपको क्या देती है । इससे अधिक महत्वपूर्ण आप अपनी ज़िन्दगी को किस नजरिये से देखते हैं इस पर निर्भर करता है; आपकी ज़िन्दगी में क्या हुआ, इससे अधिक जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करता है ।
- थोडा ज्ञान जो प्रयोग में लाया जाता हैं, वो बहुत सारा ज्ञान जो बेकार पड़ा है उससे कहीं गुना अधिक मूल्यवान होता है ।
- काम प्रेम की अभिव्यक्ति है, और यदि आप प्रेम से नहीं सिर्फ बेमन से काम करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना काम छोड़ दें और मंदिर के गेट पर बैठ कर उनसे भीख लें जो ख़ुशी से काम करते हैं ।
- काव्य शब्दकोष के छीटों के साथ ख़ुशी , दर्द और आश्चर्य का सौदा है ।
- विश्वास हृदय के भीतर वो नखलिस्तान है जिस तक सोच के कारवाँ द्वारा नहीं पंहुचा जा सकता ।
- कल हम राजाओं की आज्ञा मानते थे और शासकों के सामने सर झुकाते थे । लेकिन आज हम केवल सत्य के सामने घुटने टेकते हैं , सुन्दरता का अनुसरण करते हैं , और केवल प्रेम की आज्ञा मानते हैं । यही स्वतन्त्रता है ।
- प्रेम और अकेलेपन में हम जिन भावनाओं से गुजरते हैं वो हमारे लिए वैसी ही हैं जैसे समन्दर के लिए समन्दर में उठने वाला ऊँचा और निम्न ज्वार ।
- मैं परम सत्य से अनजान हूँ, पर मैं अपनी अज्ञानता के प्रति विनम्र हूँ और यही मेरे लिए सम्मान की बात है और यही मेरा पुरस्कार है ।
- जो व्यक्ति दूसरों की छोटी-छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकता वो उनकी खूबियों का आनंद कभी नहीं ले पाएगा ।
- जो नहीं कहना था वो कह दिया और जो कहना था वो कहा नहीं, इसी में बहुत सा प्यार खत्म हो जाता है।
- मैं जीवन के न्याय में विश्वास कैसे खो सकता हूँ, जब वो लोग जो गद्दों पे सोते हैं, उनके सपने उनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होते जो जमीन पे सोते हैं ।
- भविष्य के बारे में सोचने से हमें चिंता नहीं होती, उनको काबू में करने की चाह से होती है ।
- निःसंदेह नमक में एक विलक्षण पवित्रता है, इसीलिए वह हमारे आंसुओं में भी है और समुंद्र में भी ।
- अगर तुम जाति, देश और व्यक्तिगत पक्षपातों से जरा ऊपर उठ जाओ तो निःसंदेह तुम देवता के समान बन जाओगे ।

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Prolific	Pruh-li-fik	लैटिन	बहुफलदायक
Intrinsic	In-truhn-suhk	लैटिन	आंतरिक
Expedite	Ek-spuh-dite	लैटिन	शीघ्र निबटाना
Debacle	Duh-baa-kl	लैटिन	पराजय
Malaise	Muh-layz	लैटिन	बेचैनी
Explicit	Uhk-spli-suht	लैटिन	स्पष्ट / मुखर
Supercilious	Soo-puh-si-lee-uhs	लैटिन	अभिमानपूर्ण
Sloth	Slaw-th	प्राचीन अंग्रेज़ी	आलस्य
Avarice	a-vuh-ruhs	लैटिन	लोभ
Coalesce	Koh-uh-les	लैटिन	संगठित होना
Coerce	Koh-uhs	लैटिन	मजबूर करना
Fervor	Fuh-vuh	प्राचीन फ्रेंच	जोश
Beget	Buh-get	प्राचीन अंग्रेज़ी	उत्पन्न करना
Deride	Duh-ride	लैटिन	उपहास करना
Virulent	vi-ru-luhnt	लैटिन	विषैला
Alacrity	Uh-la-kruh-tee	लैटिन	तत्परता
Circumscribe	Suh-kuhm-skribe	लैटिन	प्रतिबंध लगाना
Gesticulate	Jeh-sti-kyoo-layt	लैटिन	इशारा करना
Relentless	Ruh-lent-luhs	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	दयाहीन
Reparation	Reh-puh-ray-shn	लैटिन	हानिपूर्ति
Pensive	Pen-suhv	लैटिन	चिंताग्रस्त
Pristine	Pri-steen	लैटिन	मूल / प्राचीन
Rudimentary	Roo-duh-ment-un-ree	लैटिन	मौलिक
Stricture	Strik-chuh	लैटिन	निंदा
Permeate	Puh-mee-ayt	लैटिन	रिसना
Redundant	Ruh-duhn-dnt	लैटिन	अनावश्यक
Despondent	Duh-spawn-dnt	लैटिन	निराश
Ineffable	Uh-neh-fuh-bl	लैटिन	अकथनीय
Exhort	Uhg-zawt	लैटिन	उपदेश देना
Guile	Gi-le	फ्रेंच	छल कपट
Hegemony	Huh-geh-muh-nee	ग्रीक	आधिपत्य
Meddle	Meh-dl	फ्रेंच	दखल देना / हस्तक्षेप करना
Odium	Oh-dee-uhm	लैटिन	द्वेष
Penchant	Pawn-shawn	फ्रेंच	झुकाव

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Crackdown	Krak-dawn	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	कार्रवाई
Beleaguered	Buh-lee-guhd	डच	परेशान
Daunting	Dawn-tuhng	लैटिन	कठिन
Inoculated	i-naw-kyoo-lay-tuhd	लैटिन	टीका लगाना
Paucity	Paw-suh-tee	लैटिन	कमी
Slump	Sluh-ump	नार्वेजियन	मंदी
Propelling	Pruh-pel-uhng	लैटिन	प्रेरित करनेवाला
Belie	Buh-lai	प्राचीन अंग्रेज़ी	झुठलाना
Dithered	di-dhuhd	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	तड़पना
Imperative	Im-peh-ruh-tuhv	लैटिन	अनिवार्य
Opacity	Oh-pa-suh-tee	लैटिन	अस्पष्टता
Nefarious	Nuh-feuh-ree-uhs	लैटिन	कुटिल
Abrogate	a-bruh-gayt	लैटिन	अभिनिषेध करना
Resolutely	Reh-zuh-loot-lee	लैटिन	सख्ती
Stipulations	Sti-pyoo-lay-shnz	लैटिन	शर्तो
Abeyance	Uh-bay-uhns	प्राचीन फ्रेंच	ठहराव
Unbridled	Uhn-brai-dld	मध्यकालीन डच	निरंकुश
Oblique	Aw-bluhk	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	परोक्ष
Impedance	Im-pee-dns	लैटिन	अवरोध
Satiated	Say-shee-ayt-uhd	लैटिन	तृप्त
Conscientious	Kuhn-sen-shee-uhs	लैटिन	ईमानदार
Faction	Fak-shn	मध्यकालीन फ्रेंच	गुट/ दल
Aberration	a-buh-ray-shn	लैटिन	विपथन
Copious	Koh-pee-uhs	लैटिन	प्रचुर
Acumen	a-kyoo-muhn	लैटिन	कुशाग्रता
Opprobrium	Uh-proh-bree-uhm	लैटिन	अपमान
Ameliorate	Uh-mee-lee-uh-rayt	फ्रेंच	सुधारना
Plaintive	Playn-tuhv	लैटिन	दर्दनाक
Diffident	di-fuh-dnt	लैटिन	संकोची
Ebullience	Uh-buh-lee-uhns	लैटिन	उत्तेजना

नेहा रंजन

नेहा रंजन - सहायक प्रबंधक,
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय

ग्रीन बैंकिंग - बैंकिंग के पर्यावरणीय आयाम

आदर्श गुप्ता - प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय – लखनऊ

वर्ष 2021 वैश्विक स्तर पर मानव इतिहास में दर्ज किये गए संभवतः सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। कनाडा एवं पूरे यूरोप में भीषण गर्मी की जो तस्वीरें हम सभी ने टीवी पर देखीं है उनसे पूरा विश्व सहम सा गया है। पूरे विश्व ने देखा कि विश्व के सबसे ठंडे देशों में गर्मी ने किस तरह कहर ढाया। कई जगह तो सड़कें तक पिघल गईं तो वहीं यूरोपीय देशों में हजारों लोगों की गर्मी से मौत हो गई। नास्त्रेदमस (Nostradamus) ने विशेष रूप से यह भविष्यवाणी तो नहीं की थी कि जलवायु परिवर्तन से विश्व का अंत हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि इस विषय को तत्परता से संबोधित नहीं किया गया तो बिना किसी पूर्ववृति (Predispositions) के जलवायु परिवर्तन विकसित और विकासशील, समृद्ध एवं निर्धन, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के पतन की गति को तीव्र कर देगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं को देखते हुए एक एकल अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो हरित प्रयासों का नेतृत्व और वित्तपोषण करे। उभरते परिदृश्य में एक नवीन बहुपक्षीय संस्थान की आवश्यकता है जो जलवायु अनुकूलन को संबोधित करने और निम्न कार्बन-प्रत्यास्थ (Carbon-Resilient) परियोजनाओं के वित्तपोषण पर केंद्रित व समर्पित हो।

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय संकट है। यह केवल पर्यावरणीय समस्या भर नहीं है, बल्कि वैश्विक से लेकर स्थानीय स्तर तक अपने बहुस्तरीय चरित्र में यह एक अभूतपूर्व परिदृश्य है जो कई मायनों में विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है। वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही पूरे विश्व के मौसम में अभूतपूर्व बदलाव देखा जा रहा है। भारत और विश्व के प्रमुख शहरों में जलवायु परिवर्तन की घटनाएं निम्नवत हैं -

- इस वर्ष यूरोप ने भीषण ग्रीष्म लहर (Heat Wave) के संकट का सामना किया जो यूरोप के लिये एक नई परिघटना रही।
- वर्ष 2019 में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित चेन्नई शहर को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ा था, अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में चेन्नई पहला शहर है जहां भूमिगत जल पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कुछ अखबारों के मुताबिक चेन्नै में 2000 फीट तक पानी समाप्त हो चुका है।
- पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीकी प्रायद्वीप के एक बंदरगाह शहर केप टाउन में भी पेयजल संकट सामने आ रहा है और वहाँ जल संरक्षण को अनिवार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई है।
- जलवायु परिवर्तन के संबंध में लंदन में हुए कड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद ब्रिटेन की संसद ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर आपातकाल घोषित कर दिया और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया था।
- ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है और समुद्रों का जल-स्तर बढ़ता चला जा रहा है।

निश्चित रूप से आज पर्यावरण का संकट पूरे विश्व के लिए गंभीर आपदा बन कर उभरा है। पर्यावरणीय असुंतलन से निपटने में हालांकि आज पूरा विश्व अपने पूरे जोर - शोर से लगा हुआ है। विश्व को पर्यावरण के संकट से बचाने के लिए पूरे विश्व में निम्न कार्रवाइयां की जा रही हैं।

- जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है बावजूद इसके मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरणीय परिवर्तनों को रोकने के लिए पर्याप्त धन/वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पेरिस समझौते के लक्ष्यों और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव प्रतीत हो रही है।
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) का मानना है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 53 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development–UNCTAD) का अनुमान है कि सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वर्तमान समय से वर्ष 2030 के मध्य करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक की मौजूदा कमी बनी रहेगी।

निदान :

संभवतः एक समर्पित, बहुपक्षीय हरित बैंक (Green Bank) उक्त समस्याओं का एक समाधान हो सकता है। क्योंकि जहाँ एक ओर, योजनाओं या विचारों को कार्यरूप देने और जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति गंभीरता का अभाव है तो वहीं दूसरी ओर, विश्व के कई देशों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन शमन उपायों को लागू करने में वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- ग्रीन बैंक घरेलू रूप से उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्द्धी शर्तों पर वित्त प्रदान करेगा। यह अंतरराष्ट्रीय बॉण्ड बाज़ारों से धन जुटाने के लिये सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के योगदान के माध्यम से प्राप्त पूंजी का लाभ उठाएगा।
- अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त ग्रीन बॉण्ड और ब्लू बॉण्ड जुटाने में भी यह बैंक सक्षम होगा और प्राप्त धन का उपयोग जलवायु-अनुकूल उपायों के लिये किया जा सकेगा।
- बैकस्टॉप गारंटी के माध्यम से ऋण वृद्धि की पेशकश और अन्य जोखिम शमन उपायों द्वारा तथा अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करके ग्रीन बैंक मूल्यवान वित्तीय संसाधन का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है जबकि सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिये यह जलवायु वित्त की पहुँच में सुधार हेतु एक प्रमुख एजेंसी के रूप में भी कार्य कर सकता है।
- यह सामाजिक-आर्थिक जलवायु अवसंरचना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुगम बनाएगा, कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिये अनुदान में वृद्धि करेगा, यहाँ तक कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये इक्विटी निवेश भी प्राप्त कर सकता है।
- ग्रीन बैंक भौगोलिक आधार पर ऋणदेयता की प्राथमिकता भी तय कर सकता है। उदाहरण के लिये, कई दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति का सामना कर रही हैं। बांग्लादेश, मालदीव, वियतनाम, पलाऊ के कुछ हिस्सों के अलावा भारत के कच्छ (मैंग्रोव) वन भी जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील हैं और बढ़ते जल स्तर के कारण यहाँ भू-खण्डों को क्षति पहुँच रही है।

बहुपक्षीय दृष्टिकोण'

- ग्रीन बैंक' अन्य गतिविधियों के साथ ही हरित परियोजनाओं का समर्थन करने वाले मौजूदा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग एवं साझेदारी प्रदान करेगा। परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहयोग हेतु ग्रीन बैंक इन संस्थानों के साथ मिलकर काम कर सकता है।
- वर्तमान में अधिकांश बहुपक्षीय और क्षेत्रीय विकास बैंकों ने स्वच्छ ऊर्जा को समर्थन देने के लिये विभिन्न पहलों की शुरुआत की है, लेकिन केवल स्वच्छ ऊर्जा को समर्थन देना ही पर्याप्त नहीं है। आँकड़े दर्शाते हैं कि छह प्रमुख वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों ने हरित प्रयासों के लिये प्रत्येक वर्ष औसतन 27 बिलियन डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। हरित प्रयासों के लिये सहायता प्रदान कर रहे इन संस्थानों में शामिल हैं:
- विश्व बैंक (World Bank)
- अफ्रीकी विकास बैंक (African Development Bank)
- एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB)
- यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD)
- यूरोपीय निवेश बैंक (European Investment Bank)
- अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (Inter-American Development Bank)

उल्लेखनीय है कि अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में अमेरिकी भागीदारी मौजूद है। ऐसे में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका के बदले हुए दृष्टिकोण के साथ क्या अन्य देश तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति बद से बदतर न हो जाए?

वित्तपोषण की आवश्यकता

- अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency- IRENA) के अनुसार, वर्ष 2017 में कुल नवीकरणीय वित्तपोषण में से 76 प्रतिशत भाग आस्ति वित्तपोषण (Asset Financing) का था, जबकि 1 प्रतिशत से भी कम वित्तपोषण निजी इक्विटी और उद्यम पूंजीपतियों के माध्यम से प्राप्त हुआ।
- वृहत वित्तपोषण आवश्यकताओं के संदर्भ में यह बेहद मामूली वित्तपोषण चिंताजनक है। अतीत की तुलना में जलवायु परिवर्तन की स्थिति आज अधिक गंभीर हो हुई है और विश्व को इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

एनजीएफएस को दिसंबर 2017 में 'पेरिस वन प्लैनेट समिट' में लॉन्च किया गया था। एनजीएफएस ऐसे केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में समर्थन देने के लिए मुख्यधारा विषयक वित्त का इस्तेमाल करते समय अपने उत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने की इच्छा रखते हैं।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 23 अप्रैल, 2021 को 'वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क' (Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System- NGFS) में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है।

उम्मीद है कि जल्द ही ग्रीन बैंकिंग के विविध रूप हमें उपलब्ध होगें । पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है कि बैंकिंग का हरित रूप जल्द से जल्द विश्व के सभी देशों में प्रारंभ हो। निश्चित रूप से हरित बैंकिंग में ही पर्यावरण संरक्षा एवं सुरक्षा का सूत्र समाहित है ।

राजभाषा – कल और आज

संतोष पाठक - प्रबंधक , क्षेत्रीय कार्यालय , पुणे

"राजभाषा" यह नाम सुनने में जितना छोटा है, उसका अर्थ उतना ही व्यापक है । खासकर भारत जैसे विविधता से परिपूर्ण देश में ,जिसके बारे में प्रसिद्ध है "कोस –कोस पर बदले पानी , चार कोस पर वाणी " । भारत की सांस्कृतिक धरोहर अपने आप में एक अनूठी मिसाल है तथा उसकी विविध बोलियाँ तथा भाषाएँ इसको सोने पर सुहागा बनाती हैं । आज भारत में आठवीं अनुसूची में एक नहीं बल्कि 22 भाषाएँ अधिसूचित हैं तथा हर भाषा का अपना स्वर्णिम इतिहास है । हर भाषा में कवियों तथा लेखकों ने अपनी लेखनी चलाकर उस भाषा को और ज़्यादा समृद्ध किया है । इतनी सारी भाषाएँ तथा उन भाषाओं के अपनी स्थानीय बोलियाँ । उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लीजिए , महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है लेकिन आप देखिए उस मराठी में भी विभिन्नता है , मुंबई की मराठी अलग है, पुणे की अलग नागपुर की अलग और कोल्हापूर की अलग है । ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में केवल एक ही समानता है , कि उन सभी का उद्भव संस्कृत से हुआ है तथा सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है (पंजाबी को छोड़कर) । इस भाषाई तथा संस्कृतिक विविधता वाले देश में जहां आज भी लोगों को धर्म , जाति, भाषा और स्थान के नाम पर लड़ाया जा सकता है,उस देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम हिंदी भाषा ने किया है ।

स्वतन्त्रता संग्राम में हिंदी का महत्त्व और अधिक बढ़ गया था । जैसा कि आप लोगों को पता ही है अंग्रेजों के भारत में आने से पहले हमारे गाँव तथा हमारे गुरुकुल और मदरसे काफी विकसित थे । सभी अपने आप में समृद्ध थे । अंग्रेजों के आने के पश्चात तथा उनके धीरे-धीरे संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल यह हुई कि उनके पास लिपिकीय काम करने वाला ऐसा कोई भी नहीं था जिसे अंग्रेज़ी आती हो । जिसके लिए वे सन 1835 में हंटर कमीशन लाए, जिसने शिक्षा का माध्यम संस्कृत और फारसी से हटाकर अंग्रेज़ी कर दिया । बस यहीं से भारतीय भाषाओं के क्रमिक ह्रास तथा अंग्रेज़ी के विकास की कहानी शुरू हुई । धीरे –धीरे अंग्रेजों का भारतीय ज़मीन पर तथा अंग्रेज़ी का भारतीय भाषाओं पर संक्रमण का दौर शुरू हुआ और जल्द ही दोनों ने भारतीय ज़मीन पर और भारतीय भाषाओं पर अपना प्रभुत्व जमा लिया ।

इस दौर में अभी भी भारतीय गाँव अंग्रेज़ी और विकास से अछूते रहे । हर तरफ अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश जारी थी, परंतु यह कोशिश केवल कुछ स्थानों तक ही सीमित थी। यह वही दौर था जब भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में "महात्मा गांधी" नामक सूर्य का उदय हो रहा था । उनका मानना यह था कि जब तक हम सभी संगठित नहीं होंगे , स्वाधीनता पाना मुश्किल है और सभी को एकत्रित करने का काम केवल एक भाषा कर सकती है जो बोलने में सहज , समझने में आसान हो, भारतीय जनमानस में अपनी छाप छोड़ने तथा सभी को संगठित करने का कार्य अगर कोई भाषा कर सकती है, वह हिंदी ही हो सकती है । इसीलिए हिंदी का चहुमुखी विकास करना अतिआवश्यक था । उनका विश्वास था कि अगर एक राष्ट्र की नीव रखनी है तो उसके लिए एक भाषा की नीव रखना भी आवश्यक था । इसके लिए उन्होने स्वयं अग्रणी भूमिका निभाई । गांधीजी के बारें में यह प्रसिद्ध था कि वे जनता को अपने तक उठाते नहीं थे बल्कि स्वयं को उनके स्तर तक झुकाते थे । हिंदी के चहुमुखी विकास के लिए उन्होने अनेक पत्र –पत्रिकाएँ निकाली तथा उस काल में हिंदी के अनेक रचनाकारों ने अपनी रचना तथा समाचार –पत्रों में लेखों से हिंदी भाषा को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में लाने के लिए अहम योगदान दिया । दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार –प्रसार हेतु महात्मा गांधी जी ने हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की । उनका विश्वास था कि भारतीय जनमानस के हृदय को आपस में जोड़ने का कार्य केवल एक ही भाषा कर सकती है और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है ।

इस दौर के पश्चात भारतीय स्वतन्त्रता का स्वर्णिम युग आया । अब भारतीय संविधान के निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश में राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दें ? सभी की सामन्य राय बनी कि जो भाषा स्वतन्त्रता संग्राम में भारतीय जनमानस की भाषा थी, उसी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और उसी का परिणाम यह हुआ कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा का गौरव हिंदी को प्राप्त हुआ । यह भी निर्णय लिया गया कि इतने वर्षों से जो प्रशासनिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का उपयोग हो रहा था , उसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता ,अत: पंद्रह वर्षों का समय दिया गया । उनका मानना था कि क्रमिक रूप से अंग्रेज़ी का स्थान हिंदी ले लेगी । इसके निमित हिंदी के विकास के लिए १९५२ में आए मुदलीयार कमीशन तथा 1964 में आए कोठारी कमीशन का केवल एक हे लक्ष्य था कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र समाहित किया जाना चाहिए । उनका मानना यह था कि यदि बच्चों को शुरुआत से उनकी मातृभाषा के साथ –साथ हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का विकास किए जाने की आवश्यकता है । साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को हिंदी का प्रशिक्षण देना की शुरुआत

की गई ।

उपरोक्त सभी का केवल एक ही लक्ष्य तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का विकास करना । इस कार्य में बहुत सारी राजनैतिक तथा दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ा । जब धीरे –धीरे हिंदी अपने पैर ज़माना शुरू किए तभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर तकनीक ने प्रवेश किया । अनेक नए आधुनिक तकनीक के विकास के साथ धीरे –धीरे कंप्यूटर पर आसानी से हिंदी में काम करना संभव हो सका । आज वह युग है कि आज हम आसानी से यूनीकोड की मदद से हिंदी में टाइपिंग करने की सुविधा प्राप्त है ।

इतना ही नहीं गूगल की मदद से आप अपने मोबाइल पर टाइपिंग के साथ-साथ वाइस टाइपिंग की भी सुविधा प्राप्त है । आप हिंदी के अलावा अन्य 21 भारतीय भाषाओं में भी टाइपिंग कर सकते हैं । गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप 90% तक सही –सही अनुवाद कर सकते हैं । यहाँ पर केवल एक बात चुभती है, वह यह कि भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा प्रदान करने का गौरव विदेशी कंपनी को प्राप्त हुआ । इतना ही नहीं आज आप देखिए विदेशी कंपनियों को भारतीय बाज़ार में अपनी पैठ बनाने तथा अपने उत्पादों को जनमानस तक पहुंचने के लिए उन्होने हिंदी का ही सहारा लिया और वे उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं ।

आज सरकार द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास हेतु अनेक कार्य किए जा रहें , जिसमें प्रमुख है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति । जिसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किया जाना है और यह कक्षा पहली से शुरू होगी और धीरे –धीरे अगली कक्षाओं में की जाएगी । अंग्रेज़ी को एक विषय की तरह पढ़ाया जाएगा । धीरे –धीरे अभियांत्रिकी एवं औषधी शास्त्र की पढ़ाई भी मातृभाषा /हिंदी में हो जाएगी । यह तो हिंदी /भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने हेतु एक साकारात्मक रूख है । अब इसका निर्णय हमारे हाथों में है कि हम अपनी भाषा में कार्य करने का गौरव हासिल करना चाहेंगे या पिंजरे में बंद तोते की तरह विदेशी भाषा को ही प्राधान्य देंगे ।

यहाँ पर मैं महात्मा गांधीजी की एक बात कहना चाहूँगा कि “राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्र गूंगा है “ । जिस प्रकार किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका राष्ट्रीय ध्वज , राष्ट्रीय गान होते हैं , उसी तरह उनकी पहचान उनकी भाषा से होती है ।

“ जय हिंद –जय हिंदी “

कविता

मैं चिरागों को जला देता हूँ

ऐ शाम हर रोज़ तेरे आने से
मैं चिरागों को जला देता हूँ
पल-पल की उन यादों को
कोरे पन्नों में सज़ा देता हूँ
कितनी खुशियाँ कितने गमों
को मन में दबा लेता हूँ
ऐ शाम हर रोज़ तेरे आने से
मैं चिरागों को जला देता हूँ
उलझे-उलझे से हैं हालात मेरे
उलझे-उलझे मेरे जज़्बात हैं
उलझी-उलझी सी है ज़िंदगी मेरी
उलझी-उलझी हर वो बात हैं
इन उलझनों को सुलझाने में खुद को उलझा देता हूँ
ऐ शाम हर रोज़ तेरे आने से
मैं चिरागों को जला देता हूँ
कभी चाँद की कमी सितारों की
एक दुनिया अपनी बना लेता हूँ
कभी-कभी गीत गुनगुना कर
अपने मन को बहला लेता हूँ
ऐ शाम हर रोज़ तेरी आने से
मैं चिरागों को जला लेता हूँ

-मनदीप सिंह
अधिनस्थ,
लुधियाना क्षेत्र

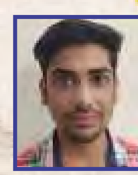

नकदी रहित भारत

श्री पवन कुमार - लिपिक , लखनऊ क्षेत्र

नकदी रहित भारत से आशय उस अर्थव्यवस्था से है जिसके भीतर नकदी का प्रवाह बहुत कम हो और जहाँ सभी लेन- देन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हों । वर्तमान में भारत क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड , इंटरनेट बैंकिंग , मोबाइल बैंकिंग , इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग व तत्काल भुगतान सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। नकदी रहित भारत का सपना 2016 की नोटबंदी के बाद से धीरे - धीरे पूरा हो रहा है। जहाँ आजकल पेटीएम , फोनपे , गूगल पे , इत्यादि चैनलों के द्वारा खरीदारी व इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है । हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत की अपनी डिजिटल करेंसी के बारे में घोषणा की गई है जो कि मार्च 2022 तक आने का अनुमान है जिससे नकदी रहित भारत का सपना , सपना ही न रहकर हकीकत बन जाएगा ।

नकदी रहित भारत के फायदे

1. टैक्स कलेक्शन में बढ़ोत्तरी

कालेधन और भ्रष्टाचार की समस्या की वजह से सरकार ज्यादा इनकम टैक्स संग्रह नही कर पाती है जिससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है । कारोबारी समुदाय अपना व्यवसाय काफी हद तक नकद में करते हैं जिसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता है जिससे इस क्षेत्र में कर सृजित आय सरकार तक नहीं पहुँचती है और सरकार की आय कम हो जाती है । अतः नकदी रहित भारत में इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है ।

2. सरकारी योजनाओं का सीधे जनता को फायदा

नकदी रहित भारत के कारण सरकारी योजनाओं का सीधे जनता को लाभ मिलता है और इसमें लाभार्थी का रिकॉर्ड सीधे सरकार के पास रहता है ।

3. बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुँच

नकदी रहित भारत होने से आम जनता की पहुँच बैंक तक होगी जिससे बैंकिंग सेवाओं का व्यापक विकास होगा तथा कालेधन पर सीधे तौर पर लगाम कसी जा सकेगी

4. लागत में कमी

बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी स्थान विशेष पर पहुँचने की शर्त खत्म हो जाएगी । इससे ट्रांजेक्शनल मूल्य के साथ -साथ ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आएगी । यदि कैशलेस लेन- देन बढ़ेंगे तो रिज़र्व बैंक को कम नोट छापने होंगे जिससे नोटों की छपाई पर आने वाली लागत को कम किया जा सकेगा । साथ ही एटीएम को सुचारु रूप से चालू रखने में होने वाला खर्च भी कम होगा ।

5. त्वरित भुगतान :

नकदी रहित अर्थव्यवस्था होने से किसी को भी दूर दराज क्षेत्रों में तत्काल भुगतान किया जा सकता है । आरटीजीएस , एनईएफटी और आइएमपीएस इसके प्रमुख उदाहरण हैं ।

6. भ्रष्टाचार :

भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाना आसान नहीं है । नकदी रहित अर्थव्यवस्था की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आती है क्योंकि भारत में अधिकतर भ्रष्टाचार की गतिविधियाँ नकदी में होती हैं । लोग सरकारी महकमें में रिश्वत नकदी में ही लेते तथा देते हैं । डिजिटल लेन- देन होने से धन- प्रवाह की जानकारी आसानीपूर्वक प्राप्त जा सकगी जिससे भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है ।

7. आर्थिक समावेशन

नकदी रहित अर्थव्यवस्था में सरकार न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानूनों पर निगरानी रख सकती है । छोटी जगहों पर जहाँ बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहाँ आसानी से ई-पेमेंट व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की निधि लोगों के खातों में बिना किसी बिचौलिए के अंतरित किया जा सकेगा ।

नकदी रहित भारत की बाधाएँ

1. ऑनलाइन सिक्योरिटी का मसला

नकदी रहित भारत की सबसे बड़ी बाधा ऑनलाइन सिक्योरिटी का है । कार्ड का क्लोन बना लेना , पिन चुरा कर पैसे निकाल लेना या क्रेडिट कार्ड से आपकी जानकारी के बगैर पैसे निकाल लेना , हैकिंग के सहारे बल्कि डाटा चोरी करना व रैनसमवेयर जैसे खतरे अब आम बात हो गई है ।

2. नकदी पर निर्भरता

भारत में लोग प्लास्टिक मनी के स्थान पर अपने पास कैश रखना अच्छा समझते हैं । वे अधिकांश लेन- देन कैश के माध्यम से ही करते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है व जिसका सीधा प्रभाव देश की विकास की गति पर पड़ता है ।

3. इंटरनेट स्पीड एवं अन्य तकनीकी दिक्कतें

5 जी नेटवर्क के बाज़ार में प्रवेश के बाद फास्ट इंटरनेट के मिलने की संभावनाएँ बढ़ गईं है किंतु अभी भी नकदी रहित भारत की संकल्पना के लिए काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है ज्यादातर कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज़र्स को अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट की जरुरत होती है। ऐसे में सेशन टाइम ऑउट, पेमेंट फेल्ड, इंटरनेट डिस्कनेक्ट, नेटवर्क एरर व ओटीपी का समय से नहीं मिलना आम समस्या है। अतः ऐसी इंटरनेट गति से यह कल्पना से परे है कि भारत नकदी रहित बन पाएगा।

वर्तमान तस्वीर

- नीति आयोग का यह अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में एटीएम और कैश की झंझट खत्म हो जाएगी पर यह पूर्णतया संभव नहीं दिखता है क्योंकि वर्तमान में जनता की निर्भरता कैश पर ज्यादा है।
- आम तौर पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, खुदरा डिजिटल भुगतान के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं यूपीआइ और प्रीपेड भुगतान के ज़रिए लेन- देन और भी जोर पकड़ रहा है।
- अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की राह उतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही है दरअसल केवल यूपीआइ, पीपीआइ और मोबाइल वॉलेट की व्यवस्था से ही अर्थव्यवस्था नकदी रहित नहीं हो सकती है। इसके लिए जनसंख्या के एक बड़े भाग को नेट बैंकिंग के दायरे में लाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग काम करें।

निष्कर्ष

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर है वहाँ नकदी रहित अर्थव्यवस्था लागू करने में कठिनाइयाँ आना स्वभाविक है। लेकिन इस दिशा में प्रयास करना जरुरी है। आज डिजिटल माध्यम से मौद्रिक लेन-देन के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है लोग जान पाए हैं कि डिजिटल माध्यम से भी सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक एवं पारदर्शी है। आने वाले कल में नकदी रहित भारत में काले धन या नकली मुद्रा की अब कोई गुंजाइश नहीं है।

***

कविता

दो रंग

कितनी बेजान और निरस होती ये दुनियां
गर कुदरत में बस दो ही रंग होते
बेमानी सी लगती शाम, बस दिन और रात
ही होते
पेड़ - पौधे, फूल और पत्ते, कितनी दुविधा
में होते
आसमां का रंग ओढ़े या जमीं के रंगों को
समेटे
हाँ इंसान जरूर खुश होता गर ऐसा हो पाता
इंसा को इंसा से बांटाना कितना आसान हो
जाता
गर ऐसी निरस दुनियां की ख्वाहिश है
आपको
तो समाज को रंगों में बाट दो
फिर भी उम्मीद है मुझे
नया रंग आएगा जरुर, दो रंगों के मिलन से
कब तक रोक पाएंगे, प्रकृति को खिलने से

भूषण लांजेवार
वरिष्ठ प्रबंधक
पुदुचेरी क्षेत्र

संविधान में राजभाषा हिन्दी

हमारे देश को आजादी मिलने के उपरांत देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को केंद्र सरकार की राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार कर, हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की । भारत के संविधान के भाग 5(120), भाग 6(210) वें विभिन्न उपबंधों में राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

भारत के संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इस भावना को साकार करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया । राजभाषा द्वारा पारित किए गए राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 (यथा संशोधित 1987) बनाए जिसे राजभाषा नियम 1976 कहा जाता है। इन अधिनियमों के अंतगर्त कार्यालय का सारा काम काज किया जाता है।

1. **हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है?**

   i 15 अगस्त — ii. 26 जनवरी — iii. 15 अक्टूबर — iv. 14 सितंबर

2. **वर्तमान समय में राजभाषा विभाग, भारत सरकार का प्रभार किसके पास है?**

   i नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री — ii. निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री — iii. अमित साह, गृह मंत्री — iv.राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

3. **भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की .... है।**

   i. राष्ट्रभाषा — ii. राज्यभाषा — iii. राजभाषा — iv. विश्वभाषा

4. **त्रिभाषा का अर्थ क्या होता है**

   i. विदेशीभाषा,अंग्रेजी और हिंदी — ii. क्षेत्रीयभाषा, हिंदी और अंग्रेजी — iii. अंग्रेजी,हिंदी और कोई भी एक भारतीय भाषा — iv.केवलअंग्रेजी

5. **हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर - ....**

   i. हिंदी में ही दिया जाना जाहिए — ii.अंग्रेजी में दे सकते है — iii. द्विभाषी में नहीं दे सकते है — iv.उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं

6. **राजधानी दिल्ली किस भाषाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है ?**

   i. क — ii. ख — iii. ग — iv. घ

7. **संघ की राजभाषा हिंदी होगी – यह प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था?**

   i. 26/01/1950 — ii. 15/08/1947 — iii. 14/09/1949 — iv. 10/11/1948

8. **निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज धारा 3 (3) के अंतर्गत नहीं आता है?**

   i. अधिसूचनाएँ — ii. निविदाएँ — iii. सूचनाएँ — iv. निमंत्रण पत्र

9. **"Draft for Approval" - का सटिक हिंदी अनुवाद क्या होगा?**

   i अनुमोदन हेतु प्रस्तुत — ii.अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट प्रस्तुत — iii. अनुमोदन हेतु मसौदा प्रस्तुत — iv.अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत

10. **राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ?**

    i. 1945 — ii. 1956 — iii.1978 — iv.1963

11. **राजभाषा अधिनियम के अनुसार भाषायी आधार पर सम्पूर्ण भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है?**

    i. 3 — ii. 5 — iii. 4 — iv. 2

12. **राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार करने हेतु कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है?**

    i. 100% — ii. 45% — iii.98% — iv. 90%

13. **धारा 3(3) का अनुपालन कितना प्रतिशत किया जाना है?**

    i. 50% — ii. 100% — iii. 55% — iv. 30%

14. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कार्यालय में एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए?**

    i एक बार — ii. दो बार — iii. तीन बार — iv. चार बार

15. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए?**

    i. एक बार — ii.दो बार — iii. तीन बार — iv. चार बार

****

प्रश्नोत्तरी के उत्तर अगले अंक में प्रकाशित किए जाएंगे ।

संकलनकर्ता
दिनेश कुमार साव
प्रबन्धक- राजभाषा,
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

प्रतिस्पन्दन

आपकी तिमाही गृह पत्रिका वाणी (अंक – 128 , मार्च 2021) हमें प्राप्त हुई । सब से पहले आपके सभी कार्यपालकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक संदेश दिए हैं । राजभाषा में प्रकाशित आप की इस पत्रिका में राजभाषा , के साथ- साथ सामान्य बैंकिंग के सारे आयाम देखने को मिले हैं । सभी आलेख ज्ञानवर्धक हैं । विशेष रूप से बैंकिंग के ऊपर लिखे गए सभी आलेख समस्त बैंकिंग परिवार के लिए उपयोगी होंगे । आलेखों के चयन एवं प्रकाशन में आप का परिश्रम साफ दिखाई दे रहा है , इस के लिए आप को बहुत – बहुत शुभकामनाएँ । आशा करता हूँ कि भविष्य के अंकों में भी आप इस रोचकता को बनाए रखेंगे ।

धन्यवाद सहित

पी पलनिसामी
मुख्य महा प्रबंधक , केनरा बैंक , अंचल कार्यालय , चेन्नै

वाणी पत्रिका का मार्च 2021 का नवीनतम अंक प्राप्त कर बहुत हर्ष हुआ । पत्रिका हमेशा की भांति अपने उच्च स्तर को बनाए रखने में कामयाब रही है । इस अंक की प्रमुख विशेषता डॉ. सुमित जैरथ, आई.ए.एस, सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का संदेश तथा लेख है, जो हमारे बैंक की पत्रिका के लिए गौरव का विषय है । उनकी 12 प्र की रणनीति राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी । इस अंक में प्रकाशित सभी बैंकिंग तथा विशेष आलेख उच्चकोटी के साथ-साथ ज्ञानवर्धक हैं । "हिन्दी कविता के एंग्री यंगमैन"- धूमिल जी के बारे में यही कह सकते हैं कि वे आज भी उतने ही प्रसांगिक है, जितने वे अपने समय में थे । इन सभी से इतर लिखे सभी अन्य स्तम्भ जैसे प्रदक्षिणा, तारीख-ए-बयाँ, नजर कानूनी, खतों के रास्ते इतिहास इत्यादि बेहद ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित हैं, जो यह दर्शाता है कि लेखक ने इन आलेखों को लिखने से पहले तथ्यों का गहन अध्ययन किया है । वाणी के संपादक मंडल को इस अंक के सफल प्रकाशन हेतु बधाई और भविष्य के अंकों के लिए शुभकामनाएँ ।

श्याम सुंदर नारंग
मुख्य क्षेत्रिय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

12 'प्र' से राजभाषा के विकास पर केन्द्रित "वाणी" का मार्च 2021 अंक अपने रचनात्मक कलेवर, सौन्दर्य, साहित्यिक व ऐतिहासिक श्रेष्ठता से परिपूर्ण है । हमारे प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री पार्थप्रतिम सेनगुप्ता जी का भावी मार्गदर्शन वाला सन्देश, दोनों कार्यपालक निदेशक महोदय व महोदया का प्रेरणात्मक सन्देश हमारे क्षेत्र को ऊर्जावान करती है । डॉ सुमीत जैरथ जी (आई. ए. एस., सचिव, गृह मंत्रालय) का "वाणी" में सन्देश, हम सभी आइओबियन के लिए गौरवांवित पल है । उनका विशेष आलेख "12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिन्दी का समुचित विकास" राजभाषा के प्रचार प्रसार मे अत्यंत सहयोगी है ।
मैं आरम्भ से ही "वाणी" का नियमित पाठक रहा हूँ । पत्रिका के लेख उच्च कोटि के रहे हैं । इस अंक के सम्पादकीय टीम को बधाई । हमारे उप महा प्रबन्धक व सम्पादक श्री सुरेश कुलकर्णी जी को विशेष बधाई । बैंकिंग लेख विशेषकर हमारे महा प्रबंधक महोदय श्री भुवन चन्द्र शर्मा जी का "बैंक के वार्षिक निष्पादन के मुख्य बिन्दु" लेख अतुलनीय है । हमारे वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री संजय किशोर जी का भारतीय बैंकिंग और राजभाषा हिन्दी का लेख राजभाषा हिन्दी साथ ही "बैंकिंग लोकपाल योजना", "एएसएमई के लिए प्री पैकेज़्ड समाधान" एवं "बैंक एनपीए – कमी लाने के नवीनतम उपाय" लेख भी सराहनीय हैं । हमारे सहायक महा प्रबंधक श्री कश्मीर सिंह जी का साहित्यिक योगदान ज्ञानवर्धक है ।
पत्रिका का ऐतिहासिक कलेवर भी वैविध्यपूर्ण एवं विशद है । 'अलविदा मेरे भाई, महामारी दर महामारी – एक विश्लेषण, नींव परमाणु हथियारों की, सोलह शताब्दियों की गाथा हागिया सोफिया' जैसे लेख अत्यन्त रोचक है । "वाणी" में बैंकिंग आलेख, कविता, साहित्य का सफ़रनामा, प्रेरक प्रसंग, ऐतिहासिक तथ्य इत्यादि का सफल संयोजन किया गया है । "वाणी" पिछले कई अंकों से लगातार किसी न किसी थीम विशेष पर केन्द्रित रही है और इसका हर अंक अपने उद्देश्य में सफल रहा है । स्तरीय पत्रिका की यही विशेषता भी होती है । एक बार पुनः सम्पूर्ण सम्पादक मंडल एवं मार्गदर्शक टीम को बधाई ।

एस. मोहनदास
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें आप द्वारा भेजा गया 'वाणी' पत्रिका का 128वाँ अंक (जनवरी – मार्च 2021) प्राप्त हुआ इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं । यह पत्रिका बहुत ही रोचक बनाई गई है जिसमें संकलित प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय , कार्यपालक निदेशक महोदय , कार्यपालक निदेशक महोदया , महा प्रबंधक महोदय के संदेश एवं संपादकीय मार्गदर्शन करते हैं । राजभाषा हिंदी का समुचित विकास , बैंक के वार्षिक निष्पादन के मुख्य बिंदु , भारतीय बैंकिंग और राजभाषा हिंदी , हिंदी कविता के एंग्री यंगमैन – धूमिल आदि लेख आकर्षक हैं । कविता हम आँखें मूंद लेते हैं जीवन का आईना दिखाती हैं । सोलह शताब्दियों की गाथा हागिया सोफिया बरबस ही दर्शन कराता है । छायाचित्रों के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली गतिविधियों का पता चलता है ।
बैंकिंग लोकपाल योजना – ग्राहकों का अधिकार , एमएसएमई के लिए प्री- पैकेज़्ड समाधान , बैंकों में एनपीए – कमी लाने वाले नवीनतम उपाय , आदि बैंकिंग आलेख बैंकिंग की अवस्था से अवगत कराता है । अलविदा मेरे भाई , महामारी दर महामारी - एक विश्लेषण , नींव परमाणु हथियारों की आदि की दास्तान आपनी ओर खींचते हैं । कोरोना की स्थिति में मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें .. ? स्वास्थमय शरीर की जीवन में अहम भूमिका निभाता है । हँसी की फुलझड़ियाँ मनोरंजन से गुदगुदाती हैं ।
आशा करते हैं कि आगे भी आप यह सिलसिला इसी प्रकार जारी रखेंगे । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग को इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं ।

सहायक महा प्रबंधक
अंचल कार्यालय - चेन्नै दक्षिण
इंडियन बैंक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के जून तिमाही के परिणाम के मुख्य बिंदु

(रू. करोड़ में)

	30.06.2021	30.06.2020	
परिचालनगत लाभ	1,202	1,094	⇧
निवल लाभ	327	121	⇧
जमाएँ	2,42,941	2,25,546	⇧
सकल अग्रिम	1,38,944	1,31,565	⇧
निवेश	96,480	86,044	⇧
व्यापार मिक्स (निवेश सहित)	4,78,365	4,43,155	⇧
कासा	1,01,129	92,514	⇧
कासा अनुपात	41.63%	41.02%	⇧
सकल एनपीए	15,952	18,291	⇩
निवल एनपीए	3,998	6,081	⇩
निवल ब्याज सीमा	2.34%	2.36%	⇩
निवल एनपीए अनुपात	11.48%	13.90%	⇩
सकल एनपीए अनुपात	3.15%	5.10%	⇩
आय की लागत का अनुपात	53.57%	53.32%	⇧
पीसीआर	91.56%	87.97%	⇧
सीआरएआर	15.48%	10.93%	⇧
आरओई	14.57%	8.18%	⇧
नकद जमा अनुपात	57.19%	58.33%	⇩

एमएसएमई ऋण योजनाएँ

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए निर्बाध वित्तीय सहायता

आइओबी एमएसई प्लस

- एमएसएमई वर्ग के तहत विनिर्माण व सेवा उद्यमों के लिए उपयुक्त
- ऋण राशि : रुपये 100 लाख तक ऋण सहायता

आइओबी इंजीनियर

- सिविल इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े लोगों के लिए उपयुक्त
- ऋण राशि : वर्ग की आवश्यकतानुसार मामला दर मामला आधार पर

आइओबी एसएमई महिला प्लस

- सूक्ष्म या लघु उद्यमों के लिए उपयुक्त
- ऋण राशि : रुपये 2 करोड़

आइओबी सीए

- सनदी लेखाकारों के लिए उपयुक्त
- ऋण राशि : रुपये 125 लाख तक ऋण सहायता

आइओबी माइक्रो वन

- नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए उपयुक्त
- ऋण राशि : रुपये 50 लाख

किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करे

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

वैबसाइट	टेलीफोन :	ट्विटर :	ई-मेल :
www.iob.in	1800 425 4445	@iobindia	MSME@iob.in